

हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही

27 फरवरी, 2013

खण्ड-1, अंक-3

अधिकृत विवरण



विषय सूची

बुधवार, 27 फरवरी, 2013

	पृष्ठ संख्या
शसन की मर्यादा तथा गरिमा बनाये रखने संबंधी अध्यक्ष का अवलोकन	(3) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 2
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3) 22
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 31
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(3) 83
स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	(3) 83
नियम 22(2) तथा (3) के अधीन प्रस्ताव	(3) 84
बैठकों का स्थगन	(3) 85
सदस्यों का नाम लेना	(3) 103

मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य	(3) 104
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(3) 105
ज्वालन परन्नाओं का स्वीकार करना	(3) 106
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव -	
हरियाणा में तट्टों के कुपोषण संबंधी वक्तव्य -	(3) 106
सपरीवत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में	(3) 107
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	(3) 112
वाक आऊट	(3) 122
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	(3) 122
बैठक का समय बढ़ाना	(3) 124
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	(3) 124
वर्ष 2012-13 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना	(3) 124
एरटीमेंटस कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(3) 124
वर्ष 2012-13 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा गतदान	(3) 125



हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 27 फरवरी, 2013

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

सदन की मर्यादा तथा गरिमा बनाये रखने संबंधी अध्यक्ष का अवलोकन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, इससे पहले कि क्वेश्चन आवर को हम टेक-अप करें, कल और उससे पहले माननीय सदस्यों ने एक दूसरे के प्रति आदर की भाषा को छोड़कर, तू शब्द इस्तेमाल किया जोकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में टोटली अनरेक्सेप्टेबल है। एक दूसरे सदस्य को आपस में सम्मानित सदस्य के रूप में एड्रेस करना चाहिए। इसके अलावा बैठे-बैठे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल रनिंग कमेण्ट्री के रूप में एक दूसरे के प्रति जो सदस्य करते हैं यह भी सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सदन में किसी का भी सम्मान न रहे और सदन की सारी परम्पराओं को तोड़कर इसी प्रकार से सदन को चलाया जाए तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को चलाना और इस सदन को चलाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यहाँ गरिमा की बात तो की जाती है लेकिन गरिमा को तोड़कर ही गरिमा की बात करना और इसके औचित्य को समझना मेरी समझ से परे हैं। माननीय सदस्यों, यह आपका सदन है और आपसे यह सदन बनता है। इसके साथ सम्मानित सदस्य हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कोई सदस्य आज इधर है और कोई सदस्य आज उधर है अगर आप एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कम से कम सदन की गरिमा के साथ-साथ जिस प्रकार से सदन को चलाना चाहिए, वह संभव नहीं रहेगा। मैंने सदन के अध्यक्ष के रूप में आपको जहाँ यह अर्चना भी की है वहाँ मैं आपको यह चेतावनी भी दे रहा हूँ कि कोई भी सदस्य एक दूसरे के प्रति तू शब्द अमद्र और रनिंग कमेण्ट्री न करे यह बात किसी अच्छी राजनीति की घटक नहीं है। दूसरे, अभी माननीय सदस्यों को यह बात भी ध्यान में रखनी है कि जो भी सदस्य बोले तो कृपा करके सदन के अध्यक्ष से पूछकर ही बोले, हाथ उठाकर बोले और जिस भी सदस्य को मैं बोलने के लिए अलाऊ करूँ, वह ही बोले। जो भी सदस्य मेरे पूछे बिना बोले उनके किसी भी कथन को रिकार्ड नहीं किया जाएगा, धन्यवाद।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, जो भी निर्देश आपने अब दिए हैं इनको आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि जिन सदस्यों ने इस प्रकार का बिहेवियर किया था वे तो अभी सदन में हाजिर ही नहीं हुए हैं।

Mr. Speaker : Please don't make a matter of jesting.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Question Hour.

STP and Storm Water Management Scheme

***1540. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state —

- whether it is a fact that an STP and Storm Water Management Scheme was sanctioned by the Government of Ganaur town;
- If so, whether there is any delay in completion of this project; if so, the reasons thereof; and
- whether any responsibility has been fixed for delay in the completion of the said project together with the time by which it is likely to be completed?

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary)

- Yes Sir. The project for Ganaur town costing Rs. 1508.00 lacs for Sewerage and Sewage Treatment Plant was approved by the National Capital Regional Planning Board. For storm water management in Ganaur town an estimate amounting to Rs. 1785.00 Lacs has been administratively approved under State Plan.
- The work of sewage treatment plant (STP) has been completed on 30.09.2010. There is delay in commissioning of the complete project for want of permission from the railway authority to cross the railway line and due to land acquisition process. The work of storm water drainage scheme could not be commenced due to non availability of funds.
- No official is responsible for delay in completion of the sewerage project. The work of Sewerage and Sewage Treatment Plant is likely to be commissioned by 30.06.2013. The project of storm water drainage in the town has been started and it will be completed by 31.12.2014 subject to availability of funds.

Also I would like to add Sir, it is your constituency and if you feel that there is any kind of laxity on part of the officials, I would look into it and take strict action again it.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि गोहाना में स्टोर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम काफी कम्प्लीट हो चुका है लेकिन जींद रोड पर एक पोर्शन लगभग एक साल से बकाया पड़ा है उसको कब तक पूरा कराया जाएगा? दूसरा प्रश्न मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि गोहाना का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा हो चुका है परंतु सीवरेज की लाइनें लगाने के पैसा नहीं है, मैं जानना चाहूँगा कि इस काम के लिए फण्ड कब अलॉट करेंगे और कितना फण्ड अलॉट करेंगे ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हालांकि this question does not relate to Ganaur town but I would like to tell the House that subject to availability of funds we will do it. स्टोर्म वाटर ड्रेनेज के जो फण्ड थे, I have already said that there is a great paucity of funds and till the time the Hon'ble Finance Minister does not give us funds so the work cannot be started. However, as soon as the funds are released after the Budget, the work is gone to be started. But also for your information, as far as the first question was concerned, I would like to tell you that expenditure from 1999 to 2005 was 269.1 lacs and whereas after our Government have taken over Sir, it is 5265.91 lacs i.e. 20 times only for just Ganaur Town. Sir, you can imagine that your constituency is a VVIP constituency and you are looking fully into it.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अमी मंत्री महोदय ने धन की कमी के बारे में बताया। पीने का पानी और पानी की निकासी दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर पानी की निकासी नहीं होगी तो सड़कें भी दूटेंगी तथा और भी बहुत नुकसान होंगे। मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि ये कृपया करके यह बताएं कि पैसे की कमी के क्या कारण हैं जबकि ये काम प्राथमिकी पर होने चाहिए ? कुरुक्षेत्र के अंदर के०डी०बी० रोड पर एक नाला है जिसको ढकने के बारे में इस सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था। आज ढाई साल हो गए हैं केवल एक ही बार कही जाती है कि पैसे की कमी है और जब पैसा उपलब्ध होगा तब यह काम करा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस काम के लिए पैसा कब तक उपलब्ध हो जाएगा ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सभा को बताना चाहती हूँ कि 1999 से 2005 तक इन्होंने केवल 223.43 लाख रुपये खर्च किए थे। While we have incurred the expenditure from 2005 to till date has been 3214.29 lacs it is almost 15 times much more than that had been done. Secondly as far as drainage system is concerned apart from the fact that Public Health Department पानी की निकासी का काम नहीं करता that should be done through MANERAGA funds.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इसी प्रश्न के उत्तर में माना है कि पानी निकासने का काम पैसा आने पर पूरा किया जायेगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, he wants to know when will this money come ?

Smt. Kiran Chaudhary : Sir we are awaiting for the funds and I would request the Hon'ble Finance Minister in this regard. Now, what I have been asked on the floor of the House that water is a major priority issue and I think required funds, more funds we should be given and whatever is required for the State can be taken on priority basis. So, I request the Hon'ble Finance Minister that this time we should be given more funds to get a better deal.

Electricity Connections in Dhanies

*1409. **Sh. Jarnail Singh** : Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to release electricity connections and to supply 24 hours Power to all the Dhanies of Ratia Constituency, if so, the time by which the said work is likely to be completed ?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Yes Sir, Connections are being released as per policy but there is no proposal at this stage to supply electricity for 24 hours.

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिसम्बर, 2011 को रतिया हल्के की द्वाणियों को 24 घंटे के आधार पर आर०डी०एस० के तहत बिजली के कनेक्शन देने की घोषणा की थी। जिसमें 5 प्रतिशत पैसा कंजुमर्ज द्वारा दिया जाना था लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस पर कब तक कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी ताकि रतिया हल्के की द्वाणियों में रहने वाले लोगों को बिजली मिल सके ? गांवों की 25 प्रतिशत आबादी द्वाणियों में रहती है, बिजली न होने के कारण वहां बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है और पीने के पानी की समस्या भी रहती है इसलिए जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर कार्यवाही की जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि 10 दिसम्बर, 2011 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि द्वाणियों को आर०डी०एस० के तहत बिजली के कनेक्शन दिए जायेंगे। इस स्कीम के तहत फीडर्ज पर 11 घंटे बिजली देते हैं, 24 घंटे नहीं देते हैं जैसा कि माननीय साथी ने कहा है। इस स्कीम में 22.50 प्रतिशत पैसा एम०पी० लैंड, मिनिस्टर या सी०पी०एस० आदि के कोटे से आना है और 22.50 प्रतिशत पैसा एच०आर०डी०एफ० से लेना है और 5 प्रतिशत पैसा कंजुमर्ज ने देना है तथा 50 प्रतिशत पैसा विभाग ने देना है। जिसमें से केवल 7 कंजुमर्ज का टोटल 45 लाख रुपये आया है जबकि टोटल 231 द्वाणियाँ हैं जिन्होंने एप्लाई किया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो पैसा एम०पी० लैंड से आना चाहिए था वह भी नहीं आया है। क्योंकि इन द्वाणियों को कनेक्शन देने के लिए 260 लाख रुपये खर्च आयेगा जिसमें से 50 प्रतिशत पैसा अर्थात् 130 लाख रुपये के करीबन बनता है। जिसका 65 लाख रुपये एम०पी० लैंड का बनता है अगर यह पैसा आ जायेगा तो 65 लाख रुपये एच०आर०डी०एफ० लोन के रूप में दे देगा और इस समस्या का हल हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने यह फैसला लिया है कि जिन फीडर्ज पर लाइन लोसिज 25 प्रतिशत से कम हैं उन फीडर्ज पर हम चार घंटे अतिरिक्त बिजली देंगे। इससे लाइन लोसिज कम होंगे और बिजली में काफी सुधार भी होगा।

श्री अनिज विज : अध्यक्ष महोदय, द्वाणियों में बिजली के डोमेस्टिक कनेक्शन देने की बात की जा रही है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी नगर पालिकाओं और कारपोरेशंस की सीमाएं बढ़ाई गई हैं जिसके कारण बहुत से गांव उनके अंदर आ गये हैं लेकिन उन गांवों को आज भी ग्रामीण फीडर्ज से ही बिजली दी जा रही है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो गांव अब नगर पालिकाओं या कारपोरेशंस में आ गए हैं वे शहर का हिस्सा हो गये हैं इसलिए वहां बिजली शहरी फीडर्ज से दी जाये?

Mr. Speaker : It's a separate question, no need to reply.

Widening of Bridge on Drain

***1415 Smt. Kavita Jain :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the bridge constructed on Drain No. 6 near Bus Stand in Sonapat City; and
- (b) if so, the time by which the work of widening the aforesaid bridge is likely to be started?

(Sardar Harmohinder Singh Chatha) Irrigation Minister : (a) and (b) Yes, Sir. Haryana Urban Development Authority (HUDA) has requested for framing of estimate for widening the bridge. Work will be taken up within six months of deposit of money by HUDA.

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या इस पुल के लिए पहले भी हुडा विभाग ने ही पैसे जमा करवाये थे। इसके साथ-साथ मैं यह भी पूछना चाहूँगी कि ड्रेन नम्बर 6 पर ही मुख्य रोड के पुल के ऊपर भी काफी भीड़ रहती है। वहाँ पर काफी स्कूल भी हैं जिससे वहाँ पर ट्रैफिक का लोड भी बहुत ज्यादा है। क्या माननीय मंत्री महोदय उसको भी चौड़ा करेंगे? इसी के साथ-साथ इसी ड्रेन पर धानकान बरती और आदर्श नगर को एक पुलिया जोड़ती है। यह पुलिया चार से साढ़े चार फुट चौड़ी है। क्या मंत्री महोदय इस पुलिया को भी चौड़ा करवायेंगे। इसके साथ ही इसी ड्रेन पर बहालमठ रोड पर मेमोरियल हॉस्पिटल के पास का पुल भी लगभग 40 वर्ष पुराना है उसके बाद से ट्रैफिक और जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जिन पुल और पुलियों का मैंने जिक्र किया है क्या मंत्री जी इनको भी कंसीडर करेंगे ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : स्पीकर सर, यह ड्रेन नम्बर 6 पर 20 साल पहले इरीगेशन डिपार्टमेंट ने पुल बनाया था और अब हुडा उस सड़क को डबल करवा रहा है अर्थात् दो मार्गों से चार मार्गों बना रहा है। अब हुडा ने हमें लिखा है कि आप हमारा यह पुल बना दें। हम पुल का निर्माण कार्य जल्दी शुरू कर देंगे। The moment as and when we receive the money, we will start the construction of the bridge.

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, श्रीमती कविता जैन जी ने दो और पुलों की बात कही है उनके बारे में भी बता दें।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : स्पीकर सर, उन दोनों पुलों की बात इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए उनके लिए माननीय सदस्य अलग से नोटिस दें।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूँगी कि ये दोनों पुल इसी ड्रेन पर हैं।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप इसके लिए मंत्री जी को अलग से नोटिस दे दें।

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नीलोखेड़ी हल्के के अंदर से सिरसा ब्रांच गुजरती है और इसमें सीकरी से लेकर रायसेन तक 8 पुल आते हैं जोकि बहुत समय पहले के बने हुए हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मामू राज जी, ये सैपरेट क्वेश्चन है इसलिए इसके लिए आप मंत्री जी को अलग से नोटिस दे दें। (शोर एवं व्यवधान) You may send it to the Minister.

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, यह जो ड्रेनज पर पुलिया बनाने वाली बात है मैं भी इस संबंध में मेरे हल्के के अंदर बनी महम ड्रेन और लाखन माजरा ड्रेन के बारे में बात करना चाहूंगा। मेरे हल्के के बहुत से लोगों के खेत इन दोनों ड्रेन के दोनों ओर पड़ते हैं इसलिए इन दोनों ड्रेन पर भी कई जगह ऐसी पुलियों की जरूरत है क्योंकि उन लोगों के लिए अपने खेतों में जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है जिस कारण उन्हें कई किलोमीटर का चक्कर काटकर अपने खेतों में जाना पड़ता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए भी कोई विशेष प्रावधान बनाकर लोगों को पुलिया की सुविधा मुहैया करवाई जानी चाहिए।

Mr. Speaker : It is a suggestion. The Minister may note down please.

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 08 जून, 2008 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बल्लभगढ़ की एक सभा में दो पुलों को बनाने की घोषणा की थी एक तो तिगांव-बल्लभगढ़ के बीच में जो आगरा कैनाल और गुडगांव कैनाल है इनके ऊपर और दूसरा चंदावली पुल। वर्ष 2008 से 2013 आ गया है। अब पता चला है कि पी०डब्ल्यू०डी० ने इस बारे में जो प्रस्ताव भेजा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी उसने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा को वास्तव में ही निरस्त कर दिया गया है या फिर ये पुल बनेंगे ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : स्पीकर सर, इस सवाल का उस सवाल से कोई संबंध नहीं है इसलिए माननीय सदस्य इसके लिए सैपरेट नोटिस दें।

डॉ० विशान लाल सेनी : स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हमीदा डैड पर एक पुल बनाया गया था जो कि टूट गया था। पुल टूटने के बाद यहाँ से पुल का मलबा भी हटा दिया गया जिसकी अब इक्वायरी चल रही है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस इक्वायरी का क्या फेट है? दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस पुल को दोबारा बनाया जायेगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : स्पीकर सर, इस बारे में मैं अभी दो सवाल और आने वाले हैं इसलिए सेनी जी उस समय अपनी सप्लीमेंट्री पूछ लें।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के बारे में जानकारी ही नहीं है।

Sardar Harmohinder Singh Chatha : Speaker Sir, Hon'ble Member is talking about the P.W.D. bridge. I am Irrigation Minister. (Interruption) I am not bound to know everything. I am not bound to know everything on every subject.

Mr. Speaker : Mr. Gurjar, he is Irrigation Minister. आपको यही नहीं पता है कि इनसे यह सवाल पूछना चाहिए था या नहीं चाहिए था। (विष्णु) गुर्जर साहब, आपको शायद पता नहीं था कि यह सवाल सिंचाई मंत्री जी से संबंधित है या बी० एण्ड आर० से संबंधित है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री० विशन लाल सैनी : सर, हमीदा हैड का पुल भी सिंचाई विभाग से संबंधित ही है। मैंने पुल के बारे में पूछा है और मंत्री जी को इस बारे में पता ही नहीं है। आग्रह नहर पर हमीदा हैड पर पुल टूट गया था मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : सर, यह अलग प्रश्न है या तो माननीय सदस्य इस बारे में अलग से नोटिस दे दें या पुलों से संबंधित दो प्रश्न और भी लगे हुए हैं उनके साथ इनको टेकअप कर लिया जाये।

Shifting of Line

***1421. Shri Bahadur Singh :** Will the Power Minister be please to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the electricity line of 11000 K.V. passing over the school of Hasanpur; and
- whether it is a fact that the village of electricity remains very low in the villages of Kalba, Barahamanwas, Nayan, Dhanwas, Berundal, Gothri, Nayamatpur, Morund etc; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any new sub-station in the said villages to solve the low voltage problem?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

- Yes, Sir.
- At present the villages Kalba, Barahamanwas, Nayan, Dhanwas, Berundal, Gothri, Nayamatpur, Morund are being fed from RDS feeders which are about 70-80% loaded. However, some of these villages experience low voltage problem at times due to long length of the 11 KV feeders. There is a proposal to construct a new 33 KV Sub-station at village Dhakora close to the above villages. On commissioning of Sub-station the load of these villages will be shifted to new Sub-station and voltage to the villages will improve.

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि हसनपुर विद्यालय के ऊपर से गुजरने वाली 11 हजार के०वी० की बिजली लाइन का स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? (ख) मैंने पूछा था कि कालबा, बाहमगवास, नायन, धनवास, बेरुंडल, गोठरी, नयामतपुर तथा मोरुंड गांवों में बिजली वोल्टेज बहुत कम रहती है क्या इस समस्या के समाधान के लिए कोई सब-स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो 11 हजार के०वी० की लाइन कही है यह 11 के०वी० की है जो कि हसनपुर गांव के स्कूल के ऊपर से गुजरती है, इसको हम 3 महीने में शिफ्ट कर देंगे। दूसरी बात इन्होंने कम वोल्टेज की कही है तो इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि दाखोरा गाँव में हम 33 के.वी. का सब-स्टेशन लगाने जा रहे हैं। अगले 4 महीने में हम उसके टैंडर कर देंगे और डेढ़ साल में वहाँ पर 33 के.वी. का सब-स्टेशन स्थापित कर देंगे। माननीय सदस्य ने जिन कालबा, ब्राह्मणावास, नायन, धनवास, बेरूडल, गोठरी, भिशाभतपुर तथा मोरूड आदि गांवों का जिक्र किया है उनको हम उस सब-स्टेशन से जोड़ देंगे जिससे इनकी समस्या का समाधान हो जायेगा और वहाँ पर कम वोल्टेज की समस्या नहीं रहेगी।

मास्टर धर्मपाल ओबरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे गांव में दो स्कूल हैं। एक प्राथमिक पाठशाला है तथा दूसरा सैकेंडरी स्कूल है तथा उनके ऊपर से 33 हजार वोल्टेज की लाइन गुजरती है, क्या मंत्री जी उसको भी शिफ्ट करवायेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहाँ-जहाँ पर मकानों के ऊपर से हाई वोल्टेज की लाइनें जा रही हैं उनके ऊपर हम बोर्ड में कार्यवाही कर रहे हैं। हम उन लाइनों को हटवा देंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ तथा इस बारे में मंत्री जी ने पहले भी हाउस में आश्वासन दिया था कि प्रदेश में जो बिजली के लोहे के पोल लगे हुये हैं तथा जो गरीब हरिजन बस्ती के ऊपर से एच.टी. की लाइनें जा रही हैं, क्या मंत्री जी उनको हटवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : क्या लाइन हरिजन बस्ती के ऊपर से जा रही है ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : सर, उन बस्तियों में बहुत गरीब लोग रहते हैं और अगर वे बोर्ड में जाते हैं तो बोर्ड वाले उनका ऐस्टीमेट बहुत ज्यादा बना देते हैं जिसको वे बहन नहीं कर सकते तथा उसके कारण कई इन्सिडेंट्स हो जाते हैं। क्या सरकार उन लोहे के पोलों को और हाई-टेंशन लाइनों को हटवाने का कोई प्रावधान करेगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो मकान लाल डोरे के अन्दर हैं और महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन हरिजनों को हमने 100-100 गज के प्लॉट दिये हुये हैं उन के ऊपर से अगर एच.टी. की लाइन जा रही है उनको तो बिजली बोर्ड अपने पैसे से शिफ्ट कर देगा। माननीय सदस्य अगर किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में बताते हैं तो हम उनको शिफ्ट कर देंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : सर, मैं किसी विशेष जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूँ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे प्रदेश के बारे में ही बता रहा हूँ। जहाँ लाल डोरे के अन्दर है वहाँ बोर्ड स्वयं अपने खर्चों से हटायेगा और अगर लाल डोरे से बाहर है तो कंज्यूमर को अपने पैसे से हटवानी पड़ेगी। सर, जहाँ पर भी लाल डोरे के अन्दर बने किसी मकान के ऊपर से कोई बिजली की तार जा रही है तो उसकी शिफ्टिंग बोर्ड करेगा।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, मंत्री जी ने लाल डोरे के अन्दर बने मकानों की जो पोजीशन बताई है इससे समस्या का हल नहीं निकलता क्योंकि जितने भी प्लॉट्स कन्सोलिडेशन में कटे हुए हैं वह सारे लाल डोरे के बाहर कटे हुए हैं और वहाँ बिजली की लाइनें बहुत पुरानी हैं। पहले कभी भी बिजली की लाइनें लाल डोरे से बाहर कटे प्लॉट्स से गुजार कर किल्ला लाइन से नहीं लगाई थी लेकिन अब बिजली वाले अपनी मर्जी से वह लाइनें किल्ला लाइन से लगा रहे हैं। सर, अब लोग जब वहाँ पर मकान बनाते हैं तो उनको बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए जहाँ तक प्लॉटिंग है अर्थात् प्लॉट्स कटे हुए हैं वहाँ की लाइन शिफ्टिंग की जिम्मेवारी तो बोर्ड की होगी चाहे ताकि लोगों के सामने कोई दिक्कत ना रहे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, जहाँ पर सरकार ने महात्मा गांधी स्कीम के तहत 100-100 गज के प्लॉट्स काटे हैं वहाँ पर तो हम तार शिफ्ट कर देंगे। अगर आम आदमी अपने खेत में प्लॉट काटकर मकान बनाने लगे तो हम वहाँ की तार शिफ्ट नहीं कर सकते।

श्री आनन्द सिंह दांगी : सर, यह खेतों में कटे प्लॉट्स की बात नहीं है यह तो लोगों के कन्सोलिडेशन में कटे प्लॉट्स की बात है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, जो कन्सोलिडेशन में प्लॉट्स कटे हुए हैं उनकी हम तार शिफ्ट करते हैं। लेकिन जो प्लॉट्स कन्सोलिडेशन में नहीं कटे हुए उनकी हम तार शिफ्ट नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या कोई ऐसी पॉलिसी है कि कन्सोलिडेशन में जो प्लॉट कटे हुए हैं वहाँ पर तारों की शिफ्टिंग की जाएगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : हाँ सर, कन्सोलिडेशन में जो प्लॉट कटे हुए हैं वहाँ पर तारों की शिफ्टिंग तो हम करते हैं लेकिन अगर आम आदमी खेतों में प्लॉट्स काट देते हैं वहाँ पर हम बिल्कुल भी तारों को शिफ्ट नहीं करते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : सर, अगर कोई लाल डोरे के आबादी में बिजली का पोल आता है तो क्या किसी स्कीम के तहत उस बिजली के पोल को आबादी से दूर कर सकते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, जो लाल डोरे के अन्दर बिजली का पोल आता है उसको तो हम दूर करते ही हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : सर, यह किसी भी पॉलिसी में नहीं लिखा कि जो प्लॉट्स कन्सोलिडेशन में कटे हैं, सरकार केवल उनकी ही तारों की शिफ्टिंग करेगी। सर, शिफ्टिंग करने के लिए इतने भारी एस्टीमेट्स बना दिये गए हैं जिनको भरना आम आदमी के बस की बात नहीं है। 100-100 गज के प्लॉट्स तो अब कटे हैं। यह तो एक साल के अन्दर-अन्दर की बात है। कन्सोलिडेशन में जो गांव बसे हुए हैं वह तो बहुत पुरानी लाल डोरे की आबादी है। जो प्लॉट्स लाल डोरे के आबादी से बाहर निकलकर काटे गये हैं वह सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, अगर लोगों ने कन्सोलिडेशन में कटे प्लॉट्स में मकान बना लिए हैं तो वहाँ पर हम शिफ्टिंग कर देते हैं। अगर आम व्यक्ति खेतों में प्लॉट्स काट कर मकान बना लेता है तो वहाँ हम शिफ्टिंग नहीं करते हैं।

श्री जगदीश नायर : स्पीकर सर, मैं तो स्पेशल सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाह रहा था।
श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी आप बैठिए।

Sewerage System in Hodel City

*1426. **Shri Jagdish Nayar** : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

- whether it is a fact that sewerage system is not working in Hodel City; if so, whether any action is likely to be taken against the delinquent officers together with the time by which the sewerage system is likely to be made functional; and
- the time by which the sewerage system is likely to be laid down in the remaining part of the city?

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary) :

- No Sir, the sewerage system in Hodel town is working properly.
- To lay the sewerage system in the remaining part of the town an estimate costing to Rs. 567.10 lacs has been approved on 20.04.2012. The work against this estimate is in progress and will be completed by 31.12.2014.

श्री जगदीश नायर : स्पीकर सर, मंत्री जी ने अंग्रेजी में बोलकर जो जवाब दिया यह सही नहीं है। मैं इनके जवाब को अच्छी तरह से समझ गया। दांगी साहब, भी इनके जवाब को अच्छी तरह से समझते हैं लेकिन जब वोट मांगने जाते हैं तब अंग्रेजी में बोलकर वोट नहीं मांगी जाती। मैं भी बी०ए० पास हूँ मेरी भी क्वालिफिकेशन कोई कम नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरी : सर, मैं हिन्दी में बोल देती हूँ ऐसी क्या बात है?

श्री जगदीश नायर : सर, मेरी समझ में आ गया है जो मंत्री जी ने कहा है। आप अपना उत्तर नहीं मैं ही देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब से कांग्रेस की सरकार आई है होडल शहर में पानी खचाखच भरा रहता है थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो वहाँ से पानी की निकासी भी नहीं होती। सरकार ने जो सीवरेज लगाए हैं उनसे तो हमारी मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि इन सीवरेज सिस्टम को लगाने में आपके अधिकारियों ने अनियमितताएँ बरती हैं वहाँ जो सिस्टम लगाना चाहिए था, वह नहीं लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री जगदीश नायर : सर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। वहाँ पर इन्टरनल सीवरेज अभी तक नहीं लगा है। आपने जो मेम सीवरेज लगाए हुए हैं उसमें भी छोटे पाइप लगा रखे हैं जिससे शहर की और ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है इसलिए सीवरेज सिस्टम इन्टरनल लगाना चाहिए। बरसाती पानी के लिए भी सीवरेज लगाना था, वह भी नहीं लगा। सारा पानी शहर में ही घूमता रहता है। अध्यक्ष महोदय, यह होडल शहर के लोगों की समस्या है। मैं मंत्री जी से जानना

चाहता हूँ कि कब तक इस समस्या का हल किया जाएगा। सन् 2009 से अब तक होडल शहर में पानी इतनी बुरी तरह से खड़ा हुआ है जिससे लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं। वहाँ के लोगों को, विद्यार्थियों को, बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस सिस्टम को किस तरीके से सुधारेगी और जिन अधिकारियों की इसमें गलती रही है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगी?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, it is just a request to you.

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि इनका जो अनकवर्ड एरिया है वह अब केवल मात्र थोड़ा सा ही रह गया है। 10 किलोमीटर तक हमने उसमें सीवरेज लाइन डाल दी है और बाकी जो काम रह गया है उसे 31.12.2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसके लिए 567.10 लाख का एस्टीमेट एप्रूव हो चुका है जिसमें से 25 लाख रुपये पहले ही दे दिये गये हैं और इस बार और 25 लाख रुपये हम इनको देने जा रहे हैं। माननीय सदस्य बिल्कुल फिक्र मत कीजिये। आपका सीवरेज सिस्टम हम पूरी तरह से दुरुस्त करवायेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कहीं अनियमितता बरती गई है और किसी अफसर ने सही काम नहीं किया है तो आप उस अधिकारी के खिलाफ मुझे लिख कर दे दीजिये हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही मैं सदन को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसाकि हमारे माननीय विधायक साथी ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि वहाँ पर पानी सड़कों पर खुले आम पड़ा रहता है तो इनकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2005 तक 326.2 लाख रुपये ही खर्च किये गये थे। अब हमारी सरकार आने के बाद हरेक टारुन के अन्दर, हरेक जगह पर सीवरेज फैसिलिटी को यूनिफॉर्म बेसिस पर दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) हमने 79.87 लाख रुपये यानी साढ़े पाँच गुणा ज्यादा पैसा इनके इलाके में दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. विशान लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सैनी साहब, आपको पहले ही बोलने की परमिशन दी जा चुकी है और अब आप फिर बार-बार खड़े हो रहे हो? आपका यह आचरण आपके व्यविलत्व को शोभा नहीं देता है।

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से तीन-चार बार जब भी विधान सभा के सत्र चले, कालका के सीवरेज के सिस्टम के बारे में माननीय मंत्री महोदय जी से पूछा था और इन्होंने बाकायदा मुझे कहा भी था कि आप अपनी प्रॉब्लम लिखकर दें। मैंने कालका में सीवरेज सिस्टम की खराब हालत के बारे में लिखकर भी दिया था। वहाँ पर सीवरेज के पानी की निकासी का कोई भी प्रबन्ध नहीं किया गया है। टिखी भीड़ल्ले में सीवरेज सिस्टम का बहुत बुरा हाल हो चुका है। यह सीवरेज सिस्टम कब तक ठीक होगा इस बारे में मंत्री महोदय बतायें?

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, यह एक अलग क्वेश्चन है, कालका के सीवरेज सिस्टम का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है ?

श्री प्रदीप चौधरी : मैडम, मैंने इसके बारे में आपको लिखकर भी दिया था और मेरा हाउस के अंदर क्वेश्चन भी लगा था ?

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी सदस्य को बताना चाहूंगी कि मेरे पास इस संबंध में कुछ भी लिखित में नहीं आया है।

Construction of New Bus Stand

*1433. Shri Phool Singh Khari : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Bus Stand in Guhla Cheeka Constituency is not functioning and is in a dilapidated condition; if so, whether there is any proposal to construct a New Bus Stand in Guhla Cheeka?

Industries Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री फूल सिंह खेड़ी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी सेशन में यह प्रश्न लगाया था कि गुहला चीका निर्वाचन क्षेत्र में बस अड्डा चौक से दो किलोमीटर दूर पड़ता है। आज यह बस अड्डा बिल्कुल खराब हालत में पड़ा हुआ है। वहाँ पर दिन रात पशु चरते हैं। न वहाँ पर कोई प्राइवेट बसें जाती हैं और न कोई सरकारी बस वहाँ पर जाती है। वहाँ चौक पर ही सारी बसें खड़ी होती हैं, जिससे पब्लिक को परेशानी होती है। अतः मैं केवल यही बात मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी जगह देखकर के नया बस अड्डा बनाया जाये?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय साथी सदस्य ने बताया कि यह बस अड्डा चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यह बस अड्डा चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है।

श्री फूल सिंह खेड़ी : स्पीकर सर, आने-जाने की दूरी तो 2 किलोमीटर बन जाती है। (हंसी)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं फूल सिंह खेड़ी की इस बात से जरूर सहमत हूँ कि आने-जाने में यह दूरी 2 किलोमीटर बन जाती है। (हंसी) चूंकि माननीय साथी मेरे गवांडी भाई भी हैं इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य से यह बस अड्डा आपकी ही सरकार के समय में सन् 1990 में बनाया गया था। यह बस अड्डा वास्तव में बहुत दूर बनाया गया है। जब इण्डियन नेशनल लोकदल ने अपने शासनकाल में यह बस अड्डा बनाया था तो उस समय आप लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए था कि हम यह बस अड्डा इतना दूर क्यों बना रहे हैं। आपको गुहला-चीका के लोगों की दिक्कत के बारे में सोचना चाहिए था। सर, यह सच बात है कि गुहला-चीका शहर के मंडी मार्केट के लोग बिल्कुल मंडी के नजदीक से ही बसिज में चढ़ते हैं। माननीय साथी सदस्य की यह मांग जायज है और इन्होंने जो समस्या बताई है वह वाकई में एक जेनुअन समस्या भी है। लेकिन उस पूरे इलाके के अंदर कोई ऐसी खाली जगह नहीं है जहाँ पर बस अड्डे का निर्माण किया जा सके। पहले भी चौधरी फूल सिंह खेड़ी जी ने यह प्रॉब्लम लिख कर दी थी। हमने इसे ऐगजाभिम भी करवाया था और इसके साथ ही साथ वहाँ की नगरपालिका से यह मांग लिख कर भी आई थी, तब भी यह बात ऐगजाभिम करवाई गई थी। मंडी एरिया के अन्दर 5-6 एकड़ की कोई भी ऐसी ओपन जगह मौजूद नहीं है। बढ़ते शहरीकरण की

वजह से ही छोटे कस्बों में यह समस्या आती है इसी तरह कई और शहर भी हैं जहाँ यह समस्या मौजूद है। उच्चाना में यह एक पुरानी समस्या है। वहाँ पर भी बस अड्डा हमने बनाया है। राजौंद के अन्दर भी कुछ समय से यह समस्या मौजूद है। कलायत में पहले जब बस अड्डा नहीं होता था तब यह समस्या मौजूद थी। श्रीमती गीता भुक्कल वहाँ से विधायक हुआ करती थी उस समय हमने वहाँ पर जो बस अड्डा बनाया था वह इस तरह बनाया था कि यह शहर के सेंटर में ही बने। जुलाना में भी इसी तरह की समस्या फेस की जा रही है। कई और ऐसे शहर भी हैं जहाँ पर बस अड्डा जब कंसीव किया गया था तो वह दूर कर लिया गया था। वीका का यह बस अड्डा शहर से एक किलोमीटर के करीब दूर है और बढ़ते शहरीकरण के चलते यह बस अड्डा अरुण इरसोमाल होभा फिर भी हम पैसिजर्ज की सुविधा के लिए इस बस अड्डे के अलावा जहाँ से ज्यादातर सवारियां बढ़ती हैं वहाँ भी उन सवारियों के लिए बस सुविधा हो जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। वैसे तो माननीय सदस्य फूल सिंह खेड़ी भी वहाँ के भागरिक हैं, मैं भी वहाँ से हूँ। रामपाल माजरा जी भी वहाँ से हैं। खेड़ी जी इस बात को जानते हैं कि 5-6 एकड़ की जगह आज के दिन शहर के बीचों बीच नहीं है।

श्री विनोद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अंबाला सिटी में जो रेगिजस्ट्रिंग बस स्टैंड था वह कई वर्ष पहले ही गिरा दिया गया था ताकि नया बस अड्डा बन सके। नये बस स्टैंड के लिए वहाँ जमीन ऐक्वायर कर ली गई लेकिन उसके बावजूद भी कई वर्ष गुजर चुके हैं लेकिन उस बस स्टैंड पर काम शुरू नहीं हुआ है। मुझे पता चला है कि पी.पी.पी. के तहत जो स्कीम बनाई गई थी उसमें उस बस स्टैंड को बनाया जाएगा। *But it has not been taken up.* अभी तक न तो उसका टेंडर हुआ है और न ही उसके बारे में किसी ने कोई रिस्पॉंस दिया है। बारिश के दिनों में यात्रियों को बाहर खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है, धूप में भी खड़ा होना पड़ता है जिससे उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड के लिए जमीन है लेकिन बस स्टैंड नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि कब तक उस बस स्टैंड के निर्माण के काम को शुरू किया जाएगा और यह कब तक कंप्लीट हो जाएगा? क्या सरकार मुझे इस बात का भी विश्वास दिलाएगी कि जो पी.पी.पी. स्कीम है उससे तो एक किस्म से प्राइवेट लोग आएंगे और अपनी अपनी कमाई करेंगे इसलिए क्या उसको स्केप किया जाएगा और कितने समय में यह बस अड्डा बन जाएगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो पी.पी.पी. बस स्टैंड के ऐक्वायर्सन की स्कीम है उसको अभी स्केप करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सम्मानित सदस्य ने अंबाला सिटी के बस स्टैंड की चर्चा की है, पी.पी.पी. स्कीम को बी.ओ.टी. बेसिज पर कंसीव किया गया है और माननीय सदस्य ने ठीक फर्माया है कि 17 एकड़, 2 कनाल और 4 मरले जमीन इसके लिए पोजेशन में है उसके साथ 5 कनाल 4 मरले जमीन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्रांसफर करनी है। *in the meanwhile* चीफ आर्किटेक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उसकी ड्राइंग बनाने के लिए भेज दिया है जैसे ही उसकी ड्राइंग पूरी हो जाएगी और अगर माननीय सदस्य की सहमति की जरूरत पड़ी और जरूरत हुई तो इस स्कीम को पी.पी.पी. स्कीम से निकाल कर सरकार ही इसको टेकअप कर लेगी। एक बार ड्राइंग बनकर आ जाए उसके बाद मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को माननीय सदस्य जी के पास भेज दूँगा ताकि वे इसके साथ चर्चा कर लें और मुख्यमंत्री जी से इसकी जरूरी अनुमति ले लें।

श्री विनोद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने सहमति की बात कही है मैं अभी से अपनी सहमति दे देता हूँ कि इसको पी.पी.पी. से बाहर निकाल कर जल्दी से जल्दी इस बस स्टैंड को बनाया जाए।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मैंने पिछले दो सत्रों के दौरान भी माननीय मंत्री जी से पूछा था और आज भी पूछना चाहता हूँ कि पुन्हाना विधान सभा में कोई बस स्टैंड नहीं है। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि पुन्हाना का बस स्टैंड विचाराधीन है यदि ऐसा है तो अब तक उस पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ है और अगर नहीं है तो उसका क्या कारण है ?

श्री रणवीर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पंचायत विभाग से इसके लिए जमीन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मांगी थी। उन्होंने 8 कनाल 1 मरले जमीन मार्किट रेट पर होडल, नगीना, पुन्हाना कोटवाला रोड पर दी थी और यह शर्त भी लगा दी थी कि उसके चारों तरफ पंचायत समिति को दुकानें बनाकर उनको सेल करने की इजाजत दी जाए। आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस तरह की किसी शर्त को नहीं स्वीकार कर सकता क्योंकि उससे बस स्टैंड के आस पास काफी कंजेशन होगी। हमने पंचायत विभाग को इस बारे में लिखा है कि उनकी यह शर्त कि चारों तरफ पंचायत समिति दुकान बना ले, हमें मन्जूर नहीं है। उसके बाद हमारे विभाग ने यह निर्णय ले लिया है कि डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक सूटेबल कमेटी बना ली जाए। अगर जरूरत हो तो इस जमीन को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐक्वायर कर लेगा। इस प्रश्न की मौजूदा स्थिति यही है।

Construction of Under Bridge and Railway Track

***1438. Shri Devender Kumar Bansal :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct under Bridge and Railway Track in Sector 19, Panchkula, if so, the time by which these are likely to be constructed?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी स्वयं भी पंचकूला के रहने वाले हैं और पंचकूला में ही इनका निवास स्थान है। पंचकूला का सैक्टर-19 एक सबसे बड़ा मेन सैक्टर है और सारी इण्डस्ट्रीज सैक्टर 19 के पास ही हैं। वह एरिया पंचकूला का सबसे पापुलेटिड एरिया है। सबसे बड़ी समस्या वहां यह है कि वह एरिया पंजाब से लगता है इसलिए पंजाब का ट्रैफिक भी वहां से होकर गुजरता है। It is alone sector which is connected with the Punjab. हरियाणा का पंचकूला और पंजाब का सारा ट्रैफिक इस इलाके से निकलता है। इसलिए वहां पर एक-एक दो-दो घण्टों तक जाम लगा रहता है। इन सब हालात को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी प्रार्थना पर और लोगों की रिक्वेस्ट पर 300 करोड़ रुपये पंचकूला के विकास के लिए मन्जूर किए थे अगर उनके साथ ही 300 करोड़ रुपये और लग जायेंगे तो सैक्टर 19 की जो ट्रैफिक की कंजेशन की समस्या है वह उससे सोल्व हो जायेगी। इन सभी हालात को देखते हुए सैक्टर 19 की रेलवे क्रॉसिंग लाइन पर ओवर ब्रिज बनाया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, बन्सल साहब ने इस बारे में मुझे एक पत्र लिख कर भी भेजा था। हमने ओवर ब्रिज बनाने के लिए उस मामले को थोरो एग्जामिन भी करवाया। जिस जगह पर बन्सल साहब रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए कह रहे हैं उस जगह से मात्र 600 मीटर की दूरी में एन.एच. 22 पर पहले ही एक आर.ओ.बी. बना हुआ है इसलिए 600 मीटर की दूरी पर दूसरा ओवरब्रिज बनाना संभव नहीं है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि within 600 metre it is not possible दूसरा सम्मानित सदस्य ने यह कहा कि अगर ओवरब्रिज नहीं बनाया जा सकता तो अन्डर ब्रिज बना दिया जाए। हमने उस बात के लिए भी मामले को एग्जामिन करवाया। सैक्टर-19 की आबादी का इलाका मैंने भी देखा है वहां पर बहुत ही कन्जैरिटेड एरिया है और ओवर ब्रिज बनाने के लिए कम से कम 250-300 मीटर क्लीयर राइट ऑफ वे इसके लिए हमें चाहिए। इसके लिए हमने काँशियस डिस्मिशन लिया कि हम किसी भी घर को नहीं गिरायेंगे और न ही बने हुए घरों को ऐक्वायर करेंगे अगर वहां पर ओवर ब्रिज बनाना पड़े तो बहुत सारे घरों को गिराना पड़ेगा क्योंकि इसमें लैंड एक्विजिशन इन्वोल्व्ड है। अगर अण्डर ब्रिज के बारे में भी आप देखें तो that was also examined सर. पंचकूला शहर का पूरा डलान सैक्टर 19 की इस रेल लाइन की तरफ है इसलिए वहां पर आर.यू.बी. बनाना कामयाब नहीं हो पायेगा। जब भी कभी यकायक शरिश होगी तो पूरा पानी प्राकृतिक बहाव के कारण उसी तरफ आता है और वहां पर कोई न कोई एक्सीडेंट होने का और पानी के भरे रहने का तथा ड्रेनेज न होने का परमानेंट भय बना रहेगा। इसलिए वहां पर आर.यू.बी. बनाना टेक्नीकली अनफिजीबल पाया गया है।

श्री अध्यक्ष : बन्सल साहब, मंत्री जी के उत्तर में आपके सवाल का सारा जवाब आ गया है अगर फिर भी आप और सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आर.ओ.बी. एन.एच.-22 पर बनाया गया है उससे हमारे सैक्टर 19 का कोई कन्सर्न नहीं है क्योंकि वह आर.ओ.बी. न तो हरियाणा प्रान्त में बना है और न ही पंचकूला में बना है That exists in Punjab. Moreover, जो आर.ओ.बी. पंजाब में बना है उसी के कारण पंजाब में सारे ट्रैफिक का कन्जेशन होता है और आगे चलकर हरियाणा के पंचकूला के सैक्टर 12 और 12-ए में ट्रैफिक का कन्जेशन क्रिएट हुआ है उस आर.ओ.बी. से पंचकूला का कोई कन्सर्न नहीं है। That ROB exists in the land of Punjab. जो अण्डर ब्रिज बनाने के बारे में मैंने पहले सबमिट किया था। हमारी सरकार ने नदियों में भी पुल बनाये हैं तो अगर सैक्टर 19 में कोई डीप पुल बना दे तो मैं समझता हूँ कि आजकल टेक्नीक ऐसी आ गई है कि इस प्रकार का पुल बनाया जा सकता है। इसलिए इस बारे में दोबारा से मामले को डीपली कन्सीडर किया जाए।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आर.यू.बी. के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी कांस्टीच्यूएन्सी के गांव चिड़ोद और देवा दो ऐसे गांव हैं कि सारी आबादी एक तरफ है और जो पब्लिक एम्प्लिटीज सरकार द्वारा दी गई है वह सारी दूसरी तरफ रह जाती है। सारे खेत दूसरी तरफ हैं और पहले यह एक सिंगल लाइन थी जोकि अब ब्रॉडगेज लाइन बन गई है। अब कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इन दोनों आर.यू.बीज. को बनायेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इस बारे में लिखकर भेज दें। इनकी समस्या वाजिब है। इसलिए हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। अगर आर.ओ.बी. किसी वजह से पोसीबल नहीं होता तो मेन फाटक के पैसे भी कई बार हम जमा करवा देते हैं इसलिए इस बारे में भी एग्जामिन करवा लेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट इसको कंसीडर करेगी कि वह मेन फाटक चलाने का सारा पैसा वहन कर ले। अध्यक्ष महोदय, हम ये दोनों बातें एग्जामिन करवा लेंगे।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में लिख कर दे दिया है और इनके पास रिटन में आ गया है। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रेलवे से मंजूरी लेकर बकायदा एस्टीमेट्स बनाकर आपके ऑफिस में भेज दिया गया है इसलिए आप इसको देख लें।

श्री अनिल धन्तौड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक आर.ओ.बी. का काम चालू किया गया है लेकिन दूसरी तरफ एक आर.ओ.बी. की और आवश्यकता है। मदनपुर-मोहनपुर रेलवे फाटक जो है उसके दूसरी तरफ मेरी कॉस्टीच्यूएन्सी बंटी हुई है। वहां लगभग 60 गांव हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि मदनपुर-मोहनपुर के फाटक पर कोई आर.ओ.बी. बनाया जाए ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भेज दें। मैंने कल भी इस बारे में सारा डेटा सदन के पटल पर रखा है कि जब से हमारी सरकार ने कार्य भार सम्भाला है तब से बहुत ज्यादा संख्या में बड़ी स्पीड से आर.ओ.बीज, और आर.यू.बीज, बनाए जा रहे हैं। माननीय सदस्य की डिमांड पर एक आर.ओ.बी. का काम आलरेडी शुरू कर दिया गया है। सम्मानित सदस्य को मालूम है कि इसके लिए 50 परसेंट कॉस्ट रेलवे वहन करता है और फाइनेली यह रेलवे में एप्रुवल के लिए जाता है। हमने अपना नेक्स्ट वर्क प्रोग्राम बनाकर रेलवे को भेज दिया है। इसलिए आप लिख कर भेज दें हम इसको प्रिफ्रेंशियली एग्जामिन करवा लेंगे।

Opening of I.T.I.

***1455. Shri Krishan Lal Kamboj :** Will the Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an ITI in village Kharia; if so, the time by which the said ITI is likely to be opened?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : No, Sir.

श्री कृष्ण लाल कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, खारिया बहुत बड़ा गांव है। माननीय मुख्यमंत्री जी रानिया गाँव गए थे। वे वहाँ आई.टी.आई. और स्टेडियम बनाने की घोषणा करके आए थे। 6 महीने से हमारी जमीन खाली पड़ी है क्योंकि हमारे पास निर्देश आया था कि जल्दी ही आई.टी.आई. बनने वाला है इसलिए उस जमीन का ठेका भी नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे वहाँ आई.टी.आई. और स्टेडियम का काम शीघ्र अति शीघ्र शुरू करवाया जाए।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, It is a demand.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य ने खारिया में आई.टी.आई. खोलने के लिए कहा है जिसका प्रपोजल विधायक नहीं है। वैसे तो जिला सिरसा में 4 सरकारी आई.टी.आई. चल रही हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद 25 मार्च, 2012 को रानिया में आई.टी.आई. बनाने की घोषणा की थी। खारिया गांव डिस्ट्रिक्ट सिरसा के रानिया ब्लॉक में पड़ता है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि रानिया में आई.टी.आई. बना देंगे इसलिए रानिया आई.टी.आई. को एस्टब्लिश करने के लिए 304 सीट की कंपैसिटी की एपूवल मिल चुकी है। 40 कॅनल लेण्ड म्युनिसिपल कमेटी ने विभाग को दे दी है और इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग बन रही हैं। मैं हमारे सम्मानित सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगी कि खारिया की जगह ब्लॉक रानिया में आई.टी.आई. बना देंगे जोकि इनकी जरूरतों को पूरा कर देगी। खारिया रानिया ब्लॉक से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है।

श्री कृष्ण लाल कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि मैंने स्टैडियम के बारे में भी बात कही है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि यह प्रश्न आई.टी.आई. का है। इस समय आई.टी.आई. और स्किंग मैन पावर बनाना सरकार की जिम्मेवारी में शामिल है। हमने हरियाणा में करीबन इस समय 31 नई आई.टी.आई. स्टार्ट की हैं और 22 वी.आई.टी. शुरू की हैं। 2005 के बाद 53 नई आई.टी.आई. बनाई गई हैं। 1999 से 2004 तक केवल 5 ही आई.टी.आई. थी। स्किंग मैन पावर की ओर हम पूरा जोर दे रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आदर्श मंत्री जी जो कह रही हैं उसमें मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। सिरसा के दूसरे साथी भी यहां बैठे हुए हैं। कल रेल बजट में हरियाणा के साथ साथ सिरसा को बहुत सी ट्रेनों के जुड़ाव का तोहफा मिला है, वहीं रेल मंत्री जी ने सिरसा में एक रिकल्ड डिवेलपमेंट सेंटर शेलवे की तरफ से बनाने का निर्णय लिया है ताकि हमारे यहां के बच्चों को और ज्यादा रोजगार मिल सके। (इस समय मेजें थप-थपाई गई।)

Plantation of Plants/Trees

*1486. **Shri Prithi Singh Nambardar :** Will the Forest Minister be pleased to state—

- (a) the total number of plants/trees planted in Indri constituency during the period from 01-04-2005 till date; and
- (b) the total number of plants/trees surviving as on today alongwith the detail of officials/persons who are responsible for looking after the same?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, a Statement is laid on the Table of the House.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि स्टेटमेंट लगी हुई है लेकिन स्टेटमेंट कहीं नहीं लगी हुई।

डा. अशोक कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस अवधि में कितने पेड़ काटे गये और क्या वे पेड़ काटने जरूरी थे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न प्लांटेशन से संबंधित है यह काटने की बात कहीं से आ गई। अध्यक्ष महोदय, इनके समय में 1999 से लेकर 2004-05 तक जो प्लांटेशन की जाती थी उसका सरवाइवल रेट 40 से 50% था और जो हमारे समय में प्लांटेशन की गई है, जो हमने स्टेटमेंट दी है उसमें दिखाया हुआ है कि हमारे समय में सरवाइवल रेट 60 से 90 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि पहले जहाँ हम किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांटेशन के लिए प्लांट्स देते थे उनका कोई रिकार्ड नहीं होता था अब हमने फैसला लिया है कि इस तरह के पेड़ हम किसानों की जमीन पर स्वयं लगवायेंगे ताकि उसका रिकार्ड रखा जा सके।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि विवरण विधान सभा के पटल पर रखा जाता है लेकिन विवरण नहीं लगा हुआ है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि 2005 में अम्बाला में पौधारोपण हुआ था जिसमें करीबन 20 से 25 करोड़ रुपये का घपला हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी विजीलेंस को जांच दी थी। वह विजीलेंस की जांच पूरी हुई है या नहीं और इसमें जो दोषी अधिकारी थे उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामपाल माजरा : सर, पेड़ों से रिलेटिड प्रश्न है और उसी से संबंधित मैंने पूछा है कि पेड़ लगाये दिखाये गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उसकी विजीलेंस की इन्क्वायरी चल रही है और जैसे ही रिपोर्ट आयेगी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, विजीलेंस की रिपोर्ट आ चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker: Whatever is being spoken by Mr. Vij without my permission not to be recorded.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी इस प्रकार की बात करके गलत कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Incident of Cylinder Explosion

***1482. Shri Kali Ram Patwari :** Will the Chief Minister be pleased to state whether an incident of cylinder explosion occurred in Pillukhera Mandi (Safidon Constituency) on 08.12.2012, and a boy Saurabh sacrificed his life to save the life of 11 persons of the locality; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to give financial assistance and award to the bereaved family of the boy for showing bravery and courage?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Survejala) : Yes Sir, such an incident did occur at Pillukhera on 08.12.2012. Financial assistance of Rs. 2.00 lac has already been given to the family of Late Saurabh out of Chief Minister's Relief Fund. Late Sh. Saurabh was also honoured posthumously on the occasion of Republic Day 26 January, 2013 at Jind.

The matter regarding bravery award is under consideration of the Government.

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि दो लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का काम सरकार ने किया है। मैं सबसे पहले मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उस परिवार ने दो लाख रुपये लिये हैं और दूसरा मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक 22 साल का लड़का जिसने बहादुरी दिखाते हुए 11 जायें बचाई और खुद शहीद हो गया क्या उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जायेगी या उसके नाम से कोई शहीद स्मारक बनाने का काम सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त जिस परिवार में यह घटना हुई उसका करीबन 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है क्या उस परिवार को सरकार आर्थिक सहायता देने का काम करेगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात दुरुस्त है ये बिलकुल सच कह रहे हैं कि श्री सौरभ ने बड़ी बहादुरी से कार्य किया और उनके इस बहादुरी के कार्य से अनेकों जायें बचीं। जैसा कि मैंने बताया श्री सौरभ की इस वीरता और वीरगति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री सौरभ के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये की राशि भेजी थी। मैं यह चेक कर लूंगा लेकिन जहां तक मुझे याद है, उसके मुताबिक मैं जानकारी दे रहा हूँ कि जिन परिवारों को नुकसान हुआ था उन परिवारों को भी दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से भेजी गई है। इसके साथ-साथ हमने श्री सौरभ को 26 जनवरी, 2013 को मुख्य उपरांत गणतन्त्र दिवस पर सम्मानित किया है। गवर्नमेंट यह भी कंसीडर करेगी कि श्री सौरभ का केस प्राइम मिनिस्टर ब्रेवरी अवार्ड के लिए भी भेजा जाये। यह केस इस समय गवर्नमेंट की एक्टिव कंसीडरेशन में है। इसके अतिरिक्त माननीय साथी ने एक और अच्छा सुझाव दिया है। अगर माननीय साथी पिल्लूखेड़ा मण्डी के दूसरे साथियों से बात कर लें और वहां पर अगर कोई जगह उपलब्ध करवाई जाये और दूसरे माननीय साथी जो कि वहां के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, की भी सहमति हो तो जहां पर ये उचित समझेंगे वहाँ पर श्री सौरभ का शहीदी स्मारक, जैसा कि माननीय साथी ने मांग रखी है, उसको लगाने में सरकार की सहमति है। अगर इस काम के लिए एक्सट्रा राशि की आवश्यकता पड़ी तो सरकार उसका प्राथम्य भी करवा देगी।

श्री कलीराम पटवारी : स्पीकर सर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि क्या उस परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम किया जायेगा लेकिन मंत्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जिस परिवार के अंदर यह विस्फोट हुआ उसका लगभग 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। क्या सरकार उस परिवार को भी कोई आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। स्पीकर सर, यह बात मैं आपके नोटिस में भी लाना चाहूंगा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये की राशि दी गई लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि उस परिवार ने इस दो लाख रुपये की राशि को स्वीकार नहीं किया है। इस परिवार के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जींद में मिले थे उस समय उन्होंने 35 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की थी लेकिन सरकार ने उनके लिए केवल दो लाख रुपये की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर देने के आदेश दिये जो कि उस परिवार ने स्वीकार नहीं की है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वीरता की कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती और न ही जान की कीमत पैसे से आंकी जा सकती है। जैसा उस नौजवान ने बहादुरी का काम किया था वह वाकई में ही सराहनीय है। जहां तक आर्थिक सहायता की बात है अगर हम इस प्रकार से कीमते आंके तो इस देश के करोड़ों-करोड़ों शहीदों ने जिन्होंने जंग-ए-आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या उनकी जान की कीमत कोई आंक सकता है। करोड़ों रुपये देकर भी हम उस बच्चे की जान को वापस लेकर नहीं आ सकते। इसलिए जब माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को उस नौजवान की बहादुरी के बारे में पता चला तो केवल एक सम्मान के तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष से वह राशि उनको भिजवाई थी। इसके अतिरिक्त जिनका इस हादसे में नुकसान हुआ उन परिवारों को भी वह राशि भिजवाई थी।

श्री कलीराम पटवारी : स्पीकर सर, इस बारे में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा सरकार की तरफ से राशि सिर्फ श्री सौरभ के परिवार के लिए भिजवाई गई थी न कि उन परिवारों के लिए भी जिनका नुकसान हुआ है। अगर मंत्री जी चाहें तो इसका रिकार्ड निकलवा कर चेक करवा सकते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने यह बात माननीय साथी को पहले ही कह दी थी। इसके साथ-साथ इन्होंने यह सुझाव दिया कि उनकी यादार्त और सम्मान बना रहे इस बारे में भी मैंने इनको पहले यह कहा कि अगर ये वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों से राय ले लेंगे तो उनका बरत लगवाने का जो कार्य है वह भी सरकार करने को तैयार है।

To Increase Old Age and Handicapped Pension

*1471. **Shri Krishan Pal Gurjar :** Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase old age, handicapped and widow pension?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : वृद्धावस्था सम्मान भला योजना

जी हों, श्रीमान

विकलांक एवं विधवा पेंशन

जी नहीं, श्रीमान।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का आधार क्या है? सरकार इसको कितनी बढ़ाने जा रही है और कब तक बढ़ाने जा रही है?

श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि सरकार ने हमेशा ही बुजुर्गों के मान-सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है। चाहे वह पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का मामला हो या फिर 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने का मामला हो। इस समय जो ओल्ड एज पेंशन है उसमें जो पेंशनधारक 01.03.1999 से पहले सरकारी रिकार्ड में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए 700 रुपये प्रति मास निर्धारित हैं। जो पेंशनधारक 01/99 के बाद से सरकारी रिकार्ड में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए 550 रुपये प्रति मास निर्धारित हैं। इसी प्रकार से जो पेंशनधारक 01 अप्रैल, 2010 के बाद सरकारी रिकार्ड में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए 500 रुपये निर्धारित हैं। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि Government has increased the rate under the scheme 500/- per month to 550/- w.e.f. 1st April, 2011. अब हम 1 अप्रैल, 2012 से 550/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 600/- रुपये प्रतिमाह कर रहे हैं। हमने इसको बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक हम वृद्धावस्था पेंशन का एरियर भी देंगे। इस समय हरियाणा में 500/- रुपये पेंशन पाने वाले 81937 लाभार्थी हैं। 550/- रुपये वृद्धावस्था सम्मान पेंशन पाने वाले 993531 लाभार्थी हैं तथा 700/- रुपये प्रति माह पेंशन पाने वाले 292229 लाभार्थी हैं तथा कुल मिलाकर 1267697 लाभार्थी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत जिन श्रमिकों की केवल 2 लड़कियाँ ही हैं उनको 60 साल की बजाय 45 साल की उम्र में ही दोनों को पेंशन दी जाती है। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल एक और घोषणा की थी जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। कुछ ऐसे बच्चे जो 100 प्रतिशत विकलांग हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं ऐसे 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को भी वित्तीय सहायता के रूप में 700/- रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रहे हैं।

Supply of Water in the Dadupur Nalvi Canal

*1446. **Shri Bishan Lal Saini :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

- the time by which water is likely to be supplied in Dadupur Nalvi canal; and
- the phase upto which work of the aforesaid canal is in progress togetherwith the amount incurred on the aforesaid canal in the budget of financial year 2011-2012?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) :

- (a) Sir, water was supplied in Dadupur Nalvi Canal Project during the rainy season of 2011 and 2012.
- (b) Phase-II of this project is in progress and an expenditure of Rs. 1278.98 lacs has been incurred during the financial year 2011-12.

डॉ. बिरशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में भी माना है कि इस योजना के दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है, अभी पूरा नहीं हुआ है। यह जो नहर में पानी जाने की बात कर रहे हैं तो उस नहर में रेलवे लाईन के नीचे से अंडरपाथ बनकर पानी जायेगा। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या मंत्री जी उसमें 2 महीने लगातार पानी चला देंगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि जो दादूपुर-शाहबाद-नलवी कैनल प्रोजेक्ट है इसमें शाहबाद फीडर और शाहाबाद डिस्ट्रीब्यूट्री 100 प्रतिशत सम्प्लीट है। इसके ऊपर पानी निकालने के लिए एक रेलवे पुल बनना है और एक तरफ से हम पानी निकाल रहे हैं। इसके अलावा नलवी डिस्ट्रीब्यूट्री के बारे में मैंने नहीं कहा कि यह काम सम्प्लीट हो चुका है। इसका 75 परसेंट काम हुआ है और हमने पिछले साल दोनों में पानी चलाया था और उससे पिछले साल भी पानी चलाया था। स्पीकर सर, इसमें सिर्फ एक बात है कि इसमें अभी तक मोचे नहीं बने हैं, जैसे ही मोचे बन जायेंगे तो इसमें रेगुलर पानी चलेगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Members now the Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of ITI

*1521. **Shri Raghuvir Singh Tewatia :** Will the Industrial Training Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of ITI is laying incomplete in village Fatehpur Biloch; if so, the time by which the aforesaid ITI is likely to be completed?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : हाँ, सर, यह कार्य पी०डब्ल्यू०डी० विभाग के अनुबन्ध समझौते के अनुसार लगभग दिनांक 27.01.2014 तक पूर्ण हो जायेगा।

Up-gradation of School

*1542. **Shri Ghanshyam Dass Garg :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Government Girls School of village Devsar up to 10+2 class as the Girls students of the village have to go to 8 kilometer away to Bhiwani for study; if so the time by which the said school is likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : नहीं श्रीमान जी।

Construction Work of Dadupur Nalvi Canal

***1514. Shri Rajbir Singh Barara :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that construction work of bridge on Shahabad-Saha road, Railway Siphon in village Kulpur and Siphon of Markanda River on the Dadupur Nalvi Canal has not yet been completed; and
- (b) if so, the time by which the works referred to in part (a) above are likely to be completed?

सिचाई मंत्री (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा) :

(क) तथा (ख) श्रीमान जी, नलवी डिस्ट्रिक्टबूट्री के शाहबाद-साहा सड़क पर पुल और मार्कण्डा नदी पर साईफन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परन्तु गांध कुलपुर के पास रेलवे पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 30.06.2013 तक पूरा हाने की सम्भावना है।

To Give Reward of Nirmal Gram

***1498. Shri Ram Pal Majra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give reward of "Nirmal Gram" to the village Panchayats under the Complete Sanitation Campaign in the State
- (b) if so, the district-wise number of villages which have been rewarded during the period from year 2008 till date together with the details of activities of the programme; and
- (c) whether any complaints of misappropriation and irregularities of funds have been received under the sanitaiton campaign?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हाँ श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(अ) हाँ श्रीमान जी, निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक एक योजना है जो कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, जिसका नाम 01-04-2012 से निर्मल भारत अभियान रखा गया है, को गति प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2003 में आरम्भ की गई थी तथा पुरस्कार प्रथम बार 2005 में दिए गये थे। ये पुरस्कार उन पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाते हैं जो कि पूर्ण स्वच्छता प्राप्त कर चुकी हों एवं सभी स्कूल एवं आँगनवाड़ी केन्द्र शौचालय सुविधाओं से आच्छादित हों तथा पंचायत क्षेत्र में सामान्य स्वच्छता हो।

मुख्य मन्त्री [श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

(ब) वर्ष 2008 से जिलावार पुरस्कार प्राप्त करता ग्राम पंचायतों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	जिला	निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों की संख्या (वर्षों में)			
		2008	2009	2010	2011
1	अम्बाला	07	04	12	49
2	भिवानी	36	02	08	16
3	फरीदाबाद	0	02	05	3
4	फतेहाबाद	93	06	13	0
5	गुड़गाँव	02	0	0	0
6	हिसार	52	06	01	11
7	झज्जर	39	04	03	23
8	जींद	34	08	03	08
9	कैथल	07	03	0	09
10	करनाल	14	36	0	26
11	कुरुक्षेत्र	108	08	132	50
12	महेन्द्रगढ़	45	0	01	02
13	मेवात	0	0	0	05
14	पलवल	0	0	0	0
15	पंचकुला	03	0	0	0
16	पानीपत	18	15	0	30
17	रिवाड़ी	31	0	0	01
18	रोहतक	02	02	0	07
19	सिरसा	270 व 1 खण्ड	07	06	0
20	सोनीपत	01	07	11	22
21	बमुनानगर	36	21	64	68
	कुल	798 व 1 खण्ड	131	259	330

कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं।

स्वच्छता सुविधाओं के मांग पैदा करने हेतु ग्रामीणों में जागरूकता लाने हेतु विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आई०ई०सी०) की गतिविधियाँ की जाती हैं। सभी क्रियान्वयन कर्ताओं जिनमें पंचायती राज संस्थाओं के चुने गये प्रतिनिधि भी शामिल हैं हेतु क्षमतावर्धन प्रशिक्षण गतिविधियाँ की जाती हैं। बी०पी०एल० एवं पड़चाने गए ए०पी०एल० परिवार अपने घरेलू शौचालय का निर्माण का कार्य स्वयं करते हैं तथा उन्हें शौचालय बनाने के ईनाम के तौर पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है तथा शेष बचे ए०पी०एल० परिवार को शौचालय बनाने हेतु प्रेरित किया जाता है। स्कूल एवं आँगनवाड़ी शौचालय का निर्माण किया जाता है। आवश्यकता अनुसार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जाता है तथा ठोस एवं तरल कचरे के प्रबन्धन सम्बन्धित गतिविधियाँ की जाती हैं।

(स) हाँ, जिला कैथल से योजना के तहत मिसएप्रोप्रिएशन का एक मामला रिपोर्ट हुआ है। उपायुक्त कैथल द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1948/सी०ओ०/सी०ई०ए०, दिनांक 29-4-2012 द्वारा डीआरडीए के लिपिक श्री इन्द्रजीत द्वारा धनराशि के मिसएप्रोप्रिएशन बारे एक रिपोर्ट भिजवाई है तथा उसके विरुद्ध कैथल में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। सूचना प्राप्त होने पर, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से सम्बन्धित रिकार्ड चेक करवाया गया तथा 1,37,93,120/- रुपये की राशि का मिसएप्रोप्रिएशन किया पाया गया तथा इसके अतिरिक्त 1,50,000/- रुपये की धन राशि के सस्पेंडिड गबन बताया गया जिसका रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। सरकार को उनके खिलाफ जो वहाँ जिम्मेदार पाए गए/उस समय के दौरान पदस्थ रहे, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ किए जाने हेतु रिपोर्ट भेज दी गई है। कैथल में हुई घटना के मध्यमजर पूरे राज्य का स्पेशल आडिट करने बारे आदेश दिए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार की अनियमितता दूसरे जिलों में नहीं हुई हों तथा भविष्य में इस प्रकार की मिसएप्रोप्रिएशन की पुनरावृत्ति पर रोक लगे। अतिरिक्त उपायुक्त कैथल द्वारा इस मामले की वर्तमान स्थिति द्वारा उनके पत्रांक 2/5 दिनांक 18.2.2013 द्वारा अवगत करवाया गया है, जो निम्न अनुसार है।

1. श्री इन्द्रजीत (मिलम्बित) लेखाकार माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत पर है तथा माननीय न्यायालय कैथल में न्यायिक कार्यवाही जारी है। सुनवाई की अगली तारीख 18.3.2013 है।
2. अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में अभी तक चौथे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
3. इस केस से सम्बन्धित रिकार्ड अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

Energy Cost Per Unit

*1406 Shri Krishan Lal Panwar : Will the Power Minister be pleased to state-----

- (a) how many times and how much amount in chronological order of the energy cost per unit has been revised during FY 2011-12 and 2012-13 (up to January, 31) on account of fuel surcharge adjustment (FSA);

[Shri Krishan Lal Panwar]

- (b) in what ratio blending of imported and indigenous coal is being done in the power plants located in Haryana together with plant-wise details thereof; and
- (c) the plant-wise details of expenditure incurred for procurement of imported coal in the State?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान, सूचना माननीय सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

- (ए) ईंधन अधिभार संयोजन (एफ०एस०ए०) के कारण प्रति यूनिट ऊर्जा की लागत विल वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में चार बार संशोधित की गई है। श्रेणीवार राशि अनुबन्धन पर है।
- (बी) हरियाणा में स्थापित विद्युत प्लांटों में स्वदेशी कोयला और आयातित कोयले के सम्मिश्रण का अनुपात :-

क्र. सं.	थर्मल प्लांटों के नाम		सम्मिश्रण अनुपात % में	
			आयातित कोयला	देशी कोयला
1.	पानीपल थर्मल पावर प्लांट, पानीपल	यूनिट-I से IV	20%	80%
		यूनिट-V से VIII	15%	85%
2.	राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़, हिसार		15%	85%
3.	दीनबन्धु छोटू राम थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यमुनानगर		15%	85%
4.	महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट (एम०जी०एस०टी०पी०पी०), झज्जर		15%	85%

- (सी) वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 (जनवरी 2013) के दौरान राज्य में आयातित कोयले के खरीदने के लिए किए गए खर्च का विवरण प्लांट वार निम्न प्रकार है :-

- (1) ह०वि०उ०नि०लि० प्लांटस :-

क्र. सं.	थर्मल प्लांटों के नाम	किया गया खर्च (रुपए करोड़ों में)	
		वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
		(जनवरी 13 तक)	
1.	पानीपल थर्मल पावर प्लांट, पानीपल	116.10	139.92
2.	राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़, हिसार	261.56	205.26

1	2	3	4
3.	दीनबन्धु छोटू राम धर्मल पावर प्रोजेक्ट. यमुनानगर	351.14	33.21
योग		728.80	378.39

(II) महात्मा गांधी सुपर धर्मल पावर प्लांट (एम०जी०एस०टी०पी०पी०), झज्जर :-

आयातित कोयले के साथ स्वदेशी कोयले का सम्मिश्रण नवम्बर, 2012 में प्रारम्भ किया गया है। आयातित कोयले के समीकरण का मासिक ऊर्जा प्रभार में आयातित कोयले के सम्मिश्रण का प्रभाव सम्भिलित होगा जोकि अभी दिए जाने हैं।

अनुबंध

मार्च 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान एफ०एस०ए० में श्रेणी बार बढ़ोतरी

सभी आंकड़े प्रति यूनिट पैसे में हैं

क्र.	उपभोक्ताओं की श्रेणी	दिनांक 01.08.2011	दिनांक 01.08.2011	दिनांक 01.07.2012	दिनांक 01.09.2012
		वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	घरेलू (एल०टी०)				
	प्रतिमास 40 यूनिट तक	5 (31.01.2012 तक)	5	12	17
	प्रतिमास 41 से 250 यूनिट	5 (31.01.2012 तक)	5	19	28
	प्रतिमास 251 से 400 यूनिट	251 से 300 यूनिट के लिए 8 पैसे तथा 31.01.2012 तक 301 यूनिट तथा इससे ऊपर तक के लिए 8 पैसे	251 से 300 यूनिट के लिए 5 पैसे तथा 301 यूनिट तथा इससे ऊपर के लिए 7 पैसे	23	33
	प्रतिमास 401 तथा इससे ऊपर यूनिट	8 (31.01.2012 तक)	7	24	35
2.	गैर घरेलू				
	5 कि.वा तक (एलटी)	--	7	24	33
	5 कि.वा. से ऊपर तथा 20 कि.वा. तक (एल.टी.)	--	7	24	34
	20 कि.वा. से ऊपर तथा 50 कि.वा. तक (एल.टी.)	--	7	24	41
	50 कि.वा. से ऊपर तथा 70 कि.वा. तक धर्ममान उपभोक्ता (एल.टी.)	--	7	24	43
	50 कि.वा. से ऊपर उपभोक्ता (एच.टी.)	--	7	24	35

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6
3.	एच.टी. उद्योग (50 कि.घा. से ऊपर)				
	11 के.वी. पर सप्लाई	—	7	27	35
	33 के.वी. पर सप्लाई	—	7	27	35
	66 के.वी. या 132 के.वी. पर सप्लाई	—	7	27	35
	220 के.वी. पर सप्लाई	—	7	27	35
	400 के.वी. पर सप्लाई	—	7	27	35
	आक फरनेसिज/स्टील रोलिंग मिल्स यदि सप्लाई 11 के.वी. पर है	—	7	27	35
4.	एल.टी. उद्योग (50 कि.घी. तक)				
	20 कि.घी. तक	31.01.2012 तक 8	7	25	33
	20 कि.घी. से ऊपर 50 कि.घी. तक	31.01.2012 तक 8	7	25	41
	50 कि.घी. से ऊपर 70 कि.घी. तक वर्तमान उपभोक्ता (एल.टी.)	31.01.2012 तक 8	7	25	44
5.	कृषि				
	मीटर सहित : (i) 15 बी.एच.पी. तक मोटर के साथ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) 15 बी.एच.पी. से ऊपर मोटर के साथ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	मीटर सहित (रुपये/प्रति बी.एच.पी./मास): (i) 15 बी.एच.पी. तक मोटर के साथ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) 15 बी.एच.पी. से ऊपर मोटर के साथ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	सार्वजनिक जलघर		7	24	35
7.	लिफ्ट सिंचाई	31.01.2012 तक 8	7	26	35
8.	एम.आई.टी.सी.		7	26	33
9.	रेलवे क्षेत्र				
	11 के.वी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	25	36
	33 के.वी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	25	36
	66 के.वी. या 132 के.वी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	25	36
	220 के.वी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	25	36

1	2	3	4	5	6
10.	श्री.एम.आर.सी. 66 के.पी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	21	32
	132 के.पी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	21	32
11.	बल्क सप्लाई एल.टी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	28	35
	11 के.पी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	28	35
	33 के.पी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	28	35
	66 के.पी. या 132 के.पी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	28	35
	220 के.पी. पर सप्लाई	31.01.2012 तक 8	7	28	35
12.	बल्क सप्लाई चरेलू (11 के.पी. पर 70 कि.बी. तथा इससे ऊपर या इससे ऊपर बोल्डेज)	31.01.2012 तक 8	7	18	35
13.	स्ट्रीट लाइटिंग	--	7	21	31
14.	स्वतंत्र हीडिंग/सजावटी लाइटिंग	--	7	--	45

Crime Incidents Related to Women

*1320. **Shri Parminder Singh Dhull** : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of incidents of crime related to women including murder, rape, eve-teasing, theft, etc. reported in the State in the current financial year together with the district-wise breakup thereof?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

वर्तमान वित्तीय वर्ष में महिलाओं से सम्बन्धित हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, चोरी आदि जैसी आपराधिक घटनाओं के बारे में विवरण तालिका 'क' पर और इस सम्बन्ध में जिलावार विवरण तालिका 'ख' पर दर्शाया गया है:-

तालिका 'क'

वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य में दर्ज हुए अभियोगों की संख्या

क्र.संख्या	अपराध का शीर्ष	01-04-2012 से 14-01-2013 की अवधि के दौरान दर्ज हुए अभियोगों की संख्या
1	2	3
1	महिलाओं की हत्या	148
2	दहेज हत्या	221
3	बलात्कार	566

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3
4	शालीनता भंग	493
5	छेड़छाड़	428
6	महिलाओं का अपहरण	789
7	पति द्वारा अत्याचार	2631
8	महिलाओं से चोरी	50
कुल योग		5326

तालिका 'ख'

जिलावार विवरण

क्र. सं.	जिला	01-04-2012 से 14-01-2013 की अवधि के दौरान दर्ज हुए अभियोगों की संख्या								
		महिलाओं की संख्या	दहेज हत्या	वलात्कार	शालीनता भंग	छेड़छाड़	महिलाओं का अपहरण	पति द्वारा अत्याचार	महिलाओं से चोरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुड़गांव	5	12	28	18	20	33	128	2	252
2	फरीदाबाद	8	7	38	27	70	67	154	4	375
3	पंचकुला	3	7	21	14	8	25	46	5	129
4	अम्बाला	6	6	22	23	11	45	163	0	276
5	अम्बाला पेहाल	4	1	13	15	3	19	78	0	134
6	करनाल	15	20	61	52	25	39	186	1	399
7	यमुनानगर	6	7	24	17	11	43	119	0	227
8	कुरुक्षेत्र	4	11	21	20	28	25	11	0	120
9	केथल	5	4	14	14	10	28	102	2	180
10	हिसार	19	11	17	34	27	83	266	1	458
11	सिरसा	8	5	26	21	3	59	131	1	254
12	भिवानी	15	19	33	45	20	44	166	1	343
13	जीन्द	6	13	33	25	12	33	107	1	230
14	फतेहाबाद	6	2	11	9	5	29	105	1	168
15	रोहतासी	0	11	20	18	24	15	84	0	172
16	पलवल	7	12	25	19	12	25	89	0	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	नारनील	4	10	17	24	16	14	61	0	146
18	मेवात	1	4	42	14	3	14	124	0	202
19	रोहतास	6	9	25	21	13	21	125	6	228
20	कोनीपत	8	28	30	22	16	41	151	1	297
21	पानीपत	3	11	29	18	11	63	121	0	256
22	झज्जर	6	6	15	15	12	16	114	0	184
23	रेलवे पुलिस	2	5	1	7	62	7	0	22	106
योग		148	221	566	493	428	789	2631	50	5326

Construction of Roads

*1504. **Shri Subhash Chaudhary** : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the time by which the following kacha link roads of Palwal Constituency are likely to be metalled:—

- (i) Vanta to Raidaska
- (ii) Surtapur Mor to Kamrawali via Tikri Gurjar and Arya Nagar;
- (iii) Kakroli to Karna;
- (iv) Lalwa to Karna; and
- (v) Vadka to Bhawana?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : ये राजस्व विभाग के कच्चे रास्ते हैं तथा उन पर सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

To Open Government College

*1493. **Shri Raj Pal Bhukari** : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College in Sadhaura Constituency as there is no Government College at present?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल) : नहीं, श्रीमान् जी।

अतारंकित प्रश्न एवं उत्तर

Shifting of Jail

272. **Shri Sampat Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state:—

- (a) whether there is a proposal under consideration of the Government to shift the District Central Jail, Hisar out of the congested city area; and

[Shri Sampat Singh]

- (b) if so; the details of the steps taken in this direction together with the time by which the abovesaid Jail is likely to be shifted?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

- (क) जी नहीं।
 (ख) इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Construction and Widening of Road

282. Shri Hari Chand Middha : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state:—

- (a) whether there is a proposal under consideration of the Government to reconstruct and to widen the road from Ch. Devi Lal Chowk to Bhiwani road up to Bye-pass of Jind city which has been damaged completely:
 (b) if so; the time by which the road referred to in part (a) above is likely to be re-constructed and widened?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

- (क) श्रीमान् जी, यह दो भागों से बना है।
 (i) चौधरी देवी लाल चौक से रेलवे फाटक भाग को चार-मार्गीय नहीं किया जा सकता क्योंकि भूमि की चौड़ाई अपर्याप्त है तथा आबादी क्षेत्र के कारण अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करना असम्भव है।
 (ii) रेलवे फाटक से भिवानी सड़क को बाईपास तक सड़क को चार-मार्गीय करना विचाराधीन है। वास्तव में सड़क का यह भाग माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा नं० 5504 के अन्तर्गत आता है।
 (ख) (i) प्रश्न ही नहीं उठता।
 (ii) इस सड़क को 30.06.2014 तक चार-मार्गीय करने की संभावना है।

Recognized Wildlife Sanctuaries

287. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Forest Minister be pleased to state the number of recognized wildlife sanctuaries, forests and national parks in the State togetherwith the total expenditure incurred by the State Government for their maintenance and upkeep?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान् जी, आप द्वारा मांगी गई सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूचना
मान्यताप्राप्त वन्य जीव विडियाघर

क्र.सं.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी विहार/संरक्षण आरक्ष का नाम	(खर्चा रुपए लाखों में)	
		2011-12	2012-13 (1/2013 तक)
राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी विहार			
1.	सुलतानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुडगाँव	56.62	18.28
2.	कलेसर राष्ट्रीय उद्यान/कलेसर वन्य प्राणी विहार, यमुनानगर	7.60	38.64
3.	बीड़ शिकारगाह वन्य प्राणी विहार, पंचकूला	7.80	शून्य
4.	खोल-हाय-रायतन वन्य प्राणी विहार, पंचकूला	9.79	शून्य
5.	छिलछिला वन्य प्राणी विहार, कुरुक्षेत्र	शून्य	शून्य
6.	नाइड वन्य प्राणी विहार, रेवाड़ी	1.40	36.68
7.	अबूबशहर वन्य प्राणी विहार, सिरसा	11.20	शून्य
8.	भिण्डावास वन्य प्राणी विहार, झज्जर	25.08	3.49
9.	खण्डावास वन्य प्राणी विहार, झज्जर	शून्य	शून्य
संरक्षण आरक्ष:			
1.	सरस्वती संरक्षण आरक्ष, कैथल	5.35	9.00
2.	बीड़-बड़ा-वन संरक्षण आरक्ष, जीन्द	शून्य	2.00
कुल जोड़		124.84	110.09

Veterinary Hospitals in Badhra Constituency

375. Col. Raghbir Singh : Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state:—

- the number of Veterinary Hospitals in Badhra Constituency together with the details of the places where these Hospitals are situated;
- the total staff sanctioned and the number of doctors and the staff posted in the abovesaid Veterinary Hospitals at present; and
- whether there is any shortage of staff in the abovesaid Veterinary Hospitals, if so, the time by which the requisite staff is likely to be posted therein?

कृषि मंत्री (श्री परमवीर सिंह) : श्रीमान जी. उत्तर भिन्नानुसार है:-

- जिला भिवानी के बाढ़ड़ा विधान सभा क्षेत्र में 13 राजकीय पशु चिकित्सालय हैं, जो- बाढ़ड़ा, बधवाना, श्रीशुकला, बेरला, कादमा, पिचोपा खुर्द, मांढी पिरानु, हरोदी, गुडाना कलां, काकरोली सरदारों, धिड़िया, मकराना और महराना में स्थित हैं।

[श्री परमधीर सिंह]

उपरोक्त राजकीय पशु चिकित्सालयों के अतिरिक्त इस विधान सभा क्षेत्र में 37 राजकीय पशु औषधालय हैं, जो-बिलावल, मांढी केहर, हुई, उमरवास, लधारका, रयाम कलां, पिचीपा कलां, कड़ी रुपा, लाड़, मांडवा, नन्धा, गोपी, चादवास, आर्यनगर, खोरदा, जेवली, डगशोली, गोपालवास, धनेसरी, नौरगवास ठकरान, बादल, रामलवास, रामबास, बलाली, कलियाणा, दाधी बाना, धूधवा, चनदेनी, पालड़ी, चांगरोड़, मौड़ी, बलकारा, टिकनकलां, गोथरा, गाशोला, मनडोला तथा खेड़ी बूरा में स्थित हैं।

(ख) श्रीमान् जी, जिला भिधानी के बाढ़ड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय पशु चिकित्सालयों में कुल स्वीकृत तथा पदस्थ अमले का विवरण निम्न अनुसार है:-

क्रम संस्था	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	पशु चिकित्सक	13	10	03
2.	खण्ड स्तर विस्तार अधिकारी	01	01	--
3.	पशुधन विकास सहायक	14	09	05
4.	पशु प्रीचर	13	08	05
5.	स्वीपर-कम-चौकीदार	13	02	11
	कुल	54	30	24

(ग) हां, श्रीमान् जी, पशु संस्थाओं में विशेषकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है। पशु प्रीचर के 1034 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। स्वीपर-कम-चौकीदार के 1650 पदों की भर्ती की प्रक्रिया 2013-2014 में शुरू की जाएगी। पशुधन विकास सहायक के 350 रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 2013-14 में नियुक्ति हेतु भेज दिया गया है तथा पशु चिकित्सकों के 88 पदों की भर्ती हेतु प्रस्ताव शीघ्र ही हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा।

Number of Cases of Kidnapping, Abduction etc.

297. **Shri Anil Vij** : Will the Chief Minister be pleased to state:—

- the district wise, year wise, number of cases of kidnapping, abduction, dowry, theft, dacoity and murder registered in the State from the 1st April, 2011 till date; and
- the number of cases out of those referred to in part (a) above in which accused have been arrested?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

भाग (क) एवं (ख)

अपहरण

समय	1.4.2011 से 31.12.2011		1.1.2012 से 31.12.2012		1.1.2013 से 31.1.2013	
जिला	दर्ज मुकदमें	मुकदमों में गिरफ्तारी	दर्ज मुकदमें	मुकदमों में गिरफ्तारी	दर्ज मुकदमें	मुकदमों में गिरफ्तारी
अम्बाला-पंचकुला	9	5	69	8	9	2
गुड़गावा	28	13	41	16	6	2
फरीदाबाद	14	14	16	19	4	0
करनाल	12	4	41	22	8	7
समुनागर	13	4	45	3	9	0
कुरुक्षेत्र	22	4	23	11	1	0
केथल	7	6	20	1	5	0
हिरार	24	16	38	19	2	1
सिरसा	10	4	34	12	4	0
भिवानी	15	7	28	18	1	0
जीन्त	5	0	17	6	3	0
फतेहाबाद	4	4	20	14	1	1
रिवाड़ी	14	10	20	13	1	1
धरमशाल	51	16	14	14	1	0
नारनौल	12	11	10	2	1	0
मेवात	16	13	14	6	2	1
रोहतक	15	7	23	14	1	1
सोनीपत	7	3	13	10	0	0
थानीपत	62	36	67	33	3	1
झज्जर	16	6	17	16	0	0
रेलवेज	0	0	10	0	0	0
कुल	356	182	580	256	62	17

नोट: वर्ष 2011 से अपहरण के मामलों में आसामन्य वृद्धि का कारण भारतीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुलिस को जब भी मुग हुए व्यक्ति के बारे सूचना प्राप्त होती है तो अपराधिक मामला दर्ज किया जाता है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

अपनयन

समय	1.4.2011 से 31.12.2011		1.1.2012 से 31.12.2012		1.1.2013 से 31.1.2013	
जिला	दर्ज मुकदमों में	मुकदमों में गिरफ्तारी	दर्ज मुकदमों में	मुकदमों में गिरफ्तारी	दर्ज मुकदमों में	मुकदमों में गिरफ्तारी
अम्बाला-पंचकुला	34	14	72	26	16	1
गुरुग्राम	13	5	11	4	0	0
फरीदाबाद	56	51	87	7	3	0
करनाल	3	3	62	12	22	0
समुानगर	30	14	38	21	6	2
कुरुक्षेत्र	4	2	9	2	0	0
केथल	16	2	18	4	3	0
हिसार	59	44	76	38	12	2
शिरसा	41	25	55	29	3	2
भियाणी	18	12	45	22	5	1
जीन्द	17	8	40	11	5	3
फतेहाबाद	14	11	29	20	8	1
रियाड़ी	0	0	0	0	0	0
पलवल	3	1	33	0	3	2
नारनौल	21	16	15	10	1	0
मेवात	1	1	1	1	0	1
रोहतक	11	10	12	11	0	0
सोनीपत	34	18	49	13	5	0
पानीपत	13	7	20	12	2	0
झज्जर	9	5	19	16	1	1
रेलवेज	2	0	0	0	0	0
कुल	399	249	691	259	95	16

नोट: वर्ष 2011 से अपनयन के मामलों में आसामय वृद्धि का कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुलिस को जब भी गुम हुए व्यक्ति के बारे सूचना प्राप्त होती है तो अपराधिक मामला दर्ज किया जाता है।

दडेऑ

सडड	1.4.2011 से 31.12.2011		1.1.2012 से 31.12.2012		1.1.2013 से 31.1.2013	
ऑलल	दरुऑ डुकदडें	डुकदडों डें गलरडतारी	दरुऑ डुकदडें	डुकदडों डें गलरडतारी	दरुऑ डुकदडें	डुकदडों डें गलरडतारी
अडुडललल-डडडकुलल	207	95	283	160	16	5
गुडुगलडल	89	74	150	85	7	2
डरीडलडलड	167	94	205	214	17	11
डरुडलल	128	110	204	200	19	0
डडुडलललल	141	103	122	107	3	3
कुडकुषुड	68	24	111	61	7	0
कुषुडलल	97	49	127	67	6	2
डलललल	193	101	312	207	93	5
डलरडल	143	68	159	77	11	2
डललललल	81	55	179	118	18	10
डुडुड	69	44	114	64	11	4
डडुडुडुडुड	72	36	125	78	8	6
डललललुडुड	75	6	102	10	5	0
डललललल	60	14	107	38	9	2
डलरडुडुड	66	57	78	72	3	3
डुडुडुड	100	17	169	15	9	1
डुडुडुडुड	99	90	144	120	6	6
डुडुडुडुड	133	86	185	141	13	7
डुडुडुडुड	124	78	136	87	11	8
डुडुडुड	84	83	135	98	2	5
डुडुडुडुड	0	0	1	0	0	0
कुल	2196	1287	3148	2019	274	82

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

चोरी

समय	1.4.2011 से 31.12.2011		1.1.2012 से 31.12.2012		1.1.2013 से 31.1.2013	
जिला	दर्ज मुकदमों में	मुकदमों में गिरफ्तारी	दर्ज मुकदमों में	मुकदमों में गिरफ्तारी	दर्ज मुकदमों में	मुकदमों में गिरफ्तारी
अम्बाला-पंचकूला	930	421	1194	357	84	26
गुडगांधा	2639	243	3529	408	316	16
फरीदाबाद	1271	459	1819	537	146	12
करनाल	624	449	1049	508	70	25
समुनागर	360	100	437	161	29	7
कुशीन	525	131	598	165	36	3
कैथल	271	68	336	85	23	7
हिसार	930	231	1115	387	93	29
सिरसा	676	233	477	151	30	4
मिथानी	512	100	701	119	45	4
जीन्द	467	102	544	108	65	6
फतेहाबाद	201	63	339	105	12	2
रियाड़ी	471	82	703	88	41	4
पलवल	524	75	627	108	42	4
नारनौल	424	129	292	137	19	3
मेथल	321	61	486	38	42	4
शेहसक	676	147	759	171	53	17
सोनीपत	570	213	817	193	54	6
पानीपत	699	92	895	156	56	8
झज्जर	354	109	451	62	27	4
रेलवेज	422	152	430	194	31	7
कुल	13767	3720	17598	4236	1314	198

डकैती

समय	1.4.2011 से 31.12.2011		1.1.2012 से 31.12.2012		1.1.2013 से 31.1.2013	
जिला	दर्ज मुकदमें	मुकदमों में गिरफ्तारी	दर्ज मुकदमें	मुकदमों में गिरफ्तारी	दर्ज मुकदमें	मुकदमों में गिरफ्तारी
अम्बाला-पंचकुला	3	3	5	1	2	1
गुडगांधा	10	8	34	23	0	0
फरीदाबाद	7	5	10	10	0	0
करनाल	7	3	8	8	0	0
धनुषानगर	3	3	2	2	0	0
कुश्नक्षेत्र	7	5	1	1	0	0
कैथल	5	3	2	1	0	0
हिसार	8	7	6	4	0	0
सिरसा	3	2	6	4	0	0
भिधानी	11	7	8	5	1	1
जीन्द	0	0	7	6	0	0
फतेहाबाद	3	3	2	2	0	0
रियाड़ी	8	4	25	17	2	0
पलवल	4	1	10	3	0	0
नारनौल	9	9	12	12	0	0
मेवात	3	2	26	12	2	2
रोहतक	8	3	8	3	0	0
सोनीपल	3	2	12	9	1	0
पानीपल	11	10	8	7	0	0
झज्जर	6	5	10	4	0	0
रेलवेज	6	6	2	2	0	0
कुल	125	91	204	135	8	4

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

हत्या

समय	1.4.2011 से 31.12.2011		1.1.2012 से 31.12.2012		1.1.2013 से 31.1.2013	
जिला	दर्ज मुकदमें	मुकदमों में गिरफ्तारी	दर्ज मुकदमें	मुकदमों में गिरफ्तारी	दर्ज मुकदमें	मुकदमों में गिरफ्तारी
अम्बाला-पंचकूला	53	40	41	19	1	1
गुड़गाँवा	65	41	82	43	8	0
फरीदाबाद	40	40	71	71	3	3
करनाल	33	33	59	59	6	6
समुनागर	38	27	24	16	1	1
कुरुक्षेत्र	29	19	26	20	0	0
केथल	28	20	30	21	3	2
हिसार	56	42	76	57	2	2
तिरुणा	37	31	27	22	4	3
मिर्चानी	55	42	81	58	3	2
जीन्द	38	27	50	41	6	6
फतेहाबाद	23	19	17	15	1	0
रियाड़ी	34	29	31	24	3	2
पलवल	35	2	43	6	2	1
नारनौल	26	34	39	39	2	1
मेवात	22	21	12	8	0	0
रोहतक	60	59	59	60	1	1
श्रीनीपत	64	53	86	61	7	5
पानीपत	40	28	47	33	7	3
झज्जर	43	43	64	55	4	4
रेलवेज	22	12	26	4	2	1
कुल	841	662	991	732	66	44

Grant Released for Rural Development

301. Smt. Kavita Jain : Will the Chief Minister be pleased to state the year-wise and block-wise details of amount of grant released for the development works during the period from year 2005 to 2012?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी. सदन के पटल पर विवरण रखा है।

विवरण

ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग एवं एच.आर.डी.एफ.ए. बोर्ड, हरियाणा

(रुपये लाखों में)

जिला	ब्लॉक	2005- 06	2006- 07	2007- 08	2008- 09	2009- 10	2010- 11	2011- 12	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अम्बाला	अम्बाला-I	668.30	538.49	815.22	2017.55	2270.82	1945.95	1724.58	9980.91
	अम्बाला-II	388.04	588.78	720.91	901.13	738.52	654.81	250.52	4242.70
	बराड़ा	294.73	565.46	851.96	1722.41	1011.23	928.58	421.94	5796.32
	नारायणगढ़	228.80	251.22	569.47	1197.32	715.50	741.31	704.77	4408.38
	साहा	208.38	199.81	553.94	1193.65	771.63	576.48	356.96	3860.84
	शहजादपुर	191.85	331.22	480.12	1490.32	627.47	740.57	639.41	4500.95
	जोड़	1980.10	2474.97	3991.61	8522.37	6135.17	5587.70	4098.18	32790.10
	मिथानी	बाड़ड़ा	286.03	439.85	563.29	1205.08	1096.77	741.98	1059.76
बयानी खेड़ा		293.78	452.88	435.03	457.65	679.73	706.08	983.43	4008.57
बहल		117.23	195.96	407.69	261.78	318.69	494.25	415.71	2211.31
मिथानी		479.47	1388.15	2330.02	2567.74	1154.21	1642.78	2259.35	11821.72
दादरी-I		356.52	551.22	2061.79	772.53	1300.55	1018.83	1194.36	7255.80
दादरी-II		338.22	676.41	1997.01	824.77	1490.41	1098.00	907.27	7332.08
कैला		186.54	413.80	435.05	521.43	837.25	774.53	1036.91	4205.49
लीलाक		232.05	272.51	441.28	343.92	506.48	601.30	339.20	2736.73
सिवानी		185.18	356.12	427.62	396.28	722.16	921.89	779.94	3789.20
शोशाम		268.58	462.99	1894.26	754.00	908.94	1077.06	1524.48	6890.31
जोड़		2743.60	5209.89	10993.04	8105.19	9015.18	9076.68	10500.41	55643.99
फरीदाबाद	बल्लामगढ़	422.26	580.91	665.45	728.42	618.53	1259.68	859.91	5135.15
	फरीदाबाद	1094.93	366.94	547.33	692.72	632.10	1040.47	1853.62	6228.11
	जोड़	1517.19	947.85	1212.78	1421.14	1250.62	2300.16	2713.53	11363.26

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
फतेहाबाद	मट्टू अला	282.67	444.12	579.32	456.92	369.82	933.22	966.14	4032.20
	भूना	225.20	472.25	374.91	525.51	602.70	703.86	710.35	3614.79
	फतेहाबाद	384.98	515.98	624.65	722.59	1006.16	972.93	1769.66	5996.95
	जाखल	137.42	227.17	334.22	916.52	456.37	435.86	439.18	2946.74
	रसिया	420.61	322.58	620.02	806.14	1206.22	1047.11	2558.64	6981.33
	ढीहाना	354.52	448.56	562.72	576.28	663.55	842.43	571.74	4019.80
	जोड़	1805.40	2430.66	3095.84	4003.95	4304.82	4935.41	7015.71	27591.80
गुडगाँव	फारुखनगर	282.78	166.18	370.55	293.90	525.39	739.50	624.04	3002.34
	गुडगाँव	399.92	403.13	746.87	346.25	769.04	652.03	476.07	3793.31
	पटौदी	424.47	249.96	503.01	350.57	468.72	911.35	553.93	3462.01
	सोहना	318.17	226.37	464.35	494.29	537.21	1125.82	1235.84	4402.05
	जोड़	1425.33	1045.64	2084.78	1485.02	2300.37	3428.70	2889.88	14659.71
हिसार	आदमपुर	363.08	301.45	432.46	526.24	538.92	968.60	1093.43	4224.17
	अयोड़ा	348.38	373.12	928.73	980.95	482.06	695.55	872.11	4680.90
	बरधाला	351.86	791.55	594.47	1131.05	1055.88	1008.79	1622.79	6556.39
	हॉसी-I	450.21	756.70	691.98	1412.25	540.49	1062.58	1837.78	6751.98
	हॉसी-II	234.11	372.90	729.96	996.41	364.28	493.40	893.03	4084.10
	हिसार-I	455.32	352.93	1308.48	1456.38	1050.67	1571.10	1750.86	7945.73
	हिसार-II	338.85	387.66	610.92	932.30	552.35	858.77	1398.59	5079.43
	नारनींद	295.52	250.87	455.25	722.01	473.58	1057.91	1546.13	4801.27
	उकलाना	283.99	285.15	960.40	768.90	955.03	1072.35	1237.34	5563.15
	जोड़	3121.32	3872.32	6712.66	8926.47	6013.24	8789.04	12252.06	49687.13
झज्जर	बहादुरगढ़	806.14	3334.03	1533.17	1851.32	2959.41	2096.18	3046.02	15626.27
	बेरी	757.62	1344.91	1206.19	1578.30	1762.98	1059.51	2138.51	9848.02
	झज्जर	701.51	1150.95	6553.14	4048.86	2253.82	1869.55	2082.05	18659.88
	मानमहेल	492.57	807.19	574.03	1368.32	1572.03	944.63	2079.48	7838.25
	आहलाबास	352.87	647.11	527.36	1294.74	940.52	581.26	1695.14	6039.01
	जोड़	3110.71	7284.19	10393.90	10141.54	9488.75	6551.13	11041.21	58011.43
जीन्द	अलेया	120.80	314.72	518.56	418.69	478.07	496.18	708.09	3055.12
	जीन्द	437.23	809.33	754.66	611.84	942.74	861.63	1249.32	5666.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जुझाना	281.15	493.10	465.85	749.15	890.10	3841.44	754.15	7474.94
	भरवाना	434.93	2499.20	1012.38	922.18	1504.09	622.69	1116.93	8112.41
	पिहलूखेडा	125.70	195.07	381.18	426.34	346.29	658.54	707.75	2840.86
	सफरीदी	213.65	280.53	510.11	506.65	425.02	837.18	832.67	3605.82
	उचाना	309.82	858.99	1040.53	2064.30	990.48	798.09	1380.45	7451.66
	जोड़	1923.28	5450.94	4692.28	5699.15	5576.79	8115.76	6749.36	38207.55
कैथल	गुहला	238.86	376.17	387.54	847.90	972.86	405.76	469.87	3698.97
	कैथल	611.36	1002.95	955.26	1243.13	2349.84	1649.01	1203.83	9015.38
	कलायत	351.22	459.64	1559.38	482.25	262.28	414.48	310.18	3839.43
	पुंढरी	391.57	378.23	736.38	768.34	924.58	930.11	1070.02	5199.23
	राथौत	428.61	403.89	505.69	550.90	1175.88	1542.53	349.93	4957.44
	सीधम	174.19	425.31	395.70	901.67	481.49	280.23	296.16	2954.75
	जोड़	2195.81	3046.19	4539.95	4794.19	6166.92	5222.12	3700.00	29665.19
करनाल	अराध	379.00	273.35	915.28	663.90	1191.74	1265.22	1252.11	5940.61
	घरौडा(घाट)	244.67	231.26	442.25	447.74	737.78	486.27	832.43	3422.40
	इन्द्री	228.48	294.21	426.92	798.80	874.49	360.02	510.70	3493.63
	करनाल	397.19	322.89	495.06	981.29	1127.30	876.04	862.84	5062.61
	नीलोखेड़ी	241.90	226.19	473.20	865.54	615.76	485.45	689.24	3597.29
	चिसिंग (चिड़(ओ)	250.99	245.79	400.81	588.91	590.07	874.56	983.46	3934.60
	जोड़	1742.23	1593.70	3153.52	4346.20	5137.15	4347.55	5130.79	25451.14
धुराखेत्र	बावेग	210.32	135.05	315.75	325.27	495.25	357.27	275.92	2114.82
	साइबा	241.35	172.19	359.41	505.39	366.71	321.96	239.78	2206.79
	पेहवा	368.80	5612.21	559.11	563.49	1628.59	1123.71	1074.88	10930.80
	शाहबाद	291.60	523.36	582.10	881.74	1177.60	790.49	1323.01	5569.90
	थानेसर	439.24	525.98	869.12	971.61	1218.85	1180.84	1249.03	6454.67
	जोड़	1551.31	6968.79	2685.48	3247.50	4887.00	3774.28	4162.62	27276.98
गङ्गेश्वर	अटेली नांगल	296.89	587.76	542.02	948.40	614.33	1993.71	1679.83	6662.93
	कमीना	370.00	532.42	658.54	942.15	1138.62	1418.01	1408.90	6468.64
	गङ्गेश्वर	727.99	680.49	985.65	981.17	1302.77	2035.31	2260.83	8974.20
	नांगल चौधरी	310.63	479.06	832.27	1114.24	821.60	1337.12	1166.62	6061.54
	नारनाल	349.15	442.53	730.16	894.72	1282.71	885.18	1493.43	6077.86
	जोड़	2054.65	2722.26	3748.63	4880.68	5160.02	7669.33	8009.61	34245.18

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मेवात	फिरोजपुर झिंरका	214.80	165.49	792.55	490.46	470.41	670.94	609.29	3413.95
	नगीना	143.07	152.73	528.44	405.90	407.45	643.30	596.50	2877.38
	डूँह	356.90	624.46	1181.06	1005.98	671.57	1401.86	1372.89	6614.71
	पुन्धाना	249.45	343.44	728.28	707.62	881.67	924.75	610.89	4446.08
	ताथड़	138.83	186.14	369.34	433.93	682.47	1181.28	772.23	3764.23
	जोड़	1103.05	1472.26	3599.67	3043.90	3113.56	4822.12	3961.80	21116.36
पल्लवल	हथीन	310.44	380.26	503.96	933.17	2338.90	1887.07	998.13	7351.93
	इसनपुर	229.79	208.66	418.49	573.56	503.31	575.21	465.62	2974.64
	होडल	331.25	252.51	543.24	406.98	944.51	753.15	550.25	3781.88
	पलवल	475.01	499.20	605.87	1237.47	1210.88	1199.77	2135.41	7363.61
	जोड़	1346.50	1340.62	2071.56	3151.17	4997.60	4415.21	4149.41	21472.07
पंचकूला	बरवाला	166.63	274.29	158.20	125.90	227.64	267.85	751.83	1972.33
	मोरनी	110.71	63.04	109.14	194.89	213.21	408.80	622.03	1721.82
	पिंजौर	302.61	323.66	284.10	644.59	352.32	461.13	585.51	2953.91
	राथपुरानी	128.58	163.82	197.92	178.22	266.62	411.07	569.98	1916.22
	जोड़	708.54	824.81	749.36	1143.59	1059.79	1548.85	2529.35	8564.28
पानीपत	सापीसी	353.33	395.29	387.68	442.09	530.17	703.80	927.15	3739.51
	इसराना	353.65	342.19	441.81	447.49	1129.77	543.70	887.60	4146.21
	मतलीड़ा	298.04	405.87	628.41	626.08	691.33	523.72	687.29	3860.74
	पानीपत	374.16	357.34	507.97	659.47	1440.54	704.15	1425.64	5469.26
	समालखा	421.22	352.38	436.88	478.18	614.91	585.11	797.38	3686.06
	जोड़	1800.39	1853.07	2402.76	2653.32	4406.71	3060.47	4725.05	20901.78
रियाड़ी	बावल	515.79	269.23	614.61	580.27	474.76	606.38	681.69	3742.72
	जादूसाना	405.86	426.20	494.24	789.35	1097.71	1039.06	1456.90	5709.32
	खोल(रियाड़ी)	285.45	225.02	468.60	1627.17	615.95	823.82	832.00	4878.00
	नाहर	298.35	787.04	645.41	1368.03	1163.87	763.25	1284.91	6310.86
	रियाड़ी	824.05	701.84	1077.64	1558.22	614.70	1198.54	1322.90	7297.90
	जोड़	2329.51	2409.33	3300.50	5923.03	3966.98	4431.04	5578.41	27938.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
रोहतक	कलानीर	463.86	628.85	903.00	1491.25	1059.03	1119.28	1238.41	6903.67
	लाखन माजरा	490.77	466.46	548.85	1067.10	786.96	914.40	912.39	5186.92
	महम	537.93	896.07	1012.24	3470.12	1401.07	1386.93	1363.75	10068.11
	रोहतक	1609.27	1815.48	2581.61	5027.34	1900.24	2975.45	2619.19	18528.57
	साँपला	342.50	844.69	834.81	1416.63	1013.03	1346.22	1751.43	7549.30
	जोड़	3444.32	4651.55	5880.52	12472.43	6160.31	7742.27	7885.16	48236.57
सिरसा	बडानुहा	459.03	444.72	834.98	873.67	1318.89	1281.28	1062.65	6265.22
	डबवाली	499.97	720.04	1048.19	1503.49	1917.52	1445.36	1209.16	8343.72
	ऐलनाबाद	285.91	677.78	1036.85	1127.43	1217.28	1403.80	963.12	6712.17
	नाथूसारी चौपटा	363.61	613.26	1011.66	1419.16	1456.10	1481.67	1401.31	7746.78
	ओडा	270.66	525.22	831.87	1125.48	1261.15	1179.01	1058.34	6251.73
	रात्रियों	349.45	530.80	1025.50	1079.21	1787.30	1580.75	1224.92	7577.94
सोनीपत	सिरसा	706.10	609.53	1235.57	1459.77	1520.85	1655.32	1597.70	8784.82
	जोड़	2934.74	4121.35	7014.62	8588.20	10479.09	10027.19	8517.19	51682.38
	गन्धीर	454.59	732.69	692.78	727.23	1586.40	1449.09	2062.41	7705.19
	गोहाना	253.31	589.19	573.21	1498.88	1161.52	1221.08	1751.22	7054.42
	कथुरा	141.85	239.93	325.78	747.67	723.08	591.21	1224.17	3993.69
	खरखीदा	289.91	394.78	607.06	2079.99	1197.52	1640.45	1859.80	8069.51
यमुनानगर	मुंडलान	279.86	384.05	550.60	1380.79	1236.60	826.81	1496.25	6154.97
	राई	309.88	645.77	571.96	660.29	1486.20	1181.96	1378.96	6235.03
	सोनीपत	348.58	491.45	549.52	792.29	1681.54	1094.30	3068.30	8025.98
	जोड़	2077.98	3477.86	3870.90	7887.15	9078.85	8004.91	12841.12	47238.79
	विलासपुर	360.51	352.54	522.37	799.19	625.20	1069.65	849.91	4579.38
	छछरीली	579.13	383.23	714.11	1163.55	1654.81	1412.13	1672.17	7579.12
कुल जोड़	जगाधरी	638.65	600.54	529.26	1274.55	974.64	852.91	572.80	5443.35
	मुस्तकाबाद	267.57	196.63	477.29	819.36	629.05	723.41	432.21	3545.54
	राधीर	235.58	181.91	339.31	996.28	994.76	982.99	480.43	4211.27
	सदौरा	185.32	188.14	344.39	457.21	474.94	384.26	497.14	2531.40
	जोड़	2266.77	1903.00	2926.72	5510.14	5353.41	5425.35	4504.66	27890.05
	कुल जोड़	43182.73	65101.27	89121.07	115946.33	114052.36	119275.28	132955.53	679634.55

Number of Buses Playing in villages

338. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to play more buses in the villages of Panchkula together with the time by which more buses are likely to be plied in the said areas?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान जी.

Total Number of Sectors in Gurgaon

308. Shri Ashok Kumar Arora : Will the Chief Minister be pleased to state:—

- (a) whether it is a fact that upto 31-3-2004 total number of sectors carved out by Town & Country Planning Department/HUDA were 57 in Gurgaon;
- (b) if so; whether the Town and Country Planning Deptt./HUDA have carved out residential plots in additional sectors beyond 57, in Gurgaon, during the period from 1-4-2005 till date; and
- (c) if so; the details thereof and the number of plots allotted in the sectors as at (b) above?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी.

(क) हां, श्रीमान जी,

(ख) नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा द्वारा सेक्टर नं० 115 अतिरिक्त सेक्टर काटे गए हैं जिनमें से 45 आवासीय सेक्टर हैं। विभाग द्वारा कॉलोनाइजरी को लाईसेंस प्रदान किए गए हैं जिसमें उन्होंने आवासीय प्लॉट काटे हैं।

(ग) 1 अप्रैल, 2005 से 20 फरवरी, 2013 तक विभाग ने इन सेक्टरों में जैसा कि ऊपर (ख) में दर्शाया गया है, आवासीय तथा ग्रुप हाऊसिंग कॉलोनियों के लिए क्रमशः 54 और 251 लाईसेंस प्रदान किए हैं। इन नये 45 आवासीय सेक्टरों में कुल 18211 आवासीय प्लॉट और 64336 प्लैट काटे गए हैं जिनमें से 7437 प्लॉट तथा 36651 प्लैट आवंटित किए जा चुके हैं।

Repair of Roads

354. Shri Bishan Lal Saini : Will the PWD(B&R) Minister be pleased to state:—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads of Radaur Constituency:—
 - (i) Kalanaur to Akalgarh;

- (ii) Akalgarh to Tigri-Tigra road;
 - (iii) Akalgarh to Daultpur road;
 - (iv) Khajuri to Khurdi road;
 - (v) Nagal to Khurdi road;
 - (vi) Nangal to Bahadurgar road;
 - (vii) Parsa to Daultpur road;
 - (viii) Khajuri road to Rampur road; and
- (b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired?

सद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : (क) तथा (ख) श्रीमान् जी, सड़क अनुसार उत्तर निम्न हैं:-

क्र०सं०	सड़क का नाम	उत्तर
1	2	3
(i)	कलानौर से अकालगढ़	
	(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-73 से भंडोली अकालगढ़ तक	(क) नहीं, श्रीमान् जी। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।
	(ख) कमालपुर टापू से अकालगढ़	(क) नहीं, श्रीमान् जी। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।
(ii)	अकालगढ़ से तिगरी-तिगरा सड़क	(क) हां, श्रीमान् जी।
	(क) अकालगढ़ से तिहरा	(ख) इसकी भरम्मत 30.06.2013 तक किए जाने की संभावना है।
	(ख) तिगरा से अकालगढ़	(क) नहीं, श्रीमान् जी। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।
(iii)	अकालगढ़ से दौलतपुर सड़क	
	(क) अकालगढ़ से तिगरी	(क) नहीं, श्रीमान् जी। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।
	(ख) तिगरी से दुसानी	(क) हां, श्रीमान् जी। (ख) इसकी भरम्मत 31.03.2014 तक किए जाने की संभावना है।
	(ग) दुसानी से दौलतपुर	(क) हां, श्रीमान् जी। (ख) इसकी भरम्मत 31.03.2013 तक किए जाने की संभावना है।

[श्री रभादीप सिंह सुरजेवाला]

1	2	3
(iv)	खजूरी से खुर्दी सड़क	(क) हां, श्रीमान् जी। (ख) इसकी मरम्मत 30.06.2013 तक किए जाने की संभावना है।
(v)	नगल से खुर्दी सड़क	
	(क) नांगल से शादीपुर जयपुर अलाहर सड़क	(क) हां, श्रीमान् जी। (ख) फिर भी इस समय, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।
	(ख) शादीपुर जयपुर अलाहर सड़क से खुर्दी	(क) हां, श्रीमान् जी। (ख) इसकी मरम्मत 31.03.2014 तक किए जाने की संभावना है।
(vi)	नगल से बहादुरपुर सड़क	
	(क) गांव नगल से राजकीय विद्यालय नगल	(क) नहीं, श्रीमान् जी। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।
	(ख) राजकीय विद्यालय नगल से शादीपुर जयपुर अलाहर सड़क	(क) हां, श्रीमान् जी। (ख) फिर भी इस समय, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।
	(ग) शादीपुर जयपुर अलाहर सड़क कि.मी. 5.40 से 6.00 तक	(क) नहीं, श्रीमान् जी। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।
	(घ) शादीपुर जयपुर अलाहर सड़क से गांव बहादुरपुर	(क) हां, श्रीमान् जी। (ख) इसकी मरम्मत 30.04.2013 तक किए जाने की संभावना है।
(vii)	पांसरा से दौलतपुर सड़क	
	(क) पांसरा से रायपुर	(क) हां, श्रीमान् जी। (ख) इसकी मरम्मत 31.03.2014 तक किए जाने की संभावना है।
	(ख) रायपुर से दौलतपुर	(क) हां, श्रीमान् जी। (ख) फिर भी इस समय, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।
(viii)	खजूरी सड़क से रामपुर सड़क	(क) हां, श्रीमान् जी। (ख) फिर भी इस समय, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

To Return the Panchayat Land

316. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that 32 acres of land was given to the Jawahar Navodhya Vidhalya by the Gram Panchayat at Morni in Kalka Constituency; if so, whether the Government intends to return some land to the Gram Panchayat for construction of the stadium?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं श्रीमान् जी।

Total Number of Cases of Crime against Women

313. Shri Ram Pal Majra : Will the Chief Minister be pleased to state:—

- the yearwise and districtwise the total number of cases of crime against women for the period from 1-1-2005 to 31-1-2013;
- the number of persons arrested prosecuted and convicted out of cases as mentioned at (a) above; and
- the number of cases filed as untraced or cancelled?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

वर्ष 01-01-2005 से 30-01-2013 तक की अवधि के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों की वर्षवार तथा जिलावार संख्या, गिरफ्तार किए गए अभियोजित किए गये, दोषी ठहराये गये तथा न खोजे गये अथवा निरस्त हुए अभियोगों की संख्या पृष्ठ 3 से 11 तक तालिकाओं में निम्नलिखित अपराध शीर्षों के अन्तर्गत दर्शाई गई है:--

- दहेज हत्या (धारा 304-बी भादस)
- बलात्कार (धारा 376 भादस)
- शालीनता भंग (धारा 354 भादस)
- लड़की/महिला का अपहरण/अपनयन
- पति द्वारा अत्याचार (धारा 498-ए भादस)
- धारा 509 भादस
- भद्दी हरकत व भद्दे गाने (धारा 294 भादस)



हरियाणा विधान सभा

[27 फरवरी, 2013]

वर्ष 2005

क्र. सं.	जिला	कुल दर्ज अभियोग			अपराधियों की संख्या		
		दर्ज अभियोग	अदमपता	निरसन	गिरफ्तार	अभियोजित	सजा हुए
1	गुड़गावां	166	20	16	247	247	76
2	फरीदाबाद	607	21	49	843	843	170
3	पंचकूला	73	4	9	102	102	13
4	अम्बाला	209	15	43	412	412	18
5	अम्बाला देहात	0	0	0	0	0	0
6	थभुनानगर	206	0	29	418	418	30
7	कुरुक्षेत्र	175	27	27	207	207	29
8	केथल	168	3	59	234	234	23
9	करनाल	386	3	139	401	401	35
10	पाथीपत	233	7	91	170	170	23
11	सोनीपत	254	2	59	402	402	50
12	रोहतक	180	1	45	172	172	82
13	झज्जर	153	2	0	199	199	24
14	फतेहाबाद	120	20	28	134	134	26
15	हिसार	229	3	79	266	266	18
16	सिरसा	175	35	43	206	206	27
17	जीन्ध	91	7	14	159	159	17
18	भिवानी	195	3	43	43	43	43
19	पलवल	0	0	0	0	0	0
20	नारनौल	82	6	15	103	103	17
21	रेवाड़ी	127	10	17	196	196	14
22	मेवात	0	0	0	0	0	0
23	रेलवे पुलिस	129	0	2	152	152	137
कुल योग		3958	189	807	5066	5066	872

वर्ष 2006

क्र. सं.	जिला	कुल दर्ज अभियोग			अपराधियों की संख्या		
		दर्ज अभियोग	अदमपता	निरसन	गिरफ्तार	अभियोजित	सजा हुए
1	गुड़गावां	276	88	33	370	370	80
2	फरीदाबाद	445	35	36	619	619	59
3	पंचकूला	121	3	10	150	150	50
4	अम्बाला	267	7	43	386	386	15
5	अम्बाला देहात	0	0	0	0	0	0
6	यमुनानगर	193	1	24	417	417	26
7	कुरुक्षेत्र	218	7	63	244	244	60
8	कैथल	208	0	85	248	248	21
9	करनाल	370	4	130	371	371	28
10	पानीपत	247	3	88	172	172	17
11	सोनीपत	341	1	84	490	490	82
12	रोहतक	194	1	45	225	225	43
13	झज्जर	121	0	0	210	210	23
14	फतेहाबाद	148	10	39	244	244	10
15	हिसार	253	2	81	297	297	21
16	सिरसा	172	1	61	215	215	22
17	जीन्ध	127	13	13	239	239	44
18	भिवानी	226	10	49	346	346	44
19	पलवल	108	11	24	103	103	28
20	नारनौल	125	6	22	109	109	105
21	रेवाड़ी	120	9	18	152	152	11
22	मेवात	151	35	18	173	173	0
23	रेलवे पुलिस	127	0	1	152	152	127
कुल योग		4558	247	967	5932	5932	916

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

वर्ष 2007

क्र. सं.	जिला	कुल दर्ज अभियोग			अपराधियों की संख्या		
		दर्ज अभियोग	अदमपता	निरसन	निरस्तार	अभियोजित	सजा हुए
1	गुड़गावाँ	333	34	50	397	397	88
2	फरीदाबाद	475	22	54	701	701	43
3	पंचकुला	119	1	17	142	142	27
4	अम्बाला	227	9	41	370	370	46
5	अम्बाला देहात	0	0	0	0	0	0
6	यमुनानगर	164	0	21	319	319	14
7	कुरुक्षेत्र	171	9	43	178	178	27
8	केथल	234	3	113	231	231	14
9	करनाल	299	2	98	317	317	24
10	पानीपत	162	2	37	136	136	16
11	सोनीपत	268	1	57	376	376	34
12	रोहतक	210	0	41	222	222	47
13	झज्जर	153	1	0	297	297	18
14	फतेहाबाद	177	6	58	190	190	19
15	हिसार	247	0	89	302	302	14
16	सिरसा	227	1	93	263	263	13
17	जीन्द	164	34	14	258	258	45
18	भिवानी	223	27	42	314	314	41
19	पलवल	128	20	12	137	137	32
20	भारनौल	111	12	15	104	104	15
21	रेवाड़ी	197	18	16	275	275	27
22	मेवात	212	17	25	206	206	0
23	रेलवे पुलिस	169	0	2	201	201	180
कुल योग		4670	219	938	5936	5936	784

वरुष 2008

क्र. सं.	जिला	कुल दर्ज अभियोग			अपराधियों की संख्या		सजा हुए
		दर्ज अभियोग	अदमपता	निरसन	गिरफ्तार	अभियोजित	
1	गुडगावां	307	35	34	444	444	31
2	फरीदाबाद	378	21	52	646	646	11
3	पंचकुला	122	18	16	144	144	27
4	अम्बाला	312	16	75	452	452	8
5	अम्बाला देहात	0	0	0	0	0	0
6	यमुनानगर	209	0	11	456	456	24
7	कुरुक्षेत्र	188	9	41	206	206	25
8	केथल	208	15	91	195	195	17
9	करनाल	266	1	84	375	375	20
10	पानीपत	173	2	44	130	130	19
11	सोनीपत	330	4	69	528	528	24
12	रोहतक	245	6	53	246	246	95
13	झज्जर	219	10	0	299	299	18
14	फतेहाबाद	205	1	74	219	219	36
15	हिसार	317	0	92	337	337	27
16	सिरसा	207	1	71	290	290	28
17	जीन्द	175	29	31	264	264	30
18	भिवानी	236	9	38	461	461	56
19	पलवल	176	30	37	137	137	9
20	भारनौल	153	13	24	128	128	10
21	रेवाड़ी	182	17	27	216	216	18
22	मेवात	158	34	18	181	181	0
23	रेलवे पुलिस	129	0	2	152	152	137
कुल योग		4895	271	984	6506	6506	670

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

वर्ष 2009

क्र. सं.	जिला	कुल दर्ज अभियोग			अपराधियों की संख्या		
		दर्ज अभियोग	अदमपता	निरसन	गिरफ्तार	अभियोजित	सजा हुए
1	गुड़गावां	290	25	29	393	393	39
2	फरीदाबाद	433	15	36	671	671	59
3	पंचकूला	124	2	16	153	153	28
4	अम्बाला	248	3	43	385	385	15
5	अम्बाला देहात	0	0	0	0	0	0
6	यमुनानगर	302	2	92	449	449	19
7	कुरुक्षेत्र	245	7	72	295	295	7
8	कैथल	252	8	112	278	278	11
9	करनाल	381	3	128	598	598	25
10	पानीपत	282	2	63	248	248	29
11	सोनीपत	284	2	53	393	393	26
12	रोहताक	265	5	49	312	312	35
13	झज्जर	164	3	0	228	228	12
14	फतेहाबाद	156	0	39	223	223	26
15	हिसार	323	3	90	332	332	33
16	सिरसा	173	1	72	165	165	22
17	जीन्द	223	17	39	352	352	23
18	भिवानी	251	13	47	396	396	31
19	पलवल	176	9	38	149	149	4
20	नारनौल	121	11	16	105	105	4
21	रेवाड़ी	156	10	36	123	123	28
22	मेवात	225	44	22	157	157	0
23	रेलवे पुलिस	233	1	3	246	246	169
	कुल योग	5307	186	1095	6651	6651	645

वर्ष 2010

क्र. सं.	जिला	कुल दर्ज अभियोग			अपराधियों की संख्या		
		दर्ज अभियोग	अदमपता	निरसन	गिरफ्तार	अभियोजित	सजा हुए
1	गुडगावां	267	21	24	388	388	28
2	फरीदाबाद	483	22	55	724	724	24
3	पंचकूला	141	8	26	185	185	14
4	अम्बाला	316	18	57	493	493	7
5	अम्बाला देहात	0	0	0	0	0	0
6	थमुनानगर	263	3	73	319	319	15
7	कुरुक्षेत्र	187	8	55	171	171	6
8	कैथल	179	16	58	205	205	7
9	करनाल	375	5	137	537	537	18
10	पानीपत	356	5	83	283	283	18
11	सोनीपत	299	0	77	449	449	14
12	रोहतक	257	3	42	291	291	26
13	झज्जर	252	3	0	350	350	18
14	फतेहाबाद	161	3	49	195	195	21
15	हिसार	403	0	144	343	343	36
16	सिरसा	218	4	84	246	246	3
17	जीन्द	193	7	54	259	259	16
18	भिवानी	211	6	32	344	344	12
19	पलवल	170	10	27	241	241	1
20	भारनौल	196	23	30	148	148	1
21	रेवाड़ी	177	21	22	169	169	21
22	मेवात	179	23	59	142	142	0
23	रेलवे पुलिस	161	0	3	165	165	113
कुल योग		5444	209	1191	6647	6647	419

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

वर्ष 2011

क्र. सं.	जिला	कुल दर्ज अभियोग			अपराधियों की संख्या		
		दर्ज अभियोग	अदमपता	निरसन	गिरफ्तार	अभियोजित	सजा हुए
1	गुड़गावां	269	23	30	320	320	17
2	फरीदाबाद	425	31	16	668	668	18
3	पंचकुला	125	3	17	155	155	26
4	अम्बाला	195	23	25	282	282	2
5	अम्बाला देहात	113	1	28	118	118	0
6	यमुनानगर	275	5	80	265	265	13
7	कुरुक्षेत्र	176	6	56	172	172	0
8	कैथल	187	47	33	187	187	9
9	करनाल	315	6	99	349	349	3
10	पानीपत	338	4	96	257	257	6
11	सोनीपत	284	2	89	406	406	1
12	रोहतक	311	10	67	316	316	5
13	झज्जर	231	2	0	275	275	13
14	फतेहाबाद	142	1	37	205	205	8
15	हिसार	415	0	174	372	372	14
16	सिरसा	291	1	110	265	265	13
17	जीन्द	187	3	46	231	231	23
18	भिवानी	223	8	41	337	337	23
19	पलवल	163	4	14	181	181	0
20	नारनाल	195	30	40	184	184	7
21	शेवाड़ी	188	22	22	217	217	5
22	मेवात	188	3	31	112	112	0
23	रेलवे पुलिस	137	0	3	147	147	123
	कुल योग	5373	235	1154	6021	6021	329

वर्ष 2012

क्र. सं.	जिला	कुल दर्ज अभियोग			अपराधियों की संख्या		
		दर्ज अभियोग	अदमपता	निरसन	गिरफ्तार	अभियोजित	सजा हुए
1	गुड़गावां	317	14	23	317	317	0
2	फरीदाबाद	474	42	33	493	493	19
3	पंचकुला	116	7	17	146	146	0
4	अम्बाला	261	54	32	303	303	0
5	अम्बाला देहात	123	12	23	128	128	0
6	शमुनानगर	222	2	45	247	247	1
7	कुरुक्षेत्र	121	2	40	232	232	3
8	कैथल	203	36	38	196	196	0
9	करनाल	422	4	117	487	487	0
10	पानीपत	296	3	80	184	184	2
11	सोनीपत	347	5	82	499	499	1
12	रोहतक	282	23	48	270	270	0
13	झज्जर	215	1	0	302	302	2
14	फतेहाबाद	191	3	52	204	204	6
15	हिसार	532	2	143	479	479	0
16	सिरसा	277	0	105	207	207	0
17	जीन्द	249	3	70	309	309	0
18	भिवानी	366	16	83	484	484	1
19	पलवल	207	17	37	205	205	2
20	नारनौल	172	15	20	119	119	2
21	रेवाड़ी	197	20	15	144	144	1
22	मेवात	259	2	23	65	65	0
23	रेलवे पुलिस	106	0	3	139	139	54
कुल योग		5955	283	1129	6159	6159	94

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

01-01-13 से 31-01-13

क्र. सं.	जिला	कुल दर्ज अभियोग			अपराधियों की संख्या		
		दर्ज अभियोग	अदमपता	निरसन	गिरफ्तार	अभियोजित	सजा हुए
1	गुड़गावां	27	0	0	26	26	0
2	फरीदाबाद	41	0	3	32	32	0
3	पंचकूला	26	0	0	33	33	0
4	अम्बाला	18	1	2	12	12	0
5	अम्बाला देहात	14	0	0	10	10	0
6	थमुनाभगर	40	0	2	27	27	0
7	कुरुक्षेत्र	21	0	2	13	13	0
8	कैथल	20	0	6	13	13	0
9	करनाल	47	0	3	24	24	0
10	पानीपत	27	0	4	28	28	0
11	सोनीपत	37	0	0	48	48	0
12	रोहतक	29	0	1	35	35	0
13	झज्जर	17	0	0	26	26	0
14	फतेहाबाद	23	0	1	25	25	0
15	हिसार	45	0	5	40	40	0
16	सिरसा	21	0	0	10	10	0
17	जीन्द	26	0	0	28	28	0
18	भिवानी	52	0	5	63	63	0
19	पलवल	17	0	0	0	0	0
20	नारनौल	12	0	1	7	7	0
21	रेवाड़ी	19	0	0	17	17	0
22	मेवात	16	0	0	5	5	0
23	रेलवे पुलिस	5	0	0	5	5	3
	कुल योग	600	1	35	527	527	3

To Extend the Limit of Lal Dora

358. Shri Rajbir Singh Barara : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state—

- whether it is a fact that the limit of the "Lal Dora" of all villages, towns and cities of Haryana was earmarked at the time of independence of India;
- if so, whether there is any scheme under consideration of the Haryana Government to extend the limit of the Lal Dora; and
- if the reply to the part (b) above be in affirmative the time by which the above said scheme is likely to be implemented?

राजस्व मन्त्री (श्री महेंद्र प्रताप) : (क), (ख), (ग) : जी नहीं।

Miserable Condition of Government Hospital

364. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Health Minister be pleased to state—

- whether the Government is aware of the miserable condition of Government Hospital situated in Adampur;
- whether the Government has made any efforts for the modernization of the aforesaid Hospital and to provide all kinds of medical facilities there in; if so, the details thereof; if not, the reasons thereof; and
- the action taken, so far, by the Government with regard to the correspondence made to the Government in this regard by the local MLA again and again?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) कथन यह है कि आदमपुर में स्थित राजकीय सामान्य अस्पताल की स्थिति दयनीय नहीं है तथा यह सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

(ख) सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 23/5/2012-4HBIII दिनांक 14/08/2012 द्वारा आदमपुर के 30 बिस्तरीय सामान्य अस्पताल को 50 बिस्तरीय अस्पताल के रूप में अपग्रेड करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। चिकित्सा अधिकारियों के 7 पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से 5 पद भरे हुए हैं। इसी तरह स्टाफ नर्सों के स्वीकृत 13 पदों में से 12 पद भरे हुए हैं। औषधाकारक के दोनों पद तथा प्रयोगशाला तकनीशियन का एक पद भी भरा हुआ है। इस समय सामान्य अस्पताल आदमपुर में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं, प्रसूति एवं मातृ सेवाएं, एक्स-रे तथा प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ग) की गई कार्यवाही (ख) पर है।

Collection of Property Tax

274. **Shri Sampat Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total amount of property tax collected by each of the Municipal Corporation/Council/Committee in the State in the financial year 2010-11, 2011-12 and 2012-13; and
- (b) the remaining amount to be collected by each of these Local Bodies?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, सदन के पटल पर विवरणी रखी है।

विवरणी

राज्य के प्रत्येक नगर निगम/परिषद/पालिका द्वारा एकत्रित किया गया सम्पत्ति कर।

(रु० लाखों में)

वसूल की गई सम्पत्ति कर की राशि 16.2.2013 तक					
क्रम संख्या	पालिका का नाम	2010- 2011	2011- 2012	2012- 2013	वसूल की जाने वाली शेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	पंचकुला	35.42	152.14	41.93	902.14
2	यमुनानगर	62.21	218.35	302.42	382.17
3	करनाल	138.23	39.44	24.10	60.00
4	पानीपत	224.26	168.58	114.39	294.01
5	रोहतक	186.65	162.73	118.53	70.14
6	फरीदाबाद	3791.67	4758.85	1418.92	7777.33
7	गुड़गांव	618.00	4943.66	11169.79	34592.80
8	हिसार	225.39	286.30	164.27	287.50
9	अम्बाला	165.94	148.08	171.22	328.78
10	थानेसर	80.01	65.01	102.21	83.69
11	कैथल	57.35	66.02	30.78	170.00
12	सोनीपत	91.74	99.89	64.77	126.32
13	बहादुरगढ़	46.29	37.34	22.87	95.00

1	2	3	4	5	6
14	पलवल	38.07	66.41	73.78	41.22
15	रिवाड़ी	18.37	30.84	12.76	302.77
16	नारनोल	38.28	32.84	29.28	58.16
17	भिवानी	85.42	173.00	52.75	227.25
18	हाँसी	46.20	42.75	15.55	35.00
19	फतेहाबाद	43.04	42.65	25.81	35.89
20	टोहाना	45.83	40.93	24.35	43.87
21	सिरसा	65.07	70.28	59.55	132.00
22	जीन्द	43.00	5.05	35.50	183.90
23	नरथाना	27.57	26.65	11.42	28.74
24	नारायणगढ़	7.86	19.27	25.51	4.98
25	शाहबाद	22.19	46.91	21.80	12.20
26	लाडवा	24.99	22.49	6.07	43.93
27	पेहवा	38.44	33.59	10.98	96.98
28	पुण्डरी	0.27	2.97	0.23	38.02
29	चीका	5.26	8.03	8.14	38.56
30	कलाथत	3.49	3.22	2.13	20.21
31	तरावडी	17.40	17.04	8.01	22.31
32	श्रीलोकेश्वरी	11.47	9.89	4.84	12.16
33	धरौन्डा	12.35	15.25	10.83	26.40
34	असन्ध	13.39	11.82	9.52	15.43
35	इन्द्री	12.19	11.73	11.25	2.75
36	निसिंग	1.48	3.69	4.38	2.43
37	समालखा	23.03	22.43	10.26	30.00
38	महन	4.25	7.81	3.14	17.00
39	कलानौर	2.31	5.14	1.18	10.43
40	सांपला	0.00	0.00	0.00	0.00

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4	5	6
41	गोहाना	10.16	7.92	2.85	31.00
42	गन्नीर	11.17	10.50	1.75	39.70
43	खरखौदा	1.81	4.46	7.29	13.89
44	झाज्जर	16.34	10.11	9.40	54.59
45	बेरी	1.84	1.76	1.29	3.63
46	सोहना	7.28	8.19	5.68	17.00
47	फारुखनगर	2.88	7.93	5.20	1.49
48	पटौदी	2.64	4.05	5.78	22.48
49	हेली मण्डी	1.62	1.69	3.17	5.52
50	होडल	14.72	7.00	6.20	9.56
51	हथीन	2.97	3.64	2.83	5.00
52	बावल	0.90	0.49	0.00	3.62
53	धारुहेड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
54	महेन्द्रगढ़	0.83	0.46	0.31	16.40
55	कनीना	0.00	0.00	0.33	7.94
56	अटेली मण्डी	0.20	0.26	0.31	3.15
57	बूँह	4.27	4.47	2.03	5.70
58	फिरोजपुर झिरका	8.20	3.73	1.86	33.72
59	लावडू	6.19	4.75	1.76	15.49
60	पुन्हाना	0.01	0.71	0.42	10.36
61	घरखी दादरी	25.91	8.55	5.32	50.36
62	सिवानी	4.43	5.47	3.49	25.38
63	भवानी खेड़ा	2.79	4.87	1.35	25.56
64	लोहारू	3.16	0.97	5.29	10.31
65	बरवाला	10.44	12.17	13.17	9.21
66	नारनौद	9.25	4.99	5.96	9.47

1	2	3	4	5	6
67	उकलाना	0.00	0.00	0.00	0.00
68	रतिया	45.04	34.36	40.00	53.36
69	भूना	0.00	0.00	0.00	0.00
70	रानिया	5.99	05.25	02.81	09.94
71	कालावाली	8.73	11.82	07.72	24.37
72	ऐलनाबाद	19.23	17.95	04.88	29.94
73	डबवाली	19.14	18.63	07.31	15.46
74	सफीदों	10.05	13.33	9.15	43.64
75	उच्चाना	4.74	6.75	1.44	81.73
76	जुलाना	4.79	5.97	3.60	8.89

नोट :- सांपला, धारुहेड़ा, उकलाना मण्डी और भूना नव गठित नगरपालिकायें हैं। इन पालिकाओं में सम्मति कर के सर्वे का कार्य चल रहा है।

Construction of Road

283. Dr. Hari Chand Middha : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the road from Patiala Chowk to Railway Station of Jind city which has been damaged completely; and
- if so, the time by which the road referred to in part (a) above is likely to be re-constructed ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

- नहीं, श्रीमान जी। स्थिति संतोषजनक है। फिर भी सड़क का रख-रखाव सामान्य पैच कार्य द्वारा किया जा रहा है।
- प्रश्न ही नहीं उठता।

Widening of Highway

289. Shri Parminder Singh Dhull : Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the existing highway stretch falling between Rohtak and Jind; if so, the proposed route including by passes together with the timelimit of completion of the aforesaid highway?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : यह सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) को सौंप दी गई है यद्यपि, उत्तर निम्नलिखित है :-

हां, श्रीमान् जी।

प्रस्तावित मार्ग रोहतक से शुरू होकर लाखनमाजरा व जुलाना से होते हुए जाँद जाता है। इस पर निम्नलिखित बाईपास प्रस्तावित है।

1. रोहतक बाईपास
2. लाखनमाजरा बाईपास
3. जुलाना बाईपास

कार्य पूरा होने की समय सीमा कार्य शुरू होने के बाद 2 वर्ष है जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) द्वारा बताया गया है।

Tomato Factory in Village Badal

376. Col. Raghbir Singh : Will the Agriculture Minister be pleased to state—

- (a) whether the Government has cancelled the proposal of setting up Tomato Factory in village Badal, Tehsil Charkhi Dadri in Badhra Constituency; if so, the reasons thereof; and
- (b) whether the Government is likely to reconsider the proposal to set up the above said Tomato Factory; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

गांव बादल, तहसील चरखी दादरी बाढ़ड़ा निर्वाचनक्षेत्र में टमाटर कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। अपितु, गांव बादल, तहसील चरखी दादरी बाढ़ड़ा निर्वाचनक्षेत्र में कूल चैन/फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव था। पंचायत विभाग ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को इस उद्देश्य के लिए 20 एकड़, 13 मरले भूमि स्थानान्तरित कर दी थी। कूल चैन/फूड प्रोसेसिंग यूनिट का यह प्रस्ताव निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया:-

- (i) नीचे स्तर पर भूमि होने के कारण उपलब्ध स्थान उपयुक्त नहीं है;
- (ii) भूमि मुख्य सड़क से दूरी पर है;
- (iii) भूमि के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रही है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

Grants Provided to Sports Associations

302. Smt. Kavita Jain : Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state—

- whether any grant is being provided to the Sports Associations by the department; and
- if so; the year-wise details of grant provided to the Sports Associations separately during the last eight years together with the names of such Sports Association to whom the said grants has been provided?

खेल एव युवा मामले राज्य मंत्री (श्री सुखवीर कटारिया) :

श्रीमान जी,

विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

विभिन्न खेल संघों को दिए गए अनुदानों का विवरण

- हाँ, विभाग द्वारा विभिन्न खेल संघों को अनुदान दिए जाते हैं।
- गत आठ वर्षों के दौरान पृथक-पृथक खेल संघों को दिए गए अनुदान का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

वर्ष 2005-2006

क्रम सं०	तिथि	संघ का नाम	राशि
1	2	3	4
1.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, हिसार	26300
2.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, करनाल	26300
3.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, कुरुक्षेत्र	26300
4.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, अम्बाला	26300
5.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, भिवानी	26300
6.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, फरीदाबाद	26300
7.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, फतेहाबाद	26300
8.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, झज्जर	26300
9.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, जीन्द	26300
10.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, कैथल	26300
11.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, नारनौल	26300
12.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, रिवाड़ी	26300

[श्री सुखबीर कटारिया]

1	2	3	4
13.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, पानीपत	26300
14.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, सोनीपत	26300
15.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, सिरसा	26300
16.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, पंचकुला	26300
17.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, रोहतक	26300
18.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, गुडगांव	26300
19.	9/01/2006	जिला ओलम्पिक संघ, यमुनानगर	26300
वर्ष 2006-2007			
1.	30/01/2007	जिला ओलम्पिक संघ, पंचकुला	25000
2.	22/03/2007	हरियाणा नेत्रहीन शतरंज संघ, अम्बाला	25000
3.	19/01/2007	हरियाणा ओलम्पिक संघ, पंचकुला	500000
वर्ष 2007-2008			
1.	12/02/2008	हरियाणा राज्य कोर्फबाल संघ, रोहतक	50000
2.	10/03/2008	हरियाणा राज्य टेनिस संघ, गुडगांव	20000
3.	12/03/2008	हरियाणा हाकी संघ, सोनीपत	25000
वर्ष 2008-2009			
1.	22/10/2008	जिला ओलम्पिक संघ, कुरुक्षेत्र	20000
वर्ष 2009-2010			
1.	20/08/2009	हरियाणा राज्य कोर्फबाल संघ, रोहतक	200000
2.	04/12/2009	हरियाणा राज्य ताईक्वाण्डो संघ, अम्बाला	40000
3.	04/12/2009	जिला ओलम्पिक संघ, भिवानी	25000
4.	04/12/2009	हरियाणा ओलम्पिक संघ, पंचकुला	942424
5.	10/02/2010	राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली	10000000
वर्ष 2010-2011			
1.	03/08/2010	हरियाणा राज्य खो-खो संघ, कैथल	40000
2.	27/01/2011	हरियाणा पैरालैम्पिक संघ, पंचकुला	200000

1	2	3	4
3.	21/02/2011	हरियाणा राज्य खो-खो संघ, कैथल	20000
4.	03/03/2011	हरियाणा राज्य लाईक्वाण्डो संघ, यमुनानगर	20000
5.	31/03/2011	हरियाणा ओलम्पिक संघ, पंचकुला	200000
वर्ष 2011-2012			
1.	2011-12	शून्य	--
वर्ष 2012-2013			
1.	01/10/2012	हरियाणा राज्य खो-खो संघ, कैथल	20000

To Open a Library

339. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a District Level Library in Panchkula?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान जी, जिला स्तर पुस्तकालय पहले से ही पंचकुला में दिसम्बर, 2007 से कार्य कर रहा है।

Sectors Carved Out By Colonizer(s)/Builder(s)

309. Sh. Ashok Kumar Arora : Will the Chief Minister be pleased to state :-

- whether the colonizer(s)/builder(s) have carved out sectors/plots in any Urban Estates, in the State during the period from 1-4-2005 to till date; and
- if so; the details thereof and the number of plots allotted, in the sectors as at (a) above?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी,

(क) कॉलोनाइजर/बिल्डर शहरी सम्पदाओं में सेक्टर नहीं बनाते हैं। वह हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास निर्र्भधन तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के अधीन लाईसेंस लेने के उपरान्त ही आवासीय कालोनियों का निर्माण करते हैं तथा उनमें प्लॉट काटते हैं। 01.04.2005 से 20.02.2013 तक की समय अवधि के दौरान 217 लाईसेंस आवासीय कालोनियों के लिए तथा 415 लाईसेंस ग्रुप हाऊसिंग कालोनियों के लिए प्रदान किए गए हैं।

(ख) लाईसेंसशुदा आवासीय प्लॉटिड कालोनियों में 98606 प्लॉट उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें से 61664 प्लॉट आबंटित किए जा चुके हैं। लाईसेंसशुदा ग्रुप हाऊसिंग कालोनियों में 151573 प्लॉट उपलब्ध करवाए गए हैं जिसमें से 82595 प्लॉट आबंटित किए जा चुके हैं।

Repair of Road

355. Shri Bishan Lal Saini : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the road from Khajuri to Nahar was repaired but it has got damaged within one month; if so, the reasons thereof and whether any inquiry is likely to be conducted in this regard?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान जी। फिर भी विभाग के जांच अनुभाग को इसकी जांच-पड़ताल के लिए कहा गया है।

To Attach Engineering Division Panchkula with Ambala

317. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that Public Health Engineering Division Panchkula has been attached to Yamuna Nagar Division but Panchkula Division is part of Ambala Division; if so, whether there is any proposal to attach abovesaid Division to Ambala Division?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : हाँ, श्रीमान जी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल पंचकूला वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमंडल समुदाय में प्रशासनिक नियंत्रित में है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमंडल अम्बाला के साथ पंचकूला मण्डल जोड़ने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Scheme for Urban Development of Hisar

365. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether the Government has sent any scheme, formulated under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission, to the Central Government for urban development of District Hisar including Adampur,
- if so, the details thereof; if not, the reasons thereof; and
- the steps taken by the Government for the consolidated urban development of district, Hisar including Adampur?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार, 2001 की जनगणना अनुसार केवल 10 लाख की आबादी से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को ही जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं शासन (उप-मिशन-1) के तहत सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार हिसार शहर को उक्त योजना में शामिल नहीं किया गया।

(ग) जिला हिसार के शहरी विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गये हैं :-

- (i) वर्ष 2006 से 2012 तक की अवधि के दौरान समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा हिसार कस्बे के लिए फेस-1 व II में 29.94 करोड़ की दो परियोजनाएं स्लम पाकेट्स में आवास तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वीकृत की गई हैं।
- (ii) राजीव आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम, हिसार द्वारा पाथलेट प्रोजेक्ट हेतु प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही है।
- (iii) वर्ष 2005-2006 से 2012-13 (21.2.2013 तक) की अवधि के दौरान विभिन्न शहरी विकास स्कीमों के अंतर्गत जिला हिसार की पालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा 192 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
आदमपुर में नगरपालिका नहीं है।

Status of Model Schools

359. Shri Rajbir Singh Barara : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give the status of Model Schools to the Government Higher Secondary School Adhoya and Government Higher Secondary School Bihta in Mullana Assembly Constituency; if so, the time by which status of Model School is likely to be accorded to these schools?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुवकल मातनहेल) : श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Installation of Astroturf in Hisar

273. Shri Sampat Singh : Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state—

- (a) the date and year on which the Astroturf in Hisar was announced and approved;
- (b) the date on which the money received from the Government of India by the State Govt. alongwith total amount so received; and
- (c) the time by which this money alongwith the State share is likely to be transferred to the District Sports Council for the construction of the Astroturf togetherwith the details of the project alongwith the time by which the work on the Project is likely to be started?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) :

श्रीमान जी,

- (क) तत्कालीन मंत्री युवा मामले एवं खेल, भारत सरकार द्वारा 16/01/2002 को हिसार में एस्ट्रोड्रफ की घोषणा की गई थी तथा 20/06/2012 को स्वीकृत किया गया।
- (ख) भारत सरकार से धन राज्य सरकार को 20/06/2012 को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 3.75.00.000/- रुपये की राशि प्राप्त हुई।
- (ग) एस्ट्रोड्रफ के निर्माण के लिए यह धन तथा राज्य का हिस्सा अतिशीघ्र जिला खेल परिषद को स्थानांतरित किया जायेगा। इसके पश्चात एस्ट्रोड्रफ का निर्माण कार्य आरम्भ होगा। इस परियोजना पर कुल 5.66.56.000/- रुपये व्यय किये जायेंगे।

Construction of Elephant Rehabilitation Centre

288. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Forest Minister be pleased to state the status of construction of the proposed Elephant Rehabilitation centre at Yamunanagar?

विजल मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, आप द्वारा भांगी गई सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूचना

1. हाथियों के रखने के लिए 10 पक्के छप्परों (शेड्स) का निर्माण किया गया है जिसमें 20 हाथियों को रखा जा सकता है।
2. स्थल में दो गहरे ट्यूबवेल हाथियों के पीने के पानी के लिए और नहाने के लिए स्थापित किए गए हैं।
3. हाथियों के लिए पीने के पानी व नहाने के लिए 3 तालाबों का निर्माण किया गया है जिनको पानी की आपूर्ति लाइन के साथ जोड़ा गया है।
4. सभी 10 हाथी छप्परों को पानी की आपूर्ति लाइन से जोड़ दिया गया है।
5. हाथियों के लिए खाने का सामान एवं दवाइयों को रखने के लिए दो भण्डार भवनों का निर्माण करवाया जा चुका है।
6. दो वन रक्षक निवास, दो श्रेणी-चार के निवास और दो महावत निवास का निर्माण करवाया जा चुका है।
7. केन्द्र प्रवेश के मुख्य द्वार का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
8. उत्तर हरियाणा विद्युत प्रसारण (उ०ह०वि०प्र०नि०) ने केन्द्र के हाथियों की सुरक्षा के लिए स्थल से ट्रांसफार्मर को शीघ्र हटाने का वायदा किया है।
9. केन्द्र हाथियों को तुरन्त रखने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ सुसज्जित है।

Replacement of Iron poles in Badhra Constituency.

377. Col. Raghbir Singh : Will the Power Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the iron poles of electricity and obsolete wires have not been replaced so far, the G.O. switches have not been installed and transformers are not being provided to the farmers in Badhra Constituency; and
- (b) if so, the time by which the iron poles and obsolete wires are likely to be replaced and the transformers and G.O. switches are likely to be provided to the consumers in Dadri Division?

बिजल मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) नहीं, श्रीमान।

(ख) ग्रामीण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत दादरी मण्डल के क्षेत्रों सहित समस्त राज्य में लोहे के खंभे बदलने, पुरानी व जर्जर तारों को बदलने और जी.ओ. स्विच की व्यवस्था करने का कार्य धन तथा सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए देय अवधि में पूरे किए जाने की सम्भावना है।

Merger of Improvement Trusts

303. Smt. Kavita Jain : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to merge the Improvement Trusts working in cities with the Municipal Corporations, Municipal Councils and Municipal Committees?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हाँ, श्रीमान जी।

To Compensate the Families

340. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to compensate the 13-14 families of Maheshpur village of Panchkula whose houses were demolished by HUDA?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : जी नहीं, श्रीमान।

Steps to Check Water Pollution

360. Shri Rajbir Singh Barara : Will the Environment Minister be pleased to state—

- (a) whether the Government is aware of the fact that the industries of Kala Amb are releasing contaminated and chemical mixed dirty water in Markanda River in Mullana Assembly Constituency; and

[Shri Rajbir Singh Brara]

(b) if so, the steps being taken by the Government to check water pollution as referred to in part (a) above?

बिजल मंत्री (कैप्टन अजय सिंह सादव) :

श्रीमान, एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) हाँ, श्रीमान.

(ख) यह तथ्य है कि हिमाचल प्रदेश में काला अम्ब में स्थित औद्योगिक इकाइयों से असंशोधित/आंशिक रूप से संशोधित जल प्रवाह को मारकण्डा नदी जो घग्गर नदी की एक सहायक नदी है, में प्रवाहित किया जा रहा है जो घग्गर नदी में प्रदूषण पैदा कर रहा है। मारकण्डा नदी में गिरने वाला जाटनवाला नाले की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू 420-520 मिलीग्राम प्रति लिटर के मध्य है तथा मारकण्डा नदी के जल में बीओडी वैल्यू 3.0 मिलीग्राम प्रतिलीटर की अनुज्ञेय सीमा की तुलना में 106-385 मिलीग्राम प्रतिलीटर के मध्य है। हरियाणा राज्य पर्यावरण नियन्त्रण बोर्ड ने समय-समय पर अर्थात् दिनांक 08.06.2010 (अनुबन्ध-क) एवं 06.05.2011 (अनुबन्ध-ख) अध्यक्ष, केन्द्रीय पर्यावरण नियन्त्रण बोर्ड के साथ मामला उठाया है तथा उनको अनुरोध किया है कि वे अन्तराज्य प्रदूषण समस्या होने के नाले घग्गर नदी में प्रदूषण नियन्त्रण करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य/हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को आवश्यक निर्देश जारी करें। अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को पत्र दिनांक 06.05.2011 (अनुबन्ध-ग) के द्वारा भी अनुरोध किया है कि वे घग्गर नदी के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश में काला अम्ब में स्थित उद्योगों के प्रदूषण पर नियन्त्रण करें। आगे अध्यक्ष, केन्द्रीय पर्यावरण नियन्त्रण बोर्ड को एक अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 22.02.2013 (अनुबन्ध-घ) लिखा है कि वे घग्गर नदी में प्रदूषण रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा एक अर्द्धशासकीय पत्र 22.02.2013 (अनुबन्ध-ङ) को अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को भी लिखा है कि मारकण्डा/घग्गर नदी के जल गुणवत्ता में प्रदूषण पैदा करने वाले हिमाचल प्रदेश में काला अम्ब में स्थित उद्योगों द्वारा पैदा होने वाले प्रदूषण को नियन्त्रित करें। राज्य सरकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति पूर्णतया सजग है तथा मारकण्डा/घग्गर नदी में प्रदूषण नियन्त्रण के लिए हर सम्भव कदम उठा रही है।

अनुबन्ध-क

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सी-11, सैक्टर-6, पंचकूला

क्रमांक एचएसपीसीबी/2010/537

दिनांक 08.06.2010

सेवा में

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
नई दिल्ली-110032

विषय: हरियाणा में परिवेश करती हुई मारकण्डा नदी में काला अम्ब हिमाचल प्रदेश पर अन्तर्राज्यीय प्रदूषण समस्या।

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने के निर्देश हुए हैं कि मारकण्डा नदी जो काला अम्ब पर हरियाणा राज्य में परिवेश करती है उसमें हिमाचल प्रदेश में स्थित उद्योगों द्वारा उच्च प्रदूषित जल प्रवाह भारी मात्रा में डाला जा रहा है। हमारा क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकूला क्षेत्र मारकण्डा नदी को नियमित रूप से मोनीटर कर रहा है जो बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी०, एस०एस० के पैरामीटर निर्धारित सीमा से अधिक दर्शा रही है। अधिक पैरामीटर के लिए कारण हैं हिमाचल प्रदेश के चारों ओर के क्षेत्र तथा काला अम्ब में स्थित उद्योगों द्वारा असंशोधित मलप्रवाह का डालना। हिमाचल प्रदेश के नगरों से असंशोधित सीवरेज मल प्रवाह भी मारकण्डा नदी में प्रदूषण बाहर को बढ़ाने में भी सहयोग दे रहा है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जनवरी, 2010 मास के लिए की गई मानिट्रिंग निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	विश्लेषण रिपोर्ट संख्या एवं तिथि	बीओडी प्रति मिलीग्राम	सीओडी प्रति मिलीग्राम	एसएस प्रति मिलीग्राम	पीएच प्रति मिलीग्राम	वैल एवं थोस प्रति मिलीग्राम
1	जाटनवाला नाला गौंध काला अम्ब	694 19.01.2010	1037.5	2804.8	5640.0	7.11	12.0
2	मारकण्डा नदी, हमिरपुर	695 19.01.2010	237.5	682.4	448.0	7.3	7.0

उपरोक्त के दृष्टिगत यह अनुरोध किया जाता है कि अन्तर्राज्यीय प्रदूषण समस्या होने के नाले हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नियन्त्रण बोर्ड के साथ मामले को उठाया जाए तथा हिमाचल प्रदेश नियन्त्रण बोर्ड को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं ताकि इन उद्योगों के मल प्रवाह को निर्धारित सीमा के अन्दर-अन्दर रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यावरणात्मक अभियन्ता
कृते: अध्यक्ष

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

अनुबन्ध-ख

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सी-11, सैक्टर-6, पंचकुला

क्रमांक एचएसपीसीबी/2011/1428

दिनांक 08.05.2011

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
नई दिल्ली-132001

विषय: हरियाणा के क्षेत्र में घग्गर नदी में पंजाब के विभिन्न उद्योगों से असंशोधित मल प्रवाह के कारण अन्तर्राज्यीय प्रदूषण समस्या।

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

इस सम्बन्ध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि हरियाणा क्षेत्र में घग्गर नदी तथा मारकण्डा नदी में हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब की ओर से असंशोधित मल प्रवाह किया जा रहा है। हरियाणा क्षेत्र में घग्गर तथा मारकण्डा नदी में हिमाचल तथा पंजाब की ओर से असंशोधित मल प्रवाह के बारे में नामला हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर पत्र दिनांक 05.07.2005, 22.08.2005, 30.11.2005, 31.06.2006, 04.08.2006, 30.10.2006, 05.04.2010 तथा 20.05.2010 के द्वारा उठाया जा चुका है, परन्तु उपरोक्त पत्राचार के समाधान पर कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है।

हाल ही में फरवरी तथा अप्रैल, 2011 मास में क्षेत्रीय अधिकारी, पंचकुला द्वारा पंजाब क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में भिन्न-भिन्न जगहों से एकत्रित किए गए नमूने दर्शाते हैं कि मानिट्रिंग नमूनों के परिणाम निम्न प्रकार से निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं:-

हिमाचल प्रदेश

क्रम संख्या	ड्रेन/नाले का नाम	विश्लेषण रिपोर्ट संख्या एवं तिथि	डीओडी प्रति मिलीग्राम	सीओडी प्रति मिलीग्राम	एसएस प्रति मिलीग्राम	तेल एवं ग्रीस प्रति मिलीग्राम
1	मारकण्डा नदी, हमिदपुर से निकलती हुई	1785 28.02.2011	182.0	724.80	760.0	12.0
2	जाटनवाला नाला, गाँव काला अम्ब	1784 19.01.2011	740.0	2450.0	6850.0	28.0

पंजाब राज्य

क्रम संख्या	ड्रेन/नाला का नाम	विश्लेषण रिपोर्ट संख्या एवं तिथि	बीओडी प्रति मिलीग्राम
1	घग्गर नदी, समीप गाँव सरला कमला साइफोन, पटियाला	2015 दिनांक 20.04.2011	10.0
2	नाला समीप, गाँव मदुवन, साइफोन, जिला पटियाला	2016 दिनांक 20.04.2011	20.0
3	घग्गर नदी, समीप गाँव उंतसर, जिला पटियाला	2014 दिनांक 20.04.2011	13.5

उपरोक्त परिणाम स्पष्ट दिखाते हैं कि बीओडी, सीओडी, एसएस तथा तैल एवं ग्रीस के प्रवाह का उच्च घनत्व हरियाणा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के विभिन्न उद्योगों से मल प्रवाह के डिस्चार्ज के कारण है जो घग्गर तथा भारकण्डा नदी की गुणवत्ता को बिगाड़ रहा है।

यद्यपि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पंजाब राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का ध्यान अनेकों पत्राचारों के माध्यम से इस गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय प्रदूषण समस्या की ओर दिलाया गया था परन्तु हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा पंजाब राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए कोई गम्भीर कदम अब तक नहीं उठाए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त घग्गर नदी पंजाब के गाँव टिबाना, सरौला, रतरहेड़ी, खानोरी, मानक तथा डेराबस्सी से लालडू तक क्षेत्र में स्थित उद्योगों, राजपुरा में उद्योगों, बनूड तथा पटियाला की डिस्टीलरी से प्रदूषित नल प्रवाह नदी घग्गर में कई निकासियों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। आगे भुक्तसर के समीप लिसार ड्रेन का उदगम पंजाब क्षेत्र से होता है तथा हरियाणा में डबबाली में प्रवेश करता है जहाँ गले तथा कागज की इकाइयों अपने आंशिक संशोधित/असंशोधित मल प्रवाह को लिसार ड्रेन में डिस्चार्ज करते हुए बताया गया है जिससे घग्गर नदी में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है।

आगे हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला, परवाणु, काला अम्ब में स्थित इकाइयों से किया जा रहा मल प्रवाह घग्गर नदी में प्रदूषण को बढ़ा रहा है परवाणु बैरियर के समीप सुखना नाला, गाँव बाडगोदाम के समीप बाडगोदाम नाला, गाँव डेरा के समीप जटावाला नाला तथा हमीरपुर, काला अम्ब के समीप भारकण्डा नदी से लिए गए मानिटरेिंग नमूनों का परिणाम यह साबित करता है कि घग्गर नदी में भारी मात्रा में प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, यह अनुरोध किया जाता है कि हिमाचल तथा पंजाब राज्य के सम्बन्धित प्राधिकारियों को शीघ्रातिशीघ्र ठोस प्रदूषण कम करने के उपायों को लागू करने के लिए निर्देश दिए जाएं ताकि घग्गर/भारकण्डा नदी में प्रदूषण की समस्या स्थायी आधार पर सुलझायी जा सके।

पर्यावरणात्मक अभियन्ता-11 (मुख्यालय)

कृते : अध्यक्ष

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

अनुबन्ध-ग

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सी.।।. सेक्टर-6, पंचकूला

क्रमांक एचएसपीसीडी/2011/1426

दिनांक 06.05.2011

सेवा में

अध्यक्ष,

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

हिम परिवेश, फेज-3,

नई शिमला-171009

विषय : हिमाचल प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा हरियाणा क्षेत्र में छोड़े गये अपशिष्टों से उत्पन्न अन्तर्राज्यीय समस्या बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला, परवाणु एवं काला आम्ब में स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा हिमाचल की तरफ से हरियाणा क्षेत्र में घग्गर/मारकण्डा नदी में अपशिष्ट छोड़े जा रहे हैं। हिमाचल की तरफ से हरियाणा के क्षेत्र में घग्गर/मारकण्डा नदी में छोड़े गये अनौपचारिक अपशिष्टों के बारे में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न पत्रों दिनांक 30.11.2005, 30.10.2006 और 21.05.2009 द्वारा मुद्दा उठाया गया परन्तु उपरोक्त पत्राचारों का कोई जवाब नहीं मिला।

फरवरी, 2011 में क्षेत्रीय अधिकारी, पंचकूला द्वारा मारकण्डा/घग्गर नदी में विभिन्न रसायनों से लिए गए नमूनों का पैरामीटर मान्य सीमा से ज्यादा पाये गये जैसे कि:-

क्रमांक	नाला/नालियों का नाम	ए०/आर० का नं० एवं दिनांक	बीओडी प्रति (मिलीग्राम/लीटर में)	सीओडी (मिलीग्राम/लीटर में)	एसएस (मिलीग्राम/लीटर में)	तेल और ग्रीस (मिलीग्राम/लीटर में)
1	मारकण्डा नदी के नीचे बहाव गाँव हमीधपुर	1785 28.2.2011	182.0	724.80	760.0	12.0
2	जटटावाला नाला, काला आम्ब	1784 28.2.2011	740.0	2450.0	6850.0	28.0

उपरोक्त परिणामों से साफ पता चला है हिमाचल क्षेत्र में अपशिष्टियों में बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी०, एस०एस० और तेल एवं ग्रीस की अधिक मात्रा से घग्गर/मारकण्डा नदियों की जल गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में, ये प्रार्थना की जाती है कि काला आम्ब और परवाणु में औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों को हरियाणा क्षेत्र में रोकने के लिए उचित कदम उठाये जायें जोकि मारकण्डा/घग्गर नदी के जल गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं।

पर्यावरणात्मक अभियन्ता-।। (मुख्यालय)

कृते : अध्यक्ष

अनुबन्ध-ध

डॉ० अश्वत्थार सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष

अशः संख्या 1285 दिनांक 22.02.2012
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सी-11, सेक्टर 6, पंचकुला(हरियाणा)
ईमेल : एचएसपीसीबी@एचआरवाई.एनआइसी.ईन

विषय : हिमाचल प्रदेश की काला आम्ब में स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा मारकण्डा/घग्गर नदियों में असंशोधित/आंशिक संशोधित अपशिष्ट छोड़े जाने वाले प्रदूषण बारे।

प्रिय श्रीमान जी,

हिमाचल प्रदेश की काला आम्ब स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा मारकण्डा/घग्गर नदियों में छोड़े जाने वाले असंशोधित/आंशिक संशोधित अपशिष्ट के कारण प्रदूषण बारे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मारकण्डा नदी घग्गर की सहायक नदी है जोकि घग्गर में आकर गिरती है और काले आम्ब से आने वाला जटवाला नाला मारकण्डा नदी में गिरता है। जटवाला नाला के बी०ओ०डी० डिमाण्ड 420 से 520 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में रहती है जबकि निर्धारित सीमा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की है। इससे मारकण्डा नदी की बी०ओ०डी० 106 से 385 मिलीग्राम प्रति लीटर रहती है। जबकि निर्धारित सीमा 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर है। वर्ष 2012 में जटवाला नाला एवं मारकण्डा नदी के केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से लिये गये नमूनों के परिणाम निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है जो कि नीचे दिये गये हैं :-

क. जटवाला नाला

परिणाम/तिथि	मापदण्ड			
	बी०ओ०डी०	सी०ओ०डी०	एस०एस०	ओडल एवं ग्रीस
8.2.2012	520	2216	1620	18
7.5.2012	420	1620	1010	12.5
31.8.2012	420	1611.20	316	12

ख. मारकण्डा नदी (घग्गर की सहायक नदी)

परिणाम/तिथि	मापदण्ड			
	बी०ओ०डी०	सी०ओ०डी०	एस०एस०	ओडल एवं ग्रीस
27.2.2012	106	308.20	340	8.0
5.3.2012	128.5	852.80	356	3.0
21.6.2012	385	1809.6	1636	12.5
मान्य सीमाएं	3.0	शून्य	शून्य	शून्य

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

उपरोक्त परिणामों से साफ हो जाता है कि बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी०, एस०एस० ऑयल एवं ग्रीस निर्धारित सीमाओं से अधिक है जोकि दर्शाता है कि जटवाला नाला एवं मारकण्डा नदी, घग्गर नदी जल की गुणवत्ता को प्रदूषित कर रही है।

यदि आप इस मामले में ध्यान देकर हिमाचल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को काला आम्ब में स्थित इकाइयों का प्रदूषण रोकने बारे निर्देश देंगे तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँगा।

सादर

हस्ता०

(डा० अवतार सिंह)

श्री अजय त्यागी, आई.ए.एस.
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
नई दिल्ली।

अनुबन्ध-ड

डा० अवतार सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष

अश: संख्या 1286 दिनांक 22.02.2013
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सी-11, सेक्टर 6, पंचकुला(हरियाणा)
ईमेल : एचएसपीसीबी@एचआरआई.एनआइसी.ईन

विषय: हिमाचल प्रदेश के काला आम्ब में स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा मारकण्डा/घग्गर नदियों में असंशोधित/आंशिक संशोधित अपशिष्ट छोड़े जाने वाले प्रदूषण बारे।

प्रिय श्री पठानिया,

जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की काला आम्ब स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा मारकण्डा/घग्गर नदियों में छोड़े जाने वाले असंशोधित/आंशिक संशोधित अपशिष्ट के कारण घग्गर नदी में प्रदूषण हो रहा है। मारकण्डा नदी घग्गर की सहायक नदी है जोकि घग्गर में आकर गिरती है और काले आम्ब से आने वाला जटवाला नाला मारकण्डा नदी में गिरता है। जटवाला नाला के बी०ओ०डी० डिमान्ड 420 से 520 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में रहती है जबकि निर्धारित सीमा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की है। इससे मारकण्डा नदी की बी०ओ०डी० 106 से 386 मिलीग्राम प्रति लीटर रहती है। जबकि निर्धारित सीमा 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर है। वर्ष 2012 में जटवाला नाला एवं मारकण्डा नदी के केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से लिये गये नमूनों के परिणाम निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है जो कि नीचे दिये गये हैं :-

क. जटवाला नाला

परिणाम/तिथि	मापदण्ड			
	बी०ओ०डी०	सी०ओ०डी०	एस०एस०	ओयल एवं ग्रीस
8.2.2012	520	2216	1620	18
7.5.2012	420	1620	1010	12.5
31.8.2012	420	1611.20	316	12

ख. मारकण्डा नदी (घग्गर की सहायक नदी)

परिणाम/तिथि	मापदण्ड			
	बी०ओ०डी०	सी०ओ०डी०	एस०एस०	ओयल एवं ग्रीस
27.2.2012	106	308.20	340	8.0
5.3.2012	128.5	852.80	356	3.0
21.6.2012	385	1809.6	1636	12.5
मान्य सीमाएं	3.0	शून्य	शून्य	शून्य

उपरोक्त परिणामों से साफ हो जाता है कि बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी०, एस०एस० ओयल एवं ग्रीस निर्धारित सीमाओं से अधिक है जोकि दर्शाता है कि जटवाला नाला एवं मारकण्डा नदी, घग्गर नदी जल की गुणवत्ता को प्रदूषित कर रही है।

यदि आप इस मामले पर ध्यान देंगे तथा हिमाचल प्रदेश के काला आम्ब औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों को मारकण्डा/घग्गर नदी के जल को बचाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँगा।

सादर

हस्ता०

(डा० अवतार सिंह)

श्री कुलदीप सिंह पठानिया,
अध्यक्ष, हिमाचल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
शिमला।

Supply of Electricity to the Dhanies

366. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Power Minister be pleased to state—

- (a) whether the Government is aware of the fact that there are no arrangements for supplying electricity to hundreds of Dhanies situated in Adampur; and
- (b) the steps taken by the Government to ensure power supply to all the Dhanies situated in Adampur for securing the assistance from Central Government by formulating an extensive scheme under Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme of Central Government?

विजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

- (क) श्रीमान, द्वाणियों को बिजली आपूर्ति देने के लिए प्रबन्ध सरकार की नीति के अनुसार है। नीति के अनुसार उपलब्ध ढांचे के 30 मीटर के अन्दर आने वाली द्वाणियों को छोड़कर सम्बन्धित उपभोक्ताओं द्वारा विद्युतीकरण की लागत जमा करवानी होती है।
- (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अनुसार, विद्युतीकरण के लिए उन द्वाणियों को शामिल किया जाता है जिनकी जनसंख्या 100 से ज्यादा है। आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की द्वाणियों की जनसंख्या 100 से कम है। अब तक विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस शर्त की छूट नहीं दी गई है।

Census of Missing Children

276. Shri Sampat Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the State Government to conduct a census of missing children in the State?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान जी, फिर भी, गुमशुदा बच्चों के सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सभी गुमशुदा व्यक्तियों व बच्चों की बारीकी से निगरानी के लिए राज्य में छः मानव तस्करी विरोधी इकाइयां स्थापित की गई हैं।

Appointment of Leander Paes as Brand Ambassador

290. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state the terms and conditions set by the Government with respect to the appointment of Leander Paes as the Brand Ambassador of Haryana Sports Department together with the tangible benefits received by the State with his appointment so far?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) : श्रीमान जी,

वर्ष 2012 में श्री लिण्डर पेस ने राज्य में लॉन टेनिस के स्तर को सुधारने के लिए हरियाणा को सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की थी। इस संबंध में सरकार द्वारा कोई शर्तें भिद्यत नहीं की गई हैं।

Construction of Water Works

378. Col. Raghbir Singh : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct water works or to dig out tubewell bores in the villages of Dadhi Chillar, Dudhwa and Datauli; if so, the time by which the water works are likely to be constructed or tubewells are likely to be dug out?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : श्रीमान जी, गांव डाढी जिल्लर में जल घर के निर्माण करने अथवा बलकूप बोरों की खुदाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गांव दतौली में, दुधवा और दतौली गांवों को पोषित करने के लिए 100.71 लाख रुपये की लागत से एक नहर आधारित जल घर का निर्माण किया गया था परन्तु यह चालू नहीं हो सका क्योंकि सियाना मार्गिनर से भूमि विवाद होने के कारण इनलेट चैनल का निर्माण नहीं हो सका। इस जल घर को कार्यात्मक बनाने के लिए 475.00 लाख रुपये का अनुमान 9 जनवरी, 2013 को प्रशासकीय अनुमोदित हो चुका है और सतनाली फीडर से नहरी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित है। कार्य के अप्रैल, 2013 में शुरू होने की संभावना है और जल घर 31.3.2014 तक चालू होने की आशा है।

Benefit of Service to Government Employees

351. Smt. Kavita Jain : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give the benefit of twenty eight years of service to the Government employees who have retired during the period from January, 2006 to 17th April, 2009?

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा) : नहीं, श्रीमान जी।

More Bus Services from Panchkula

341. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide more bus services to the cities such as Hisar, Jind, Rohtak, Sirsa, Hansi and Narnaul from Panchkula?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान जी।

Problem of Low Voltage

361. Shri Rajbir Singh Barara: Will the Power Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that village Talheri Gujran and about 15-20 villages adjacent to it falling under Saha Block in Mulana Assembly Constituency are facing the problem of low voltage; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a New Power House in the said area; and
- (b) if the reply to part (a) above be in affirmative the time by which the Power House is likely to be set-up in the abovesaid area?

विजल मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

- (क) नहीं, श्रीमान।
- (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Supply of Drinking Water in Dhanies

367. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

- (a) whether any scheme has been formulated by the Government to supply drinking water to all Dhanies situated in Adampur; if so, the details thereof; if not, the reasons thereof; and
- (b) the steps taken by the Government to ensure the supply of drinking water in the all the Dhanies situated in Adampur Constituency?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

- (क) नहीं श्रीमान। पीने के पानी की आपूर्ति सुविधाएं केवल उन ढाणियों में प्रदान की जा रही हैं जिनकी जनसंख्या 100 व्यक्ति या अधिक है। इस समय अलग-अलग क्षेत्रों में बने हुए घरों में पीने के पानी की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- (ख) आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सभी 67 ढाणियों, जिनकी जनसंख्या 100 व्यक्ति या ज्यादा है, में पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।

ध्यानकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने Regarding a sharp upsurge of Swine Flu cases in Haryana पर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था, उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आपका स्वाइन फ्लू के बारे में दिया गया कालिंग अटैन्शन मोशन एडमिट कर लिया है तथा वह 6 मार्च, 2013 के लिए फिक्स किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर. *****

Mr. Speaker : Not to be recorded whatever is said by anybody without my permission.

स्थगन प्रस्तावों की सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Member, as both the issues in adjournment motions are very of vital importance and are of urgent nature, therefore, with the sense of the House Rule 68 (i) may be relaxed. These two adjournment motions may be taken up today immediately. The adjournment motion No. 1 given by Shri Sampat Singh, MLA will be taken up first as it was moved first and the adjournment motion No. 2 given notice by Shri Ashok Kumar Arora will be taken up today subsequently.

Now, Hon'ble Members, is it the sense of the House that the adjournment motion No. 1 and 2 may be relaxed to be taken up today immediately?

Voice : Yes, Sir.

Mr. Speaker : Alright, these two adjournment motion will be taken today immediately. Now, Shri Sampat Singh, MLA may read out his notice.

श्री रामपाल माजरा : सर, आप उसको आपके नोटिस में आने के बाद भी डिसअलाउ कर सकते हैं। Sir it is unconstitutional because this matter is sub-judice. In this regard, I want to raise some points. Sir, Rules 68 (xi) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly says that-

“the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a Court of law;”

Therefore, the said Rule applies to this motion in question because this matter is sub-judice.

This Rule of sub-judice also applies to the motions question, statement, resolutions and other debates as provided on page 268 of the Book of Speaker's Rules of Lok Sabha. Therefore, this Rule of sub-judice has application during the period when this matter is under active consideration of Court of Law as provided on the page 261 of Book of Speaker's Rules of Lok Sabha. The Rule of sub-judice also applies in regard to the specific issue before a Court of Law. It is written here as 'specific issue' This issue also is a specific issue as per the Rules mentioned at page 62 of the Book of Speaker's Rule of Lok Sabha. The Hon'ble Speaker Lok Sabha on 4th August, 1977 after admitting the motion ruled out the motion in

चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री रामपाल माजरा]

respect of criminal case of Balchi affair stating that a point which is sub-judice cannot be discussed in a motion as provided at page 62-67 of Book Speaker's Rules of Lok Sabha. According to parliamentary convention as provided at page 2411 etc. of the Book on Parliamentary Procedure written by Shri Subhash Kashyap also applies to this issue that discussion on matter which is sub-judice is out of order. It may also be relevant to state that according to Rules 168, 186 of (8) of Rules and Procedure and Conduct of Business of Lok Sabha - any subject that relates to any matter which is under adjudication by Court of Law having jurisdiction in parts of India is not to be admitted for discussion, Sir. सर, प्रोफेसर सम्पल सिंह जी ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। स्पीकर सर, यह मैटर तो सबजूडिस है और सबजूडिस मैटर पर आपने भी अपनी रूलिंग दी हुई है। यही हम गोपाल कांडा जी वाला केस के बारे में कह रहे थे। उसमें भी आपने कहा था कि the matter is sub-judice so that discussion cannot be hold here. सर, यहाँ तक ही इस मैटर को टी.वी. चैनल पर दिखाना था उस पर हाई कोर्ट ने स्टै कर दिया इसलिए आप भी इसे डिसअलाउ करें। Speaker Sir, you have the power.

नियम 22 (2) तथा (3) के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 22 (2) and (3).

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I beg to move--

That the discussion on Governor's Address be postponed till 28th February, 2013 in favour of Adjournment Motions in the course of today's Sitting at the time as the Assembly may decide under Rule 22 (2) and (3) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

Mr. Speaker : Motion moved--

That the discussion on Governor's Address be postponed till 28th February, 2013 in favour of Adjournment Motions in the course of today's Sitting at the time as the Assembly may decide under Rule 22 (2) and (3) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

Mr. Speaker : Question is--

That the discussion on Governor's Address be postponed till 28th February, 2013 in favour of Adjournment Motions in the course of today's Sitting at the time as the Assembly may decide under Rule 22 (2) and (3) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

बैठकों का स्थगन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of Adjournment Motion from Shri Sampat Singh, MLA regarding losing of moral right of Shri Om Prakash Chautala.

The motion was carried.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, क्या इस एडजर्नमेंट मोशन पर डिस्कशन हो सकती है, हमें इस बारे में आपकी रूलिंग चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, डेमोक्रेसी में पहली दफा कोई सरकार अपने खिलाफ एडजर्नमेंट मोशन लेकर आई है। आज से पहले न तो लोकसभा में और न ही किसी एसेम्बली में इस तरह का एडजर्नमेंट मोशन आया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे रूलिंग मांग रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी रूलिंग दें?

श्री अध्यक्ष : आप लोग, प्लीज बैठिये, मैं रूलिंग दे रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग जब बैठेंगे तभी तो मैं अपनी रूलिंग दूंगा। Please sit down. This adjournment motion is something else. (interruption) आप लोग प्लीज बैठिये (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, if I may please be allowed, I will explain in just some minutes. जब माजरा जी बोल रहे थे तब हम सबने शांत होकर उनकी बात को सुना था। (शोर एवं व्यवधान) तो अब उनको कम से कम उसका जवाब तो सुनना ही चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) माजरा जी अभी से इतने छबराये हुए क्यों हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, जब आप बोल रहे थे तो सभी ने शांत होकर के आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना था। (शोर एवं व्यवधान) अब आपको भी शांत भाव से सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आप बाहर लोगों के बीच में जाकर तो बहुत कुछ बोल रहे हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे माजरा जी को दिक्कत हो। (शोर एवं व्यवधान) इनको जवाब तो सुन लेना ही चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) जब ये बोल रहे थे तो हम लोगों ने बड़े ध्यान से इनकी बात सुनी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, हमें आपकी रूलिंग चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप प्लीज बैठिये, मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : विज साहब, आप यह बतायें कि आपकी पार्टी कौन सी है? पहले आप इस बारे में निर्णय करें। (शोर एवं व्यवधान) आपका यही नहीं पला चलता कि आप लोकदल में हैं या भारतीय जनता पार्टी में हैं? (शोर एवं व्यवधान) आपका तो चक्कर समझ में ही

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

नहीं आता?(शोर एवं व्यवधान) आप पहले गुर्जर साहब से राय कीजिये और पीछे जो बहन कविता जी बैठी हुई हैं उनसे बात कीजिये, अपने प्रदेश अध्यक्ष से राय कीजिये ... (शोर एवं व्यवधान) विज साहब, आपका तो यही नहीं मान्नुम चलता है कि आप कौन सी पार्टी के अन्दर हैं? (शोर एवं व्यवधान) गुर्जर साहब, आप इनको समझाईये कि इनकी पार्टी कौन सी है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम आपसे रूलिंग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, रूलिंग के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) Let me give a ruling. (Interruption) Please sit down, I am giving my ruling. (Interruption) You are not ready to listen. आप लोग सुनना ही नहीं चाह रहे हो। मैं तो अपनी रूलिंग देने के लिए तैयार हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, they are not ready to listen. Sir, why are they so scared? (Interruption)

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, यह सब-ज्युडिश मैटर क्या चीज है? (शोर एवं व्यवधान) इसके बारे में हमें भी तो पता लगना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) संपत जी द्वारा ऐसा क्या मैटर लाया गया है जो ये साथी इतना शोर मचा रहे हैं? इस बारे में हमें भी पता चलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह जो भी मैटर है चाहे किसी भी प्रकार का है अगर सदन में नहीं रखेंगे तो कहां रखा जायेगा? (शोर एवं व्यवधान) ये 90 सदस्य जो लोगों ने चुनकर भेजे हैं सारा हरियाणा प्रदेश इन लोगों के अन्दर ही निहित है। (शोर एवं व्यवधान) जो मैटर संपत जी के पास है अगर उसे इस सदन के सदस्यों के सामने उजागर नहीं किया जायेगा तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर यह बात उजागर होगी? (शोर एवं व्यवधान) कम से कम प्रो. संपत सिंह जी इस मैटर को पढ़कर तो सुनायें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, राम पाल माजरा जी ने जब अपनी बात कही थी तो उसे हमने बड़े ध्यान से सुना था। (शोर एवं व्यवधान) अभी इनको डर क्यों लग रहा है? (शोर एवं व्यवधान) अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इनकी हवाईयां क्यों उड़ रही हैं अभी तो कुछ बोला ही नहीं गया है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, ***** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Whatever is said by Mr. Vij without my permission, may not be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, विज साहब की पार्टी के अध्यक्ष श्री रामबिलास शर्मा जी सदन के बाहर कुछ और कहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनकी पार्टी के तीनों सदस्य भी इनके साथ नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) विज साहब, आप इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वॉयन ही कर लीजिये? (शोर एवं व्यवधान)

आपकी पार्टी का तो यह स्टैंड ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आपकी पार्टी का अलग स्टैंड है और इंडियन नेशनल लोकदल का अलग स्टैंड है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप मेरी रूलिंग चाहते थे लेकिन आप खुप नहीं बैठते, इसका मतलब तो यही हुआ कि आप मेरी रूलिंग लेना ही नहीं चाहते हैं?

श्री आनन्द सिंह दांगी : माजरा जी, प्रो. सम्पत सिंह जी इस सदन के एक मੈम्बर हैं, वह सरकार नहीं हैं... (शोर एवं व्यवधान) वे इस सदन में अपनी बात को कह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) उनके नॉलेज में यदि कोई बात है तो उसको कहने का अधिकार उनको है, उसको एक्सप्लेन करने का अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान) सरकार और संपत सिंह जी को आपस में जोड़कर क्यों बात करते हो? (शोर एवं व्यवधान) सदन में अपनी बात रखने में सारे सदस्य इंडिपेंडेंट हैं। यह सदन ही एक ऐसी जगह है जहां सदस्य अपनी बात रख सकते हैं (शोर एवं व्यवधान) इस महान सदन के अलावा दूसरी तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पर सदस्यों द्वारा अपनी बात रखी जा सके। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन यहां पर जो इकीकत है वह ध्यान करनी ही पड़ेगी। उसको क्यों नहीं करने देते आप लोग। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रो. सम्पत सिंह जी को अपना प्रस्ताव मुद्ध करने दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, विज साहब से कम से कम इतना तो क्लेरीफाई करवा लिया जाये कि वे इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य हैं या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। (शोर एवं व्यवधान) क्योंकि इनकी पार्टी का कुछ अलग स्टैंड है, गुर्जर साहब का कुछ अलग स्टैंड है, बहन कविता जैन जी का अपना अलग स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का कोई और ही स्टैंड है और खुद विज साहब का भी बिल्कुल भिन्न स्टैंड है। स्पीकर सर, अभी तो केवल विपक्ष के साथियों ने ही अपनी बात कही है। (शोर एवं व्यवधान) हमने तो अपनी बात अभी तक कही ही नहीं है (शोर एवं व्यवधान) Sir, in Parliamentary democracy they have to hear that. आप विज साहब से पूछिये कि क्यों न य इनलो में ही शामिल हो जायें ? (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आप ही बतायें कि मैं आपकी इजाजत लेकर बोल रहा हूँ या नहीं? (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, विज साहब के लिए यह सिफारिश कर दीजिये कि अगली बार अम्बाला कैंट से इनको लोकदल का टिकट दे दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान) विज साहब, आपको अगली बार अम्बाला कैंट से भारतीय जनता पार्टी की जगह लोकदल की ही टिकट दिलवायेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप धिक्का मत करें। (शोर एवं व्यवधान) Sir, if their intention is to disrupt the proceedings and not to listen anything then I can't help him. When he was speaking, we were listening to him. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, आपका स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है। (शोर एवं व्यवधान) राम पाल माजरा जी, आपने कहा कि मैं रूलिंग दूँ। Now, I am giving my ruling but you do not want to listen. Let me give my ruling. (Interruptions) आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, यह मैटर सब-ज्यूडिश कहां है? सारे प्रदेश में इस बारे में खूली तौर पर बातें होने लग रही हैं। ये लोग खुद पूरे प्रदेश के अंदर इस बारे में बोलने लग रहे हैं। यहां पर जो 90 नुमाइंदे हरियाणा की जनता ने चुनकर भेज रखे हैं यदि उनके सामने यह बात नहीं रखी जाएगी तो कहां रखी जाएगी ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, *****

श्री अध्यक्ष : ये जो सदन में बार बार एक दूसरे के लिए तू शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है इसे रिकार्ड न किया जाए। (व्यावधान) Majra Ji you should wait for my ruling. आप बैठें ही कह रहे हैं। You do not know what my ruling is?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जेल के अंदर से भाषण देते हैं तो यहां पर धर्मा में क्या दिक्कत हो रही है।

श्री आनंद सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, आज हाउस की कार्यवाही शुरू होते ही आपने जो निर्देश दिये थे उन्हें आप कृपा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अब सारा सदन यहां पर हाजिर है। हर सदस्य बहुत जिम्मेदार है। हम सबको सभ्यता से सदन को चलाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आज कवेशचन ऑवर शुरू होने से पहले मैंने यह बात कही थी कि सभी माननीय सदस्य एक दूसरे के प्रति बड़े ही सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें। किसी को तू कहना और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आप सदन ही नहीं बल्कि अपनी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात जरूर कहें लेकिन उसमें जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें भाषा का नियंत्रण रखें। (व्यावधान) Do not say these words. You are casting aspersions on the Chair. Please sit down.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी का स्टैंड यहां पर रखना चाहता हूं।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I was on my legs. You have given me permission to speak before Shri Vij got up. (Interruptions) Speaker Sir, if he is continuing running commentary, it is completely unacceptable. (Interruptions) Sir, I have sought your permission after Shri Ram Pal Majra Ji had spoken. I sought your permission and I sat till he completed. सर, रूल 68 है उसकी कमेंट्री रामपाल माजरा जी ने पढ़कर सुनाई है। रूल 68 जो है उसके सब क्लॉज 3 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा "that any motion that has to be restricted to a specific matter of recent occurrence". सर, इन्होंने कहा कि मैटर सब-जूडिस है इसलिए कंसीडर नहीं किया जा सकता। कांडा साहब के मामले का भी उदाहरण दिया। दो बातें जान लें, इस केस में कंविक्शन हो चुकी है। What is pending is an appeal. Trial is not pending Sir. A trial has taken place. जे.बी.टी. स्कैम पिछली बार जब अराइज हुआ तो आपने रूलिंग दी थी आप इस बारे में रिकार्ड निकलवाकर कर देख लें। आपने कहा था कि मैटर सब-जूडिस है इसलिए मैं यहां डिस्कस नहीं करने दूंगा। हमने स्वीकार कर लिया। Now, conviction has taken place. Sentence has been pronounced. Accused are in custody as per the sentence pronounced. They have filed an appeal. What Majra Sahib wants to say, that for all times to come as long as appeal is pending, we can discuss it but it is wrong. We are not discussing the merits of the appeal. Speaker Sir, what is the

motion? The motion is on probity in public life and moral right, ethical right of a member to continue as Leader of Opposition once he has been convicted. Sir, Mr. Kanda's case was when only an FIR was lodged and the matter was still under investigation. Not even a trial had started. Here trial has been concluded. Sentence has been pronounced. This is a totally different case. Moreover, if we read the language of the motion it is about probity in public life. We have upheld that probity. When an FIR was lodged against Mr. Kanda, he resigned as a Minister. When a FIR was lodged against two other Members of this House whether he was Shri Zile Ram Sharma Ji, whether he was Mr. Om Parkash Jain Ji, they had resigned as a Minister as well as Chief Parliamentary Secretary respectively. All that Shri Sampat Singh's motion says. If that is the criteria and yardstick in this very House by which we are going to judge the conduct of people then how can Leader of the Opposition continue as Leader of Opposition? What is this moral or ethical right and what is the difficulty in discussing that. That is not sub-judice. Sir, so, that is my humble submission that he is misleading the facts.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, हिन्दुस्तान की डेमोक्रेटिक इतिहास में किसी भी विधान सभा में या लोक सभा में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार काम रोकने प्रस्ताव ला रही है।

Mr. Speaker : A member is not 'Sarkar'. That is a wrong statement. You don't know the definition. (Interruption).

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आप पहले यह तय कर दें कि प्रो. सम्पत सिंह जी सरकार में हैं या विपक्ष में हैं। स्पीकर सर, सरकार का काम होता है सदन की कार्यवाही को चलाना।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he is again misleading the House. He is misquoting things. (Interruption)

Mr. Speaker : Every member has a right to bring a resolution. (Interruption)
There is difference between Government and a member. (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, अनिल विज साहब चार-चार बार विधायक बनकर आये हैं और इनको यह भी नहीं पता कि सरकार कौन है और सदन का भ्रम्बर कौन है?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, सरकार का काम होता है सदन की कार्यवाही को चलाना न कि काम रोकना। यह बात तो आप सदन की कार्यवाही को कभी भी शोक कर कह सकते हैं। कल जय रेलवे बजट की बात आई तो सदन की सारी कार्यवाही रोककर उस पर रैजोलूशन पास किया गया था।

Mr. Speaker : This is not a Government Resolution.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Government Resolution is that which has been taken up by the House yesterday thanking the UPA Government on Rail Budget. That was Government Resolution. Why does he not read the difference between an Adjournment Motion and a Government resolution? He has no idea.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, सरकार का काम होता है सदन की कार्यवाही को चलाना। काम रोको प्रस्ताव लाना और गवर्नर एड्रेस पर सदन की चर्चा को सैस्पेंड करना यह ठीक बात नहीं है। This is not in good taste कि सरकार काम को रोके। दूसरी बात जो आप सब-ज्यूडिश मैटर कह रहे हैं, it is clearly mentioned in Rule 68(XI) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly that the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a Court of Law.

Mr. Speaker : Mr. Vij, have you understood the motion?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, अभी तो वह मोशन सदन में पेश ही नहीं हुआ है।

Mr. Speaker : If it has not been presented then how have you understood it? अनिल विज जी पहले आप प्रस्ताव को प्रैजेंट तो होने दें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आपने कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो अपनी प्रजेम्पशन करके थल रहे हैं। पहले आप देखें तो सही कि कोर्ट ऑफ ला से संबंधित है या नहीं। Hon'ble Parliamentary Affairs Minister has said that it is concerning probity in public life. It is regarding probity in public life not regarding this case.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, सरकार सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाये, हरियाणा के इतिहास में शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No, it is wrong. Alright, I have heard you now please sit down.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, ऐसा क्या जरूरी प्रस्ताव है कि सरकारी काम को रोक जाए। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Rampal Majra : Speaker Sir, a point which is sub-judice cannot be discussed in a motion. (Interruption)

Mr. Speaker : I have not allowed you. (Interruption) Rampal Majra ji, please sit down.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह मैटर सब-ज्यूडिश है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये तो विधान सभा का समय खराब करने वाली बात है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Do you want my ruling? आपको मेरी रूलिंग चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) Then I can give my ruling (शोर एवं व्यवधान) मैं इस पर रूलिंग दे सकता हूँ। मैं रूलिंग दे देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : आप इस पर रूलिंग दे दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर रूलिंग दे देता हूँ। आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) मैं रूलिंग दे देता हूँ। आपने कह दिया रूलिंग दे दो तो मैं रूलिंग दे देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठकर सुनें तभी मैं रूलिंग दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, ये सदन का समय बरबाद करना चाहते हैं। ये भागना चाहते हैं। ये सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, अगर फाइनल आर्डर डिलीवर हो जाता तब तो डिस्कशन हो सकता था परंतु फाइनल आर्डर अभी नहीं हुआ है। यह तो एक कोर्ट का आर्डर है और वह आलरेडी चैलेंज्ड है *****

श्री अध्यक्ष : I have not allowed you to speak. Nothing is to be recorded. (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बलरा : अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी कितनी बार एक बात को रिपीट करेंगे, ये बता दें। ये एक बार रिपीट करेंगे या सौ बार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनकी बात सुनने के बाद इनको सुनने का पेशियंस भी रखना चाहिए। केस की जजमेंट के बारे में और इसके फैक्ट्स के बारे में इस हाउस में डिस्कस नहीं हो रही बल्कि इन लोगों ने बाहर स्टेज पर डिस्कस किया है कि कोर्ट ने यह कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया। इन्होंने कोर्ट को ब्लाइंड कहा है। यहां तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो वाक आउट करना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आज इनको जाने नहीं देना। कुडी लगवा लें ताकि ये भागें ना। आज इनको बाहर न जाने दें क्योंकि ये भागने का ग्राउंड बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इन्हें बिल्कुल जाने नहीं देना। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनसे हाथ जोड़कर बिनती करता हूँ कि ये आज बिल्कुल वाक आउट न करें और यहीं रहें। ये इस मोशन पर डिस्कस करें। ये केवल बाहर जाकर खबर बनाना चाहते हैं। मेरा इनसे हाथ जोड़कर सादर अनुरोध है कि ये बिल्कुल बाहर न जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग वाक आउट तो नहीं करेंगे ?

आवाजें : नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : They have assured कि ये वाक आउट नहीं करेंगे।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप कांस्टीच्युशन के मुताबिक विधान सभा को चलाएंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे परंतु यदि रूलज आफ प्रोसीजर को पांच के नीचे रौंदकर चलाएंगे तो हम कैसे आपका सहयोग करेंगे ? (शोर एवं व्यवधान) आप अपना फैसला खुद ही बदल देने लो कैसे चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

• वेयर के आदेशानुसार रिजॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपने मुझे कहा है कि रूलिंग दो तो मैं रूलिंग देने की बात कर रहा हूँ। आप सुनना नहीं चाहते। Why do you not wait for my ruling? Let there be my ruling. (शोर एवं व्यवधान) मैंने आपको 10 बार कहा कि मैं रूलिंग दूँ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी नहीं और सम्पत सिंह जी को बोलने के लिए अलाउ कर दिया (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने रिसॉड नहीं किया इसलिए मैंने सम्पत सिंह जी को बोलने के लिए कह दिया (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह चांगी : अध्यक्ष महोदय, आपने सम्पत सिंह जी को बोलने के लिए अलाउ कर दिया। किसी फोर्थ क्लास के कर्मचारी के खिलाफ रूलज 7(51) के तहत केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो तुरंत उसकी ससेंज किया जाता है परंतु यहां तो 17-17 साल की सजा हो रही है। ये लोग इन बातों से कैसे बच कर जाएंगे। ये सच सच्चाई और हकीकत की बातें हैं, इसको कैसे ब्यान नहीं करने दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान) इसमें क्रिमिनल केस भी है, भ्रष्टाचार का भी केस है। फोरजरी का केस भी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, थोड़े कुछ मिनटों में भागने वाले हैं। ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। कल मैंने एक बाल बताई थी कि जब ये सत्ता में थे तो ये हरियाणा प्रदेश का विभाजन करना चाहते थे। एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। न मजदूर सुखी था और न कर्मचारी सुखी था और अपने राज को चलाने के लिए अधिकारियों का दुरुपयोग करते थे। जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सबूत के साथ आया हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप ये पेपर मुझे दिखाओ।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, 24 मई, 2004 को तदानुसार सोमवार 11 ज्यूलै 2061 को ओम प्रकाश चौटाला, मुख्यमंत्री जी ने एक भाषण दिया था यह मैं पढ़कर सुनाता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप वह पेपर मुझे दे दीजिए। Give it to me. (शोर एवं व्यवधान) Send it to me.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल आप अखबार यहां लेकर पहुंच गये थे, अपना भी याद रखा करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, ये लोग झूठ बोलें वह भी धर्म और हम सब बोलें वह भी पाप। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) Everybody sit down and wait for my ruling. (Interruption)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, इनकी सुनने की आदत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठेंगे तभी तो रूलिंग दे पाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं अपनी रूलिंग दूंगा पहले आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि भागने वाले हैं। मंत्री जी पहले यह क्लीयर करें कि भागने वाले इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह दस मिनट में सामने आने वाली बात है। सर, यह तो पतरा है सामने आ जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे नहीं बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान) प्रो. सम्पत सिंह जी आप बोलिये। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी बैठें।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग नहीं दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब मैं रूलिंग दे रहा था उस समय किसी ने सुनी नहीं। (शोर एवं व्यवधान)
When you did not listen me then I have allowed him to speak. जब आपने रूलिंग सुनने से मना कर दिया उसके बाद इनको अलाऊ किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मना किसने किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कई दफा कहा है कि रूलिंग दे रहा हूँ लेकिन किसी ने सुनना ही नहीं चाहा। (शोर एवं व्यवधान) आप रिकार्ड देख लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, किसने मना किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी का अपने सदस्यों पर कंट्रोल ही नहीं है और न ही इनकी बात को कोई मानता है। (शोर एवं व्यवधान) आप इनको कहें कि ये अपने सदस्यों को बिठावें उसके बाद आप रूलिंग दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी रूलिंग दे देता हूँ पहले आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हम बैठ जाते हैं, आप रूलिंग दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री हरीचंद मिड्डा : अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अध्यक्ष : अब फिर उठ गये। आपकी पार्टी में डिस्ीप्लीन नहीं है क्या ? जब सीनियर मॅबर बैठ गये हैं और मैं रूलिंग दे रहा हूँ यह सब क्या है ? (विघ्न) He is not allowed to speak. Nothing is to be recorded. प्लीज आप बैठिये।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, आपने इतना समझाया उसके बाद भी इन पर कोई असर नहीं हुआ। (विघ्न)

- चेशर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री हरी चंद मिड्डा : अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठें। आप क्या कहना चाह रहे हो। प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही। (विघ्न) प्लीज आप बैठें और मेरी बात सुनें। माननीय सदस्यों मैंने एक बार नहीं दस बार यह कहा होगा कि मैं रूलिंग देता हूँ लेकिन मेरी इस बात से को-ओपरेट नहीं किया गया और मेरी बात नहीं मानी गई तब मैंने प्रो. सम्पत सिंह को कहा कि आप बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० बिसन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, ये प्रोफेसर किस हिसाब से हैं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आप पिछले 15 साल की हाऊस की प्रोसीडिंग्स निकलवाकर देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : इनको प्रोफेसर कहने में आपको तकलीफ क्या है? (शोर एवं व्यवधान) पटवारी जी आप कृपया करके बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) सम्पत सिंह जी कोई और बात शुरू करने से पहले आप यह फैसला करें कि इनको आपके प्रोफेसर कहलाने पर एतराज क्यों है?

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, पिछली बार भी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न मजाक में किया था जो कि आज ज्युडिशियल कस्टडी में हैं लेकिन आज यह बात आपके रोटिच में आने के साथ-साथ रिकार्ड में भी आ गई है। इसलिए मैं इस बात को क्लीयर करना चाहता हूँ कि मुझे प्रोफेसर क्यों कहते हैं? सर, नम्बर वन बात तो यह है कि मैं कालेज के अंदर लेक्चरर था अर्थात् मैं कालेज में पढ़ाया करता था। वर्ष 1972 से अप्रैल, 1977 तक पांच साल मैं दयानंद कालेज और जाट कालेज में लेक्चरर था। इसमें कोई दो राय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) सर, मैं इस मुद्दे को हमेशा के लिए क्लीयर कर देना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के साथियों से मेरा अनुरोध है कि ये मेरी बात को सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री फूल सिंह खेड़ी : स्पीकर सर, प्रो. सम्पत सिंह जी को(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : फूल सिंह जी, आप कृपया करके बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) आप इनको इस बारे में अपनी स्थिति तो स्पष्ट करने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, ये अपने आप चौधरी सम्पत सिंह जी को प्रोफेसर कहने लग रहे हैं तो फिर इस बात में क्या संशय रह गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार वादली : स्पीकर सर, जब ये इनकी पार्टी की नीतियों का प्रचार करते थे तो उस समय तो ये इनकी नजर में बहुत अच्छे प्रोफेसर थे और अब जब ये इनकी पार्टी में नहीं रहे तो अब इनको सम्पत सिंह जी के प्रोफेसर कहलाने पर एतराज हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, आप भी कृपया करके बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Chaudhary : Sir, it is most unfortunate that when a social aspersion is casted and when the Member is getting up to give his clarification, then the Opposition is not allowing him to do so. This is not justified at all.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इससे पहले कि प्रोफेसर साहब अपनी स्थिति स्पष्ट करें मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ -

"ऐसे लोगों को आईना दिखाने का क्या फायदा,
जिनकी आंखों से हया की रोशनी भी जाती रही है।"

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने 5 साल तक कॉलेज में पढ़ाया और ऐसे कुछ लोग हैं जो आज ऑब्जैक्शन कर रहे हैं वे उस समय राजनीति में पैदा भी नहीं हुये थे। मैंने जो घर बनाया था आज ये उसी घर की शरण में बैठे हुये हैं। यह दूसरी बात है कि ये आज चाहे मुझे कुछ न मानें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी ऐसे बोल रहा है कि वह घर में ने बनाया था। सदन में कोई मँबर गलत बात कैसे बोल सकता है? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का व्यवहार हाउस में नहीं चलेगा। चौधरी सम्पत सिंह जी 6 बार हाउस में धुन कर आये हैं और आदरणीय हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. आप प्लीज बैठ जाइये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य आपकी परमीशन के बिना कैसे बोल सकता है ? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी एक्ट में कोई अमेंडमेंट आता है तो उस समय उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछली बार इस हाउस में एक अमेंडमेंट आया था वह यह है कि आइन्स के लिए जो लैक्चररज हैं (they will be called as Assistant Professor और जो रीडर हैं they will be called as Associate Professor और जो प्रोफेसर हैं they will be called Professor इसी हाउस में ऐजुकेशन डिपार्टमेंट अमेंडमेंट लेकर आया था। मैं पहले उनके लिए प्रोफेसर था आज नहीं हूँ तो कोई बात नहीं है यह बात भेरे लिये मैटर नहीं रखती। मुझे कोई मास्टर कहकर भी बुलाये तो भी मुझे खुशी है और मास्टर भी न कहें तो भी खुशी है। मैं इनसे यह भी उम्मीद नहीं करता कि ये मुझे मास्टर भी कहें, क्योंकि जिस तरह की इनकी भाषा है जिस तरह की इनकी आदत है मुझे इनकी संस्कृति का सारा ज्ञान है। मैं जिनके साथ रहा हूँ उन स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी की मैं आज भी इज्जत करता हूँ। ये लोग आज उनका नाम लेकर डिफैंड करते हैं और कहते हैं कि वे भी बहुत-बहुत जेल में गये हैं।

* शेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(प्रो. सम्पत सिंह)

अध्यक्ष महोदय, वे कभी भी सजा काटने के लिए जेल में नहीं गये। उन्होंने हमेशा राजनीतिक लड़ाई लड़ी है that may be wrong or right. वे राजनीतिक लड़ाइयों में जेल गये हैं कॉन्विकशन में कभी भी जेल में नहीं गये यानि अपनी सजा को गलतरीफाई करने के लिए जेल गये हैं। ये उस आदमी को डिफेंड करते हैं, मैं यह सहन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसी आदमी से राजनीति सीखी थी। आज मैं उन्हीं के पदचिह्नों पर चल रहा हूँ। इन्होंने उनके पदचिह्न छोड़ दिये इसीलिए आज उनकी यह हालत हो गई है। अगर ये मेरी राय मानते तो जो इनकी हालत आज हो रही है वह न होती। अगर ये चौधरी देवी लाल जी के सिद्धांत पर चलते तो इनकी ऐसी गति न होती जो गति इनकी आज हो रही है। It is clear for all. (Interruption)

Mr. Speaker : Listen to the Ruling please. (Interruption)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय,****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, आप मेरी परमीशन के बिना बोल रहे हैं। You don't have my permission. Nothing is to be recorded. प्लीज, आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : सर, आप उनको इशारा करके बोलने के लिए खड़ा करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पंवार साहब, आप इस बाल को छोड़िए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप ऐलीगेशन लगा रहे हैं। किसने कहा है? मैं उनको कह रहा हूँ कि आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य तथा शिशोमणी अकाली दल के एक मात्र सदस्य सदन की वेल में आ कर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : आप एलिगेशन लगा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) किसने कहा मैं उसको कह रहा हूँ। आप बैठ जाईये। Don't show me eyes. आप आंखे दिखा रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) आंखे मत दिखाईये। यहाँ पर आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। आप दादागिरी कर रहे हैं। आप दादागिरी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीट पर बैठिए। आपने तमाशा बना रखा है। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बाहर जाने का बहाना ढूँढ रहे हैं। आप बाहर जाने का

बहाना ढूँढ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप आंखे दिखा रहे हैं। दादागिरी कर रहे हो। आप बाहर जाने का बहाना ढूँढ रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आप इनको सिखा रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैसे सिखा रहा हूँ? आप बताइये कैसे सिखा रहा हूँ? मैंने इनको कहा अरे छोड़ो भाई। इसमें क्या गलत कह दिया? (शोर एवं व्यवधान) What do you wrong with that? What do you wrong with that? जब यह गलत भाषा बोल रहे हैं तो मैंने कहा अरे छोड़ो भाई। इसमें गलत क्या है? What is wrong? आप बाहर जाने का बहाना ढूँढ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप आंखे दिखा रहे हैं। यहाँ आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान) आप यहाँ भी दादागिरी करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) This will not be allowed. अपनी दादागिरी बाहर करना। आपका यह आंखे दिखाना व दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान) आप बाहर जाने का बहाना ढूँढ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप बाहर जाना चाहते हैं तो जाईए। (शोर एवं व्यवधान) एडजर्नमेंट मोशन पर जो डिस्कशन होनी है आप उससे बचना चाहते हो। (शोर एवं व्यवधान) आपके मेंबरज क्या कर रहे थे, क्या आपका इस पर बस नहीं चलता। (शोर एवं व्यवधान) आप क्या कर रहे थे ? (शोर एवं व्यवधान) आपको जब समझ में नहीं आया तो दादागिरी दिखाना चाहते हैं। आंखे दिखाना चाहते हैं Please go back to your seat. (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाईये। (शोर एवं व्यवधान) आप बाहर जाने का बहाना ढूँढ रहे हैं। आप तो आंख दिखा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपको सदन के अध्यक्ष से बात करने का तरीका ही नहीं पता। आंखे दिखा रहे हैं, आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। otherwise I will name you. आप अपनी सीट पर जाइये। मैंने कहा है बैठिए, अरे छोड़िए, यही कहा है what is wrong with that. आप बाहर जाने का बहाना ढूँढ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) The House is adjourned for fifteen minutes.

(This Sabha then adjourned at 11.50 A.M. and re-assembled at 12.05 P.M.)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का अशोभनीय आचरण आज यहाँ किया गया और चेयर के प्रति जिस प्रकार की दुर्भावना देखने को मिली यह बहुत गलत बात है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से चेयर को घेरने का प्रयास इंडियन नेशनल लोकदल के साथियों द्वारा किया गया है, वह निंदनीय है तथा प्रजातांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। अध्यक्ष महोदय, आपने तो केवल हमारे ही एक सम्मानित साथी को कहा था कि "छोड़ो" यह शब्द अनपार्लियामेंटरी शब्द नहीं थे, परन्तु जिस प्रकार से संघालियों के इशारे से चेयर को डराने की कोशिश की गई, चेयर का घेराव किया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसे देखकर मुझे लगता है कि शायद ही विपक्ष द्वारा किसी सदन में कभी इस प्रकार का असंसदीय आचरण किया गया होगा। इस तरह का असंसदीय कार्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी को और इनके सभी साथियों को अपने इस आचरण के लिए चेयर से और हाउस से क्षमा मांगनी चाहिए। उन्हें चेयर को यह भी आश्वासन देना चाहिए कि वे इस प्रकार का निंदनीय कंडक्ट भविष्य में नहीं दोहरायेंगे और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने देंगे। आपकी रूलिंग का हम सबको इंतजार है। आज दो एडजर्नमेंट मोशंस आयें हैं जिनमें से एक एडजर्नमेंट मोशन तो इन लोगों से भी दिया है। पूरा प्रदेश इस बात को सुनना चाहता

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

है कि एडजर्नमेंट मोशन के बारे में क्या-क्या परिचर्चाएँ हाउस में होंगी। मुझे उम्मीद है कि इन मोशंस पर सरकार की तरफ से और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों की तरफ से रचनात्मक परिचर्चाएँ इस महान सदन में लाई जायेंगी।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम चेंबर का सम्मान करते हैं। आपने शुरू में हाउस चलने से पहले कहा था कि जिस प्रकार का कल माहील रहा था उससे आपको दुख पहुंचा है परन्तु जिस प्रकार का आज माहील क्रियेट किया गया है जैसे पहले तो एक माननीय सदस्य द्वारा ऐसे शब्द कहे गये कि "पढ़ लिये चार वेद, रहे ढेड के ढेड" किंतु गलत शब्दों का प्रयोग हमारे दलित समाज के लिए प्रयोग किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी एक बार फिर विवादास्पद बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) राम पाल माजरा जी ने कैप्टन अजय सिंह यादव जी के प्रति पहले अपशब्द इस्तेमाल किए। (शोर एवं व्यवधान) उसके बाद फिर चेंबर के प्रति अपशब्द इस्तेमाल किए गए। (शोर एवं व्यवधान) और यह बात भी सब लोग जानते हैं कि कल एक दलित बेटी के बारे में भी यहां सदन में क्या कहा गया था? (शोर एवं व्यवधान) हमारे साथी श्री जयवीर सिंह जी बाल्मिकी बेटे हुए हैं, उनके बारे में इन लोगों द्वारा सदन के पिछले सेशन में क्या कहा गया था उसके बारे में भी हम सब जानते हैं?.. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमने भी यह सब बातें सुनी हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, दुलीना के अन्दर दलितों के साथ क्या हुआ था यह भी हम सब जानते हैं? कोलेखा के अन्दर दलितों के साथ क्या हुआ था यह भी हम सब जानते हैं? (शोर एवं व्यवधान) इसलिए कम से कम अशोक अरोड़ा जी यदि इसकी चर्चा न ही करें तो अच्छा है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब रामपाल माजरा जी सदन में नहीं आये हैं उन्होंने "यू" शब्द का प्रयोग एक सम्मानित सदस्य और मंत्री के प्रति किया था। (शोर एवं व्यवधान) अभय चौटाला जी यहां बैठे हुए हैं (शोर एवं व्यवधान) चेंबर के प्रति किस प्रकार के एसपर्शज उन्होंने किये। (शोर एवं व्यवधान) आदरणीय प्रो. संपत सिंह जी के बारे में किस-किस प्रकार की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया। (शोर एवं व्यवधान) अभी भी यह लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) क्या सदन में इस प्रकार का अशोमनीय आचरण किया जाता है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आपने मुझे अलाऊ किया है। (शोर एवं व्यवधान) मैं अपनी बात रख रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह दुर्भाग्य है कि श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की पार्टी का कोई भी सदस्य उनकी बात को नहीं सुनता है। (शोर एवं व्यवधान) अभी भी श्री बिरान लाल सैनी साहब के साथ इनकी पार्टी के दूसरे सदस्य गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं... (शोर एवं व्यवधान) रामपाल माजरा जी बैठे नहीं हैं उन्होंने बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह जी के बारे में गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया। (शोर एवं व्यवधान) बिरान लाल सैनी जी ने माननीय

सदस्य प्रो. संपत सिंह जी के खिलाफ अपशब्द कहे। क्या इस प्रकार से हम सदन की कार्यवाही को चलाएंगे। क्या ये प्रजातांत्रिक मर्यादाओं की परिपाटी है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Arora, let him give his explanation.

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा। मैंने यह कहा कि अनपढ़ लोगों को कितना ही समझा लिया जाए लेकिन उनको अक्ल नहीं आ सकती। मैंने अपने आपको कहा है। मैंने अगर किसी का नाम लिया है तो मेरे को बताया जाए मैं खेद प्रकट करूंगा। (शोर एवं व्यवधान) अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द विदग्ध करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, किसी दलित के बारे में इस तरह की बात थें कैसे सोच सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, बिशन लाल सैनी, रामपाल माजरा व अमय चौटाला इन तीनों को सदन से और चेयर से भाफी मांगनी चाहिए। हमारे साथी ने बड़े उदार हृदय से खेद प्रकट किया है। अध्यक्ष महोदय, बिशन लाल सैनी, रामपाल माजरा व अमय चौटाला इन तीनों को सदन से और चेयर से भाफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार से हाउस नहीं चलेगा। यह कांग्रेस की परिपाटी है, यह कांग्रेस की शिक्षा है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा फिर भी उन्होंने अपनी बात स्वीकार कर ली। सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले तभी इस सदन की कार्यवाही आगे बढ़ पाएगी। नरेश जी ने अपनी बात पर खेद प्रकट कर लिया है।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो शब्द कहे थे उनके लिए मैं दोबारा से खेद प्रकट करता हूँ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने अपनी ही बात कही थी इस पर जो मेरे जैसे साथी हैं उनको तकलीफ हुई उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नरेश कुमार शर्मा ने अपने शब्द वापस ले लिए हैं अपनी ऐक्सप्लेनैशन दे दी है and that is finished. That is over now. प्लीज, आप सभी सदस्य अब बैठ जाइए। अरोड़ा जी, मैं आपको अलाऊ करूंगा, पहले आप अपने सदस्यों को बैठा दीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : स्पीकर सर**

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। राजौरिया जी जो कह रहे हैं व्हू रिकार्ड न किया जाए। I will allow your leader to speak.

श्री विनोद शर्मा : माननीय स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने इस बात को सदन के सामने रखा है कि उन्होंने उदाहरण दिया था और खुद के लिए दे रहे थे कि ये शब्द मैंने अपने बारे में कहे हैं। अगर कोई अपने लिए शब्द कह रहा है तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फूल सिंह जी, आप बैठ जाएं।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री आनंद सिंह दांगी : यह मैटर न किसी हरिजन का है न किसी ब्राह्मण का है न और किसी जाट का है। यह किसी का मैटर नहीं है। इस मैटर को आप अगर इन गरीब लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं तो यह आपका मैटर है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। ये जो शब्द हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हमारे सभाज में कहीं भी जब कोई आदमी गुरुसे में होता है या कोई गलत बात करता है तो उसके प्रति ऐसी भाषा प्रयोग कर देते हैं। कई बार बच्चे कोई भी गलत बात करते हैं तो उनको मैं भी इसी प्रकार से कह देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) जब कोई गलत हरकत करता है या गलत भिसलीड करने की कोशिश करता है या गलत ब्यान बाजी करने की कोशिश करता है तो अक्सर यह बात कह दी जाती है। इस बात को लेकर माननीय विपक्ष के साथी बात करने लग जाएं, यह ठीक नहीं है। ऐसी बात किसी ने नहीं कही है। नरेश शर्मा जी ने ऐसी बात हरिजनों के लिए या किसी दलित के लिए नहीं कही है ? लेकिन जो शब्द नरेश शर्मा जी ने सदन में कहे हैं मैं उन शब्दों को ठीक नहीं मानता बेशक वे हमारी पार्टी के सदस्य हैं। ऐसे शब्द किसी थर्ड पर्सन ने नहीं जोड़े बल्कि विपक्ष के सदस्य इन हरिजन भाइयों को कहने लगे कि ये शब्द तुम्हारे लिए कहे गये हैं तो यह तो इनकी इस प्रकार की नीयत ही है। इनके इस प्रकार के संस्कार हैं। इनकी यह नीति है कि इस तरह की बातों को भड़काना जब श्री नरेश शर्मा ने अपने कहे गये शब्दों के लिए खेद प्रकट कर दिया है तो उसके बाद इस मैटर पर कोई भी डिस्कशन गलत है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, जो शब्द दांगी जी ने कहे हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय मैंने कौन से गलत शब्द कहे हैं ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि जो नरेश शर्मा जी ने कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित सभी इण्डियन नेशनल लोक दल के माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार अरोड़ा और श्री अभय सिंह चौटाला को छोड़कर सदन की बैल में आ गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अभी तो कोई बात सदन में कही भी नहीं गई है और कोई कागज भी नहीं खोला गया है, जे.बी.टी. के बारे में तो चर्चा शुरू की ही नहीं, चर्चा करने की बात तो दूर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मामू राम जी, श्री नरेश शर्मा जी ने जो भी शब्द कहे हैं उसके लिए उन्होंने खुद खेद प्रकट कर दिया है तो आप अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाइये। जो भी शब्द श्री नरेश शर्मा ने कहे हैं वे किसी के लिए नहीं कहे गए इसलिए आप अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, जे.बी.टी. की पोल खुलकर रहेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नॉयर : दलितों की आवाज नहीं दवेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीटों पर वापस जाएं नहीं तो आपको नेम कर दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डा. बिशन लाल सेनी : अध्यक्ष महोदय, हमें पता है कि आप हमें नेम करोगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Go back to your seats please. I am warning you, I will name you. Go back to your seats. (Interruption) उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है और वे शब्द उन्होंने विवक्षा कर लिए हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप बाहर जाने का बहाना ढूँढ रहे हो। आप एडजर्नमेंट मोशन पर बहस न करने देने के लिए बहाना ढूँढ रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) मैंने आपकी भी भाषा को सुना है। आप बाहर जाने का बहाना ढूँढ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) नरेश शर्मा वाली बात खत्म हो गई तो आप दूसरा बहाना ढूँढ रहे हैं। आप डिस्कशन न होने देने के लिए बहाना ढूँढ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned for 15 minutes.

(The Sabha then adjourned at 12.22 P.M. and reassembled at 12.37 P.M.)

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, आप क्या कहना चाहते हैं।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की अमद्र भाषा का इस्तेमाल चेयर के प्रति श्री अभय सिंह चौटाला जी द्वारा किया गया, जिस प्रकार से अमद्र भाषा का इस्तेमाल प्रो. सम्भत सिंह जी के लिए माननीय बिशन लाल सेनी जी और दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा किया गया तथा जिस प्रकार की अमद्र भाषा का इस्तेमाल श्री राम पाल माजरा जी द्वारा इस सदन के सबसे सीनियर सदस्य कैप्टन अजय यादव जी के बारे में किया गया यह बहुत ही निन्दनीय है। कोई 'यू' बोलता है और कोई 'तू' बोलता है। कोई चेयर को अंगुली करके डराता है और कोई आकर चेयर को घेराव करता है। इसमें मेरा यह अनुरोध है कि इस प्रकार का व्यवहार जिन माननीय सदस्यों ने किया है वे माफी मांगें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चेयर की तरफ अंगुली दिखाकर तो बात की गई है। (शोर एवं व्यवधान) यहां अंगुली दिखाकर बात की गई है। (शोर एवं व्यवधान) मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने केवल यही कहा था कि "अरे भाई छोड़िये"। (शोर एवं व्यवधान) आप रिकार्ड देख लीजिए। (शोर एवं व्यवधान) मैंने केवल यही कहा है कि "अरे छोड़ो"। (शोर एवं व्यवधान) यह कोई अनपार्लिमेंटरी बात नहीं है। आप यहां से बाहर जाने का बहाना ढूँढ रहे हैं। This is not unparliamentary. आप बाहर जाने का बहाना ढूँढ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनका मेन मकसद यह है कि ये जे.बी.टी. रकम पर आये एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। (शोर एवं व्यवधान) न तो ये चर्चा करना चाहते हैं और न ही कोई बात सुनना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनको सच्चाई से डर लगता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : "अरे छोड़िये" these words are not unparliamentary. (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, 'अरे छोड़ो' शब्द भी अनपार्लियामेंटरी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आम शब्द है - "अरे भाई बैठिये, अरे भाई छोड़िये"। (शोर एवं व्यवधान)
No, no, this is wrong. मिस्टर अशोक अरोड़ा जी आप स्पीकर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप इस तरह से घेयर को दबाने की कोशिश न करियेगा। (शोर एवं व्यवधान) आपको यह व्यवहार अच्छा नहीं है। This is not a good behavior on your part. Don't do it. मैंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न कभी किया है और न करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) मैंने केवल यह कहा कि "अरे छोड़िये"। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आप बेवजह इसको ईशू बनाना चाहते हैं क्योंकि आप डिस्कशन नहीं चाहते। आप बाहर जाने का बहाना चाहते हैं और यह मौका मैं आपको नहीं दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा जी, क्या आपको रिकार्ड दिखलायें ? (शोर एवं व्यवधान) यह अच्छा नहीं लगता। अरोड़ा जी और माजरा जी यह आपको शोभा नहीं देता। जो नरेश शर्मा जी ने कहा है उससे सदन के सदस्यों की भावना आहत हुई है। मैंने उनसे कहा है कि आपने जो कुछ भी कहा है आप उसको विद्वान कीजिए। अगर सदन के सदस्यों की भावनायें अगर किंचित मात्र भी आहत होती हैं तो यह सदन के अध्यक्ष का दायित्व है कि उस भावना को रिस्टोर करे। (शोर एवं व्यवधान) श्री नरेश जी ने अपने शब्दों के लिए खेद प्रकट कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) और उन्होंने अपने शब्द भी वापस ले लिये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, कल ही एक दलित की बिटिया के बारे में इनके साथियों ने अपशब्द इस्तेमाल किये थे। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने बाल्मिकी जी के बारे में भी अपशब्द इस्तेमाल किये थे। इन्होंने श्रीमती शकुन्तला खटक जी के बारे में भी अपशब्द इस्तेमाल किये थे। अब ये गरिमा की क्या बात करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आज आप बाहर जाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) लोग आपके ऊपर हंसेगे। आपको बाहर जाने के लिए बहाना चाहिए। यह आपके बाहर जाने का बहाना है। (शोर एवं व्यवधान) कृपया, सभी मैम्बर्स अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। राजपाल जी, आप भी कृपया करके बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसा कि आप देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : स्पीकर सर, इनका तो एक ही काम है कि they knows कि उसने किस सैंस में कहा है फिर भी ये शोर मचा रहे हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, ये लोग यह चाहते हैं कि आज जे.बी.टी. स्कैम पर चर्चा न हो। (शोर एवं व्यवधान) इनकी क्या मंशा है आप इनसे पूछ लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

विजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, असली बात यह है कि ये नहीं चाहते कि जे.बी.टी. स्कैम पर आज यहां पर बात हो और इसी लिए ये बाहर जाने का बहाना बूढ़ रहे हैं। अनिल विज जी ने अभी यह कहा कि यह सरकारी एडजर्नमेंट मोशन है। क्या रूलज में कोई सरकारी एडजर्नमेंट मोशन होता है? सभ्यत सिंह जी एक भावनीय सदस्य हैं वे एडजर्नमेंट

भोशन लेकर आ सकते हैं। अनिल बिज जी कह रहे हैं कि यह सरकारी एडजर्नमेंट भोशन है यह बिलकुल गलत बात है। मैं छह बार इस हाऊस में चुनकर आया हूँ और भुझे श्री रामपाल माजरा पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं। ये जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं वह इनको शोभा नहीं देता। इनको यह देखना चाहिए कि यहाँ पर कैसे बात की जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामपाल माजरा जी, आप कैप्टन साहब से माफी मांग लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, ये यहाँ से जाने के बहाने दूढ़ रहे हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य और शिरामणि अकाली दल का एक मात्र सदस्य हाऊस की वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे)

सदस्यों का नाम लेना

श्री अध्यक्ष : मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ। आप हाऊस को डिस्ट्रूट कर रहे हैं, आप सदन को डिस्ट्रूट कर रहे हैं, आप अपनी सीटों पर जाइये, आप अपनी सीटों पर जाइये। (विघ्न) I am requesting you last time. You may please go to yours seats. (noises and interruption). Don't interrupt the House. (Interruption).

(All the members of Indian National Lok Dal and a member of Shiromani Akali Dal present in the House did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously raising slogans in the well of the House.)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी अपनी सीटों पर जाइये। (शोर एवं व्यवधान) Hon'ble Members go back to your seats. This is the last warning I am issuing to you. (noises and interruption) Hon'ble Members go back to your seats. (noises and interruption)

(All the members of Indian National Lok Dal and a member of Shiromani Akali Dal present in the House did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continued raising slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, you are interrupting the proceedings of the House. (noises and interruption). Please maintain the decorum of the House. (noises and interruption). Alright, I am naming S/Shri Ram Pal Majra, Ashok Kashyap, Ashok Kumar Arora, Bishan Lal Saini, Bahadur Singh, Dharampal Obra, Dilbag Singh, Ganga Ram, Hari Chand Midha, Abhay Singh Chautala, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammad Ilyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh Nambardar, Phool Singh Kheri, Col. Raghbir Singh, Rajbir Singh Barara, Rameshwar Dayal, Smt. Saroj Mor, Subhash Chaudhary and Charanjit Singh. I have named all of you. Please, leave the House. आप बाहर चलिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस में रहना ही नहीं चाहते क्योंकि हाउस में जे.बी.टी. स्कैम पर चर्चा होनी है। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप इनको रोक कर रखें नहीं तो ये बहाना दूढ़ कर चर्चा से बच कर जाना चाहते हैं। ये घर से फैसला करके आये हैं कि ये जे.बी.टी. स्कैम पर चर्चा नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सदन की वैल चेंबर से बात करने का स्थान नहीं है। हमें आपकी रूलिंग चाहिए कि क्या इस प्रकार से चेंबर को घेर कर अंगुली से इशारा करके चेंबर को डरा कर, चेंबर को धमका कर विपक्ष के साथी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। क्या इस प्रकार से वैल में आकर चेंबर से वार्ता कर सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान) सर, हमें आपकी रूलिंग चाहिए। क्या चेंबर को घेर कर, चेंबर को धमका कर, चेंबर को डराकर, इस प्रकार से उंगलियां करके अशोड़ा साहब व्यवहार कर सकते हैं, क्या इस प्रकार से चेंबर से वैल में आकर वार्तालाप कर सकते हैं? सर, आप दरियादिली दिखाइए और इनको माफ कर दीजिए। अगर अशोड़ा साहब व इनके बाकी के साथी भाफी मांग लें तो आप इनको माफ कर दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सम्पत सिंह जी अपनी बात कहें इससे पहले आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि सदन में जिस प्रकार से विपक्ष का दुर्व्यवहार रहा है वह वाकई खेद जनक है और जितने भी कड़े शब्दों में उसकी निन्दा की जाए वह कम है। जिस प्रकार से लोकदल के साथियों के द्वारा आज संसदीय कार्य प्रणाली की परिपाटी को धुमिल किया गया है ऐसी अवस्था में चाहे वह सदन में वरिष्ठ मंत्री हों, चाहे वह वरिष्ठतम विधायक हों और चाहे सर, चेंबर ही क्यों न हो, उनके प्रति जिस प्रकार के आक्षेप लगाये गये हैं, जिस प्रकार की आपत्तिजनक बातें कही गई हैं और दुर्व्यवहार किया गया है वह निन्दनीय है। इस हाउस के द्वारा उसका सर्वसम्मति से खंडन किया जाना चाहिए और इस प्रकार के अशोभनीय आचरण को कदापि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने फिर भी फिराकदिली दिखाई है। जब हमारे विपक्ष के सम्मानीय साथी वैल में आये हुए थे और आपसे चर्चा कर रहे थे तब आपने भी और सरकार की तरफ से मैंने भी यह कहा था कि अगर विपक्ष के लोग अपने आचरण पर खेद प्रकट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वह सदन की कार्यवाही में पार्टीसिपेट करें। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से कुछ पार्टियां सदन में क्या कार्यवाही करें इस बात का निर्णय अपने नेता के घर में बैठकर करके आते हैं। जे.बी.टी. स्कैम के ऊपर और जे.बी.टी. स्कैम भी अगर हम छोड़ दें, समाज में और राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता, जिम्मेवारी, ईमानदारी और जवाबदेही के ऊपर प्रो. संपत सिंह जी द्वारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज सदन में लाया गया है। हमारे विपक्ष के साथियों को न जाने क्यूँ उस प्रस्ताव से डर लग रहा है? प्रो.संपत सिंह जी तो ऐसी कोई भी बात सदन में नहीं कहते जो बात असंसदीय हो या मर्यादा से बाहर हो। मुझे नहीं मालूम कि क्यों हमारे विपक्ष के साथियों को इस प्रकार का अंदेश था कि उनकी कोई नई पोल इस प्रस्ताव के अन्दर खुलाने वाली है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों का निर्णय हरियाणा की जनता दो-दो बार विधान सभा के चुनावों में और दो-दो बार लोक सभा के चुनावों में कर चुकी है और अदालतों ने भी अपना निर्णय सुना दिया है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा और यह विधि का विधान भी है। जब हमारे एक साथी नरेश शर्मा जी ने जब कोई ऐसी टिप्पणी की थी जो वास्तव में उन्होंने खुद के ही ऊपर की थी लेकिन जिसको दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयत्न विपक्ष द्वारा किया

गया और उस टिप्पणी पर खेद प्रकट करने के लिए जब आपने नरेश जी से पूछा तो उन्होंने बड़ी दरियादिली से एक बात कही की यदि किसी भी साथी को उनके द्वारा कही गई बात से रतीमर भी शेष पहुंची है तो वह उस बात के लिए खेद प्रकट करते हैं परन्तु श्री अभय सिंह चौटाला जी, श्री अशोक अरोड़ा जी और उनकी पार्टी का यह रवैया कभी भी नहीं रहा है। उन्होंने पूरे सदन की आज की कार्यवाही में यह कभी भी नहीं कहा है कि उनको कैप्टन अजय सिंह यादव जी के बारे में कहे शब्दों पर, प्रो. सम्पत सिंह जी के बारे में कहे शब्दों पर या चेयर के बारे में कहे शब्दों पर अफसोस है या वो खेद प्रकट करते हैं। सर ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। स्पीकर सर, श्रीमती शकुंतला खटक जी जो हमारी कांग्रेस की सम्मानित सदस्या भी हैं उनके बारे में पिछले सत्र में आपके बिल्कुल सामने अभय चौटाला जी द्वारा और उनकी पार्टी के दूसरे सदस्यों के द्वारा आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किये गये और इस प्रकार से शारीरिक इशारे किये गये थे जैसे कि वह उनको मारने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारे मुख्य संसदीय सचिव हैं आदरणीय जयवीर सिंह बात्मिकी जी उनके प्रति भी इस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल किये गये थे परन्तु लोकदल के साथियों ने कभी भी इस चेयर से या सदन से अपने इस दुर्व्यवहार के लिए क्षमा नहीं मांगी क्योंकि लोकदल का जो चेहरा है वह बुनियादी तौर से दलित विरोधी ही रहा है। चाहे दुलिन में झज्जर जिले में दलित युवकों की हत्या थी, चाहे कोलेखां और हरसौला के अन्दर से दलितों को उजाड़ने की घटना हो इन लोगों के दलित विरोधी होने का एक लंबा इतिहास रहा है। यह लोग अपनी पार्टी के दलित साथियों के साथ भी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसे पूरी दुनिया और हरियाणा प्रांत भलिभांति जानता है। हमारी पार्टी इनके इस व्यवहार को कंडैन करती है।

स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार करना

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपसे यह अनुरोध जरूर करूंगा कि आदरणीय चौधरी संपत सिंह जी द्वारा जो एडजर्नमेंट मोशन लाया गया है उस पर आप अपनी रुलिंग अवश्य दें क्योंकि इस एडजर्नमेंट मोशन की वजह से विपक्ष के साथी चर्चा से भाग खड़े हुए हैं। उनका शब्द से भागने का पूरा परपज केवल यही था कि वे जे.बी.टी. भागले के ऊपर और राजनीति में ईमानदारी और जवाबदेही पर चर्चा से बचना चाहते थे इसलिए वह लोग शब्द से भाग गये हैं। अतः स्पीकर महोदय, मैं आप से भी और प्रो. संपत सिंह जी से भी यह अनुरोध करूंगा कि क्योंकि आज गर्वनर एड्रेस पर भी चर्चा होनी है इसलिए Adjournment Motion No. 1 given of by Prof. Sampat Singh regarding loosing of moral right of Shri Om Prakash Chautala, MLA to continue as member of the Legislative Assembly and also Leader of the Opposition may be taken up tomorrow i.e. 28th February, 2013.

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that discussion on Adjournment Motion No. 1 may be deferred for tomorrow, the 28th February, 2013.

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : Alright, discussion on the Adjournment Motion No.1 will now be taken up tomorrow, the 28th February, 2013. Hon'ble Members, I also want to inform the House that I have admitted the Adjournment Motion No. 2 given of by Shri Ashok Kumar Arora and three other MLAs regarding the irregularities committed by Sky lite Hospitality Company in purchase of land in Haryana but the mover of the Motion is not present in the House, therefore, this motion cannot be taken up and it lapsed.

श्रीमती गीता भुवकल भातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि चर्चा तो जे.बी.टी. स्केम पर होनी थी लेकिन इसमें भी विपक्ष के साथियों ने दलितों का सहारा लेकर यहां से जाने का बहाना बना लिया। नरेश शर्मा जी ने जो बात अपने लिए कही थी उसके बावजूद भी उन्होंने माफी मांग ली। इस पर भी जब विपक्ष के साथियों को कोई इशू नहीं मिल रहा था तो इस दलित वाले इशू का बहाना बनाते हुए और दलितों को ढाल बनाते हुए ये यहां से निकले हैं जबकि मामला कुछ और था और सारा सदन इस बात को जानता है। मैं यही कहना चाहती हूँ।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 30.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, 28th February, 2013.

Mr. Speaker : Motion moved-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, 28th February, 2013.

Mr. Speaker : Question is-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, 28th February, 2013.

(The motion was carried)

ध्यानकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा में बच्चों के कुपोषण संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Sampat Singh, MLA regarding malnutrition in children in Haryana. I have admitted it. Shri Sampat Singh may read his notice. After that the concerned minister will make a statement.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में जारी किए गए हैदराबाद में नंदी फाऊंडेशन स्टडी आधारित हंगामा (एच यू एन जी ए एम ए) में दर्शाये गये कुपोषण बच्चों के निराशाजनक आंकड़ों पर गम्भीर चिंता जताई जा रही है। विगत में हुए सर्वेक्षण सुझाव देते हैं कि यह केवल बिमारू (बी आई एम ए आर यू) राज्यों में ही नहीं था कि बच्चे कुपोषित थे अपितु हरियाणा जैसे खाद्यान्न समृद्ध राज्य में भी स्थिति विकोपकारी है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (एनएफएस-III) के अनुसार हरियाणा में 46 प्रतिशत बच्चे विकास वृद्धि बाधित होने (आयु अनुसार लम्बाई), 43 प्रतिशत बच्चे कम वजन होने (आयु अनुसार वजन) तथा 19 प्रतिशत बच्चे धीरे-धीरे क्षय होने (लम्बाई अनुसार वजन) से पीड़ित हैं। यह पाया गया था कि छह राज्यों बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर

प्रदेश के छह अति पिछड़े जिलों में 59 प्रतिशत बच्चे विकास वृद्धि से बाधित थे; 42 प्रतिशत कम वजन के तथा 11.4 प्रतिशत धीरे-धीरे क्षय से पीड़ित थे। इसका अर्थ यह है कि एक खाद्य तथा दूध आधिक्य राज्य हरियाणा में कुपोषण पर आंकड़े बहुत अधिक विक्षुब्ध करने वाले हैं।

हरियाणा सरकार को कुपोषण के लिये उपयुक्त उपाय अपनाने चाहिए। कुपोषण के आबन्धन की ओर उपलब्ध सभी सैनलों का उपयोग करना अति आवश्यक है। आईसीडीएस जैसे कल्याणकारी उपायों का क्रियान्वयन तथा मध्याह्न पोषाहार योजना को लोकप्रिय बनाना आवश्यक है। ये योजनाएं 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी कवर नहीं करती जो 5 वर्ष से नीचे के पोषण अधीन बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रभाग है।

में सरकार से संदेन के पटल पर इस संबंध में एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूँ।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्षण सम्बन्धी

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल): अध्यक्ष महोदय, कुपोषण के बहुत से कारण हैं जैसे कि जन्म के समय कम वजन, बीमारियों की पुनरावृत्ति, अस्वच्छता, बच्चों एवं बच्चों को संभालने वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत अस्वच्छता, पर्यावरण प्रदूषण, खाने की गलत आदतें, अपर्याप्त खुराक तथा माँ व बच्चे की उचित देखभाल न करना, पौष्टिक तत्वों से उपेक्षित किशोरी कन्याएं एवं भावी मातायें इत्यादि। यहाँ यह कहना उचित होगा कि कम आयु में एवं बार-बार गर्भवती होने से तथा बार-बार गर्भपात के कारण महिलाओं में खून की कमी होती है, जिससे कम वजन के बच्चे जन्म लेते हैं। फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य एवं पोषाहार स्तर की प्रगति धीमी होती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार में काम की अधिकता के कारण गर्भवती महिलायें सामान्यतः पर्याप्त आराम नहीं कर पाती और उन्हें हमेशा की तरह कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास प्रभावित होता है।

हरियाणा सरकार राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य एवं सम्पूर्ण विकास के लिये बचनबद्ध है। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को कुपोषण से बचाने एवं बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए बहुआयामी मापदण्डों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा में 148 समेकित बाल विकास परियोजनाओं, 21 शहरी परियोजनाओं तथा 25311 चालू आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संवर्धित, सेवाएँ, अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा प्रदान कर रही है। राज्य सरकार पूरक पोषाहार एवं आई.सी.डी.एस. सामान्य घटक पर चालू वित्त वर्ष में क्रमशः 164.16 करोड़ रु० एवं 334.19 करोड़ रु० खर्च कर रही है।

हरियाणा में 0 से 6 वर्ष के करीबन कुल 32.98 लाख बच्चों (2011 की जनगणना के अनुसार) में से 23.62 लाख बच्चों को समेकित बाल विकास सेवाएँ प्रदान की जा रही है और इनमें से 10.88 लाख बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार स्वास्थ्य एवं पोषक तत्वों से भरपूर गर्भ पके-पकाए व्यंजन जैसे कि आलू-पूड़ी, भरवां परांठा, मीठे चावल, दलिया इत्यादि उपलब्ध करवा रही है। जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य बच्चों को 4 रु० प्रति दिन की दर से 500

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

कैलोरी एवं 12-15 ग्राम प्रोटीन एवं अति कुपोषित बच्चों को 6 रु० की दर से 800 कैलोरी एवं 20-25 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक पोषाहार प्रतिदिन दिया जाता है। पूरक पोषाहार के अन्तर्गत दिए जाने वाले व्यंजनों में लौह एवं आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है, ताकि सूक्ष्म तत्वों की कमी न हो। पुनर्गठित आई०सी०डी०एस० के तहत भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार के माप-दण्डों को संशोधित करके सामान्य बच्चों के लिये 4 रु० से 6 रु० एवं अति कुपोषित बच्चों के लिए 6 रु० से 9 रु० चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है।

महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण स्थिति में सुधार हेतु बच्चों के अतिरिक्त गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को समेकित भोजन विकास सेवाएँ जिसमें कि पूरक पोषाहार भी शामिल है, दी जा रही है ताकि स्वस्थ महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। स्वास्थ्य एवं पोषाहार की जागरूकता प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दी जा रही है।

जैसा कि बालावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में खुशनुमा वातावरण प्रदान करने के लिए रंगीन कुर्सियाँ, भेज एवं झूले प्रदान किए जा रहे हैं। 3-6 वर्ष की आयु के बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन लगभग तीन घण्टे के लिये पूर्व स्कूल शिक्षा एवं पोषाहार के लिये आते हैं तथा शोध समय में वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। 0-3 वर्ष की आयु के बच्चे पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच और अन्य आई०सी०डी०एस० सेवाओं के लिये आंगनवाड़ी में आते हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए कई नये कदम एवं कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। पोषाहार पुरस्कार वर्ष 2006-07 से शुरू किये गये, लेकिन जोकि उन 3 श्रेष्ठ जिलों को प्रदान किये जाते हैं, जो 0-6 वर्ष के बच्चों के पोषण स्तर में सर्वाधिक सुधार दर्शाते हैं। पहला पुरस्कार 2.00 लाख का, दूसरा 1.00 लाख का तथा तीसरा 50,000 रुपये का दिया जाता है।

बच्चों, विशेषकर लड़कियों के भली-भाँति लालन-पालन के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005-06 से सर्वोत्तम माता पुरस्कार (बैस्ट मदर अवार्ड) की योजना शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों के समूह पर एवं परियोजना स्तर पर दिये जाते हैं। बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए पोषाहार रणनीति (Nutritional Strategy) लागू की गई। इसके अन्तर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 4 परिवारों को उनके बच्चों के पोषण स्तर के आधार पर 3 महीने के लिये अपनाती है और उनको शिशु देखभाल बारे एवम् पोषाहार तथा स्वास्थ्य बारे विस्तृत जानकारी देती है।

समेकित बाल विकास योजना को लागू करने के लिए समुदाय तथा पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हर ग्राम पंचायत की उप-समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्ष महिला पंच/सरपंच है। यह समिति समेकित बाल विकास सेवाएँ जैसे कि पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा इत्यादि की निगरानी करती है।

बच्चों के पोषाहार स्तर में सुधार लाने के लिए और स्वच्छ वातावरण एवं धरतू स्वस्थ आदतें विकसित करने हेतु पंचायत एवं विकास विभाग से सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तालमेल स्थापित किया गया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं इजिनियरिंग विभाग के साथ सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में पीने का पानी की सुविधा के लिये संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई है।

यहां यह कहना उचित है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत 0-6 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जा रहा है, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मिड डे मील स्कीम के अन्तर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों को कवर किया जाता है। मिड डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली से पांचवी कक्षा तक पढ़ रहे बच्चों को 100 ग्राम अनाज एवं छठी से आठवी तक के बच्चों को 150 ग्राम अनाज पके हुए भोजन के रूप में दिया जाता है, जिसमें 450 ग्राम प्रोटीन एवं 12 ग्राम कैलोरी प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए और 700 ग्राम प्रोटीन एवं 20 ग्राम कैलोरी उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिये दी जाती है। कक्षा एक से पांचवी तक के बच्चों के लिए खाना पकाने की अदायगी 3.11/- रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन तथा कक्षा छठी से आठवी तक के बच्चों के लिए खाना पकाने की अदायगी 4.65/- रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से की जाती है। प्राथमिक स्कूलों में 14.09 लाख तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में 7.32 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया। स्कीम का उद्देश्य स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना व स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण को नियंत्रित करना है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारत सरकार की दिशाभिर्देशों अनुसार 9 महीने से 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को विटामिन 'ए' देने बारे सुनिश्चित किया जाता है। राष्ट्रीय डॉयोरिया प्रबंधन दिशानिर्देशानुसार ओ.आर.एस. चोल एवं जिंक (Zinc) सप केन्द्र स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाता है।

इन्दिरा बाल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बच्चों में कुपोषण से बचाव एवं कुपोषण कम करने के लिये कृमिनाशक गोलियां, लौहतत्व एवं फोलिक एसिड की गोलियां एवं विटामिन 'ए' की खुराक भारत सरकार की हिदायतोंनुसार दी जा रही है। बालू वित्त वर्ष में स्कूल के बच्चों तथा आंगनवाड़ी के बच्चों के हिमोग्लोबीन टेस्ट किए जा रहे हैं तथा मुपस लौहतत्व की गोलियां बांटी जा रही हैं। भारत सरकार की हिदायतोंनुसार बच्चों में कुपोषण से बचाव एवं कुपोषण कम करने के लिये कृमिनाशक गोलियां, लौहतत्व एवं फोलिक एसिड की गोलियां एवं विटामिन 'ए' की खुराक दी जाती है। वर्ष 2012-13 में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को 6.81 करोड़ लौहतत्व एवं फोलिक एसिड की गोलियां बांटी गईं तथा सरकारी स्कूलों के बच्चों को 20.35 लाख एलबैन्डाजोल कृमिनाशक गोलियां बांटी गईं। अति कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उनको स्वास्थ्य संस्थाओं में लाने के लिये आशा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी संयुक्त रूप से 6-महीने तक सिर्फ स्तनपान एवं 6 महीने बाद ऊपरी खुराक को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, साक्षर महिला समूह के माध्यम से प्रयत्न किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। शिशु एवं बच्चों में कुपोषण की पहचान व उनके खानपान की सही जानकारी धारे माताओं को परामर्श देने हेतु संयुक्त माता एवं बच्चा सुरक्षा कार्ड शुरू किए गए हैं।

आई०सी०डी०एस० स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार की हिदायतों अनुसार आयु अनुसार वजन प्रक्रिया बच्चों के पोषण स्तर को जांचने के लिये अपनाई जाती है। बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा उम्र अनुसार लम्बाई (स्टैटिंग) एवं लम्बाई अनुसार वजन

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

(वेस्टिंग) के लिए कोई भी मापदण्ड प्रदान नहीं किया गया है। इससे पहले बच्चों के पोषण की स्थिति का मूल्यांकन भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ की अकादमी (आई०ए०पी०) के मानकों के अनुरूप किया जाता था। जिसके तहत पोषण की स्थिति अनुसार सामान्य, हल्के कुपोषित, मध्यम कुपोषित एवं गम्भीर कुपोषित बच्चों की चार श्रेणियां थी। अब भारत सरकार की हिदायतों अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास मानक राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत सामान्य, मध्यम रूप से कम वजन वाले एवं गम्भीर रूप से कम वजन वाले बच्चों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा समग्र रणनीति अपनाई गई जिसके फलस्वरूप बच्चों की पोषण स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 1991-92 में सामान्य ग्रेड के बच्चों की संख्या 43.93 प्रतिशत थी, जोकि मार्च, 2012 में सुधर कर 56.74 प्रतिशत हो गई एवं ग्रेड-II के बच्चे (मध्यम कुपोषित) वर्ष 1991-92 में 20.60 प्रतिशत से कम होकर मार्च, 2012 में 10.31 प्रतिशत हो गए हैं। ग्रेड-I (अल्प कुपोषित) बच्चे 32.90 प्रतिशत हैं, जोकि सामान्य ग्रेड के निकट हैं। अतः 89.64 प्रतिशत (56.74+32.90) बच्चे या तो सामान्य ग्रेड में हैं या सामान्य ग्रेड के बहुत निकट हैं, जबकि वर्ष 1991-92 में इस वर्ग में 77.86 प्रतिशत बच्चे थे। वर्ष 1992-93 में बच्चों की बी.सी.जी., डी.पी.टी., पोलियो एवं खसरा टीकाकरण की कवरेज क्रमशः 79.58 प्रतिशत, 73.71 प्रतिशत, 73.96 प्रतिशत एवं 60.74 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 97.48 प्रतिशत, 97.32 प्रतिशत, 97.32 प्रतिशत एवं 74.46 प्रतिशत हो गई है।

हैदराबाद आधारित नदी फाउंडेशन अध्ययन हंगामा द्वारा 6 राज्यों बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश के 106 जिलों में तथा केरल, तामिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में सर्वेक्षण किया गया। नदी फाउंडेशन अध्ययन द्वारा हरियाणा राज्य में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसलिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III 2005-06 के अनुसार हरियाणा राज्य की कुपोषित स्थिति के आंकड़ों की तुलना विभारु राज्यों के अति पिछड़े छः जिलों के हंगामा सर्वेक्षण 2011 के आंकड़ों से करने की कोई प्रासंगिकता नहीं है और न ही यह सही परिदृश्य दर्शाएगा।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III अनुसार हरियाणा एवं राष्ट्र के 0-5 वर्ष के बच्चों के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :-

संकेतक	ध्यानाकर्षण सूचना में वर्णित संख्या	राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण-III हरियाणा	राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण-III राष्ट्रीय
स्टैंडिड बच्चे (आयु अनुसार लम्बाई)	46 प्रतिशत	46.7 प्रतिशत	48.0 प्रतिशत
कम वजन (आयु अनुसार वजन)	43 प्रतिशत	39.6 प्रतिशत	42.5 प्रतिशत
वेस्टिड (आयु अनुसार वजन)	19 प्रतिशत	19.1 प्रतिशत	19.8 प्रतिशत

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के अनुसार हरियाणा में कम वजन के बच्चों की संख्या 43 प्रतिशत (जो कि ध्यानाकर्षण सूचना में वर्णित है) की बजाय 39.6 प्रतिशत है, जोकि राष्ट्रीय संख्या 42.5 प्रतिशत के मुकाबले कम है। स्टैटिड बच्चों की प्रतिशतता भी राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में कम है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा 0-5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण के मूल्यांकन का कार्य राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद को सौंपा गया है। जिसके फलस्वरूप एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी जिससे भविष्य में कुपोषण के खतरे से निपटने के लिए सही कदम उठाए जा सकेंगे।

अतः पुनः स्पष्ट किया जाना है कि राज्य सरकार अटल कुपोषण की चुनौतियों का सामना बहुआयामी प्रयासों से कर रही है, जिसमें कि माताएं ए०एन०एम०, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, पंचायती राज संस्थाएं, महिला स्वयं सहायता समूह, साक्षर महिला समूह एवं अन्य सामुदायिक समूह जैसे महत्वपूर्ण संस्थाएं भी शामिल हैं, क्योंकि परिवार और समुदाय इस मिशन में अहम भागीदार हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की रिप्लाइ से संतुष्ट हूँ। मुझे इस बारे में कोई प्रश्न नहीं करना। मैं इस बारे में केवल मात्र सुझाव देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी हेल्थ से रिटैटिड बहुत सी स्कीमज हैं। भारत सरकार भी इन स्कीमों पर पूरा ध्यान दे रही है और मौजूदा सरकार ने भी हेल्थ के बजट को बढ़ाया है। फिजीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में हम नम्बर एक होने का क्लेम करते हैं। हम केवल क्लेम नहीं करते बल्कि सच्चाई है कि हम नम्बर एक पर हैं। पर कैपिटा इन्वैस्टमेंट की बात हो, चाहे पर कैपिटा इन्कम की बात हो या पर कैपिटा मिल्क की बात हो हम हर चीज में नम्बर एक पर हैं। अभी गेहूँ की अधिकतम उत्पादकता के लिए भी मुख्यमंत्री जी इनाम लेकर आए हैं। हम सारी चीजों में सरप्लस हैं फिर भी कुपोषण की बीमारी हमारे यहां से नहीं जा रही है इसलिए सारे सिस्टम को कोर्डिनेट करने की जरूरत है। हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने बहुत सी स्कीमें चला रखी हैं परंतु उनके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह रफ सर्वे है इसलिए आप डोर टू डोर सर्वे करवाएं क्योंकि कुपोषण से बड़ी कोई तकलीफ नहीं है। हरियाणा हर क्षेत्र में नम्बर एक पर है परंतु हेल्थ और एजुकेशन में हमें अभी बहुत रास्ता तय करना है इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार पिछले 8 सालों से मेहनत कर रही है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ की स्कीमों की इम्प्लीमेंटेशन पर हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा। हालांकि मैंने एक और कालिग अटेंशन दिया था जो नहीं लग पाया। यह कालिग अटेंशन लग गया इसके ऊपर मैंने काफी सुझाव दिए हैं। हमारी जो जो कमियां हैं हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हेल्थ के अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, पैमाने होते हैं इस बारे में मैंने काफी सुझाव लिखकर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े हैं। 2020 में हिन्दुस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा युवा देश होगा। अगर हमारे युवा स्वस्थ होंगे और पढ़े लिखे होंगे तो हम वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं और हिन्दुस्तान सारी दुनियां पर राज कर सकता है। लेकिन अगर हम अस्वस्थ और अशिक्षित होंगे तो हालात खराब हो जायेंगे। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैंने इसमें केवल यही कहना था। धन्यवाद।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने जो प्वायंट उठाये हैं उन पर मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि जो हैदराबाद पर आधारित नदी फाउंडेशन के

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

अध्ययन का जिक्र किया गया है उसमें बताना चाहूंगी कि हरियाणा राज्य का अध्ययन नहीं हुआ। उसमें केवल बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, यू.पी., राजस्थान और मध्य प्रदेश का अध्ययन हुआ है। माननीय साथी ने दूसरी बात यह कही है कि हम यह सर्वे जरूर करवायें। इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हमारे विभाग ने 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद को सर्वे का काम दे दिया है। दूसरा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण के हिसाब से आप आंकड़े उठाकर देखें तो पायेंगे कि यह बात ठीक है कि यह गंभीर चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण ने ब्यौरा दिया है उसमें अगर आप हमारे हरियाणा की स्थिति पढ़ें, रिप्लाइ में भी हमने दिया हुआ है जो काफी ज्यादा बेहतर है लेकिन यह कोई इस बात का जवाब नहीं है। यह हमारी कलैक्टिव जिम्मेवारी है। इसमें न केवल सरकार बल्कि सभी सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक प्रभुत्व नागरिकों की कलैक्टिव जिम्मेवारी बनती है कि अगर बच्चे कुपोषित हैं तो यह एक चिंता का विषय है। बदलते हुए परिपेक्ष में इस बात की जरूरत है कि सरकार के इतने प्रयास के बावजूद भी इस तरह के आंकड़े क्यों निकलकर आ रहे हैं? इसमें हम लोग अपनी कलैक्टिव जिम्मेवारी को समझते हुए थक प्रण जरूर करें कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं या पैसा लगाया है, पैसा और भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन जो योजनाएं हैं उनको सतह तक पहुंचाया जा सके। सरकार के साथ-साथ स्थल भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है और इस बात का प्रचार-प्रसार करें कि क्या कारण हैं कि इतने प्रयासों के बावजूद भी हमारे एरिया में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। सुझाव के तौर पर माननीय सदस्य का यह कालिंग अटेंशन मोशन आया है इसके लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करती हूँ और भविष्य में इस मामले को हम और गंभीरता से लेंगे। सरकार का और मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का हमेशा यह प्रयास रहा है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए किसी भी प्रकार से फंड की कमी नहीं रहेगी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरावृत्त)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the discussion on the Governor's Address, will be resumed. BJP Legislature Party has given 3 names that of Shri Anil Vij, Shri Krishan Pal Gūjjar and Smt. Kavita Jain. I call upon Shri Anil Vij to speak on Governor's Address. Is he present here? Mr. Saraf, your leader is absent but he gave me the names. It shows he is not serious about the Governor's Address. Why he is not present in the House? I have his name on the slip signed by himself. That means he is not taking up this serious discussion.

श्रीमती कविता जैन : सर, बाहर ही होंगे अभी एक मिनट पहले गये हैं।

Mr. Speaker : It is not my duty to go and call on him. It is very strange. Leader of the National Party gave his name but he is not present now.

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक फरमाया है। ये लोग बाहर तो बोलते रहते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे लेकिन जब इनके बोलने की बारी आती है तो ये सदन में नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, जब आप डिस्टिंड एजेंडा पढ़ते हैं और सदस्य बोलने के लिए उपस्थित न हो तो हम देखते हैं कि कितनी उनकी सीरियशनश है। विज साहब तो आपकी टाईम के लिए भी कह रहे थे कि इतना टाईम चाहिए, उतना टाईम चाहिए।

Mr. Speaker : As I have called his name but he is not responding to the call, what should I presume? That means he does not want to speak. I have called the names of both i.e. Shri Anil Vij and Shri Krishan Pal Gujjar. Mr. Garg would you like to tell me either you want to speak or Smt. Kavita Jain wants to?

श्री घनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, विज साहब अभी गये हैं एक मिनट हुआ है। यदि आप मुझे परमिशन दें तो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं बोल लेता हूँ।

श्री अनिल विज : सर, मैं आ गया हूँ। कृपया मुझे बोलने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप आ गये हैं। You gave your name but you were absent when I was calling your name. It shows you are not serious about the Governor Address. I got the slip signed by you but you were absent.

श्री अनिल विज : सर, पहले यह कहा गया था कि गवर्नर एड्रेस तो सैसपैड कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : फिर उसके बाद दूसरा मोशन आ गया था। उसके बाद आपने ही नाम लिखकर भेजे थे। Its a slip given by you. Alright, since you have come, I will allow you. Since you have come, although my observation is that you are not serious. After giving me this slip, you moved away.

Shri Anil Vij : Sir, it was not made clear.

Mr. Speaker : No, it was made clear. You gave me this slip only after that. Now, you may hear my observation.

Mr. Speaker : My observation is that Shri Anil Vij himself gave me the names but he was not present in the House when his name was called to speak. Even Shri Krishan Pal Gujjar was not present. Now Shri Vij and Shri Gujjar have come. This shows that how much serious they were about the discussion. However, in the interest that a healthy debate should take on, I am allowing Shri Anil Vij to speak.

Shri Anil Vij : Thank you very much Sir, for allowing me to speak on the Governor's Address. (Interruption) Sir, they are nobody to dictate you. Sir, you are the authority.

Mr. Speaker : Nor I am dictated by the slip given by you. I am not dictated by this slip. But since you have sent it, the kind of respect I have for you, I am allowing you to speak.

श्री अनिल विज (अम्बाला कैट) : स्पीकर सर, गवर्नर साहब ने जो विधान सभा में अपना अभिभाषण रखा है मैं इसे पर बर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आपने उसकी इजाजत मुझे दी है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, वैसे तो यह परम्परा है कि राज्यपाल महोदय सदन में अपना अभिभाषण रखते हैं लेकिन यह दस्तावेज़ सरकार के ही होते हैं और मैं तो हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि ***** in a democratic setup जो इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव होता है वही हेड ऑफ़ दी स्टेट होता है। (विघ्न)

* नेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्रीमती गीता भुक्कल मालनहेल : स्पीकर सर, महामहिम राज्यपाल महोदय का पद संवैधानिक है इसलिए ये यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में इस प्रकार के शब्द नहीं कह सकते। माननीय सदस्य संवैधानिक प्रावधानों के बारे में यहां पर अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते। यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भारतीय संविधान की कसम लेकर यहां पर सदस्य बनते हैं। राज्यपाल महोदय का पद उसके द्वारा प्रदत्त एक संस्था है जो इंडियन फ़ैडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज, संस्था के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो आप उसी संविधान की कसम उठाकर यहां पर सदस्य बने हैं, इसलिए कृपया उस संविधान को ध्यान में रखकर ही यहां पर अपने विचार व्यक्त करें। विज साहब ने जो शब्द महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में कहे हैं these words may be taken out. श्री अनिल विज इन शब्दों को रिपीट नहीं करेंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, विकास की जो ***** गौरव-गाथा यहां पर प्रस्तुत की गई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह शब्द ***** भी कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं कोई भी ऐसा शब्द थुंज नहीं करूंगा जो कि अनपार्लियामेंट्री हो और जिस पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को इंटरफेयर करना पड़े। सर, विकास की जो असत्य गौरव-गाथा है (विघ्न) Sir, it is not unparliamentary. जो कुछ कहा गया है वह सही नहीं है। जो दावे किये गये हैं कि धारों और प्रदेश में विकास हो रहा है वह सच्चाई से परे की बात है। गवर्नर महोदय ने अपनी विकास की गौरव-गाथा को समर्थन देने के लिए प्रति व्यक्ति आय की बात कही गई कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय गोवा के बाद दूसरे नम्बर पर है और उसको ही बेस बनाकर बार-बार यह बात कही जाती है कि हरियाणा बहुत तरक्की पर है। सर, यह जो प्रति व्यक्ति आय है यह कभी भी किसी भी प्रान्त की और देश की तरक्की का बेस नहीं होती। इसके विपरीत किराी भी प्रान्त और देश की तरक्की का बेस होता है मानव विकास सूचकांक और जो ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें हम हिन्दुस्तान में 9वें नम्बर पर आते हैं। Speaker Sir, according to the tools developed by the United Nations Organisation to measure and rank countries' level of social and economic development based on four criteria i.e life expectancy at birth, mean year of schooling, expected years of schooling and per capita Gross National Income. यह यू.एन.ओ. द्वारा बनाया गया पैमाना है कि तरक्की के मामले में कौन सा देश किस पायदान पर आता है। अध्यक्ष महोदय, तरक्की का पैमाना है कि ह्यूमन डिवेलपमेंट के लिए क्या किया गया है? उस को पैमाना माना जाता है, उन आंकड़ों के अनुसार हरियाणा 9वें नम्बर पर आता है। पहले स्थान पर केरल आता है जिसका एच.डी.आई. 790 है। 750 एच.डी.आई. के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर आता है। हिमाचल प्रदेश का एच.डी.आई. 652 है जो तीसरे स्थान पर आता है। चौथे नम्बर पर गोवा है जिसका एच.डी.आई. 617 है और पंजाब का एच.डी.आई. 605 है जो पांचवें स्थान पर है। 573 एच.डी.आई. के साथ नॉर्दन-इस्ट स्टेट छठे स्थान पर आती हैं। सातवें स्थान पर महाराष्ट्र आता है जिसका एच.डी.आई. 572 है तथा आठवें स्थान के लिए तमिलनाडु है जिसका एच.डी.आई. 570 है। हरियाणा का एच.डी.आई. 552 है और यह 9वें स्थान पर आता है। अगर हम इसका

मुकाबला देशों के साथ करें तो हमारी एच.डी.आई. एक छोटे से देश घाना के बराबर है। अगर आप हिन्दुस्तान की एच.डी.आई. देखें तो वह संसार में 134वें स्थान पर आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि विकास के मामले में हम कहाँ पर हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण देते नहीं थकते कि अगर मैं भी लुम्हारा कुछ नहीं कर सका तो और कोई नहीं कर सकेगा। सर, इतना ** तो ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा 9वें नम्बर पर ही रहेंगे। हम उससे आगे नहीं जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल धंतौड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश के सम्मानित व्यक्ति हैं और पिछले 8 सालों से इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किये जाने चाहिए। (विध्न)

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, 2005 से आज तक पिछले 8 साल से हरियाणा के मुख्य मंत्री ने प्रदेश में विकास के बहुत काम किये हैं। विज साहब, उस विकास को सदन नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए वह मुख्य मंत्री के बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं कहा जाना चाहिए। इस शब्द को वापस लिया जाये। (विध्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इस शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

प्रो. सम्पत सिंह : सर, ये शब्द इतने खरिष्ट व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देते। हरियाणा स्टेट की जो तरक्की हुई है उसके ऊपर हम प्राउड फील करते हैं। विज साहब ने जो स्टेट गिनाई है उनमें से अगर स्पेशल जोन की स्टेटों को निकाल दिया जाये तो हरियाणा का तीसरा चौथा नम्बर रह जाता है। हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ-इस्ट स्टेट भी स्पेशल केटेगरी में ही कवर होती हैं। दूसरी बात यह है कि ये जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं वे एक सैम्पल सर्वे करते हैं। विज साहब, जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं कि ये यू.एन.ओ. के आंकड़े हैं तो इनको पता ही नहीं कि ये आंकड़े कौन से साल के हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा प्रदेश ने हर फील्ड में पहला कदम उठाया है और नई-नई पॉलिसी बनाई है। हमारा स्टेट विकास में बहुत आगे है। यह एक पैमाना नहीं होता जैसे इन्होंने कह दिया था कि पर कैपिटल इन्व्हेस्टमेंट भी पैमाना है, डिजिटलमेंट भी पैमाना है। सर, जो इन्व्हेस्टमेंट पैमाना है वह भी देखें। जहाँ तक फाईबर प्लान के रिसोर्सिज जुटाने की बात थी उसमें एक हरियाणा था जिसने डबल रिसोर्सिज जुटाए थे जितना टारगेट रखा था उससे कई गुना ज्यादा है। दूसरी स्टेट कोई भी टारगेट पूरा नहीं कर पाई है। इनको कम से कम उस हरियाणा स्टेट को बैकवर्ड नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब अनिल विज जी ने अपना शब्द वापस ले लिया है। अब इतना कहने की जरूरत नहीं है।

प्रो. सम्पत सिंह : धन्यवाद सर।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, भूजली जो गवर्नर एड्रेस पर स्पीच होती है उसका जवाब मुख्यमंत्री देते हैं। सर, सम्पत सिंह जी तो मंत्री भी नहीं हैं इनको हर बात पर यह रहता है कि मैं मंत्री हूँ। अब सरकार इनको मंत्री नहीं बनाती तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है।

* धेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

प्रो. सम्पत सिंह : सर, विज साहब को लगता है। लेकिन मुझे कोई गलत फहमी नहीं रहती जो मैं हूँ मैं हूँ। I am more than minister, सब कुछ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा क्या स्टेटस है क्योंकि I am a senior leader.

श्री अनिल विज : सर, मेरी दुआएं हैं कि ये जल्दी मंत्री बनें।

प्रो. सम्पत सिंह : सर, मैं यह मानता हूँ कि मेरा सबसे ज्यादा इस असेम्बली में बैठने का अनुभव है। यह मेरा फर्ज बनता है कि उस अनुभव का उचित फायदा विधान सभा को मिले, देश प्रदेश के लोगों को मिले। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। कुछ कहने का फर्ज केवल मंत्री का ही नहीं होता, विधायक की जिम्मेदारियां भी होती हैं।

श्री अनिल विज : सर, दूसरी बात यह कही गई कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 2012-13 में एज कम्पेयर टू 2011-12 में 7.1% की तरक्की दर्ज की गई है। सर, जो पिछले साल तरक्की थी या उससे कम है। पिछले साल 8.1% थी। सर, मेरे पास इस साल के डाटाज नहीं है। अगर मैं पिछले साल की सकल घरेलू उत्पाद की जो ग्रोथ है उस पर नजर डालता हूँ तो बिहार का ग्रोथ रेट 13.01% है, दिल्ली का 11.3% है, पाण्डेचरी को 11% है, छत्तीसगढ़ का 8.10% है, गोवा का 10.7% है, गुजरात का 9.01% है, तामिलनाडू का 9.04% है और हरियाणा का 8.01% है। यहां पर हरियाणा 8-9 नम्बर पर आता है। सर, यह आंकड़ों की बात है मैंने प्लानिंग कमिशन की साईट से ये आंकड़े जुटाए हैं। यहां पर विकास के बे मतलब के दावे किए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अनिल विज : सर, जो विकास के ** दावे किए जाते हैं वह विकास कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर, काफी लम्बे समय से विकास में भी भेदभाव हो रहा है। पहले तो केवल विपक्ष ही आवाज उठाता था कि हमारे हल्कों में विकास नहीं होता है लेकिन अब कांग्रेस के सदस्य भी आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस के एम०पीज० आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस के एम०एल०एज० आवाज उठा रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। अगर हमारे हल्कों में भी विकास नहीं हो रहा और कांग्रेस के हल्कों में भी विकास नहीं हो रहा तो फिर विकास हो कहां रहा है? सर, कल सदन में एक और अजीब बात देखने को आई जब पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर ने यह घोषणा की कि रेलवे कोच फैक्टरी सोनीपत में लगाई जाए तो आधा दर्जन मेंबरज खड़े हो गए जिन्होंने कहा कि हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है। इसलिए हमारे इलाके में यह कोच फैक्टरी लगाओ। मंत्री जी खड़ी हो गई कि भिवानी भी पिछड़ा हुआ इलाका है इसमें कोच फैक्टरी लगाओ। उधर शर्मा जी खड़े हो गए कि अम्बाला पिछड़ा हुआ है इसमें कोच फैक्टरी लगाओ। कोई कहता है सिरसा पिछड़ा हुआ है। सर, अगर सारा हरियाणा पिछड़ा हुआ है तो हरियाणा नम्बर-1 कहां है? On the floor of the House सभी लोग यह बात कह रहे हैं।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, विज साहब नम्बर-1 बर्ड से खुश नहीं हैं। तेरे को

श्री अध्यक्ष : यह शब्द रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री अनिल विज : सर, मैंने आपके माध्यम से कुछ विधान सभा की कार्यवाही से और कुछ आर.टी.आई. से डवलपमेंट के भी आंकड़े निकलवाए हैं। मैं थोड़ा सा उसमें कहना चाहता हूँ कि अम्बाला में सन् 2005 से लेकर सन 2010 तक डिव्लपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट ने न्यू कंस्ट्रक्शन पर 298.38 करोड़ रुपये खर्च किये थे जबकि इसी समयवधि में रोहतक में 1999.21 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अम्बाला में रिपेयर वर्क पर 240.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए लेकिन रोहतक में 1274.53 करोड़ रुपये रिपेयर वर्क पर खर्च किए गए। इसी प्रकार से जो पंचायती राज की सड़कें हैं उन पर अम्बाला कैट में 94.95 करोड़ रुपये तथा अम्बाला सिटी में 283.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि रोहतक में 3639.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस प्रकार से मेरा कहना यह है कि रोहतक के मुकाबले हरियाणा प्रदेश के सारे क्षेत्रों के साथ विकास के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। (विघ्न) स्पीकर सर, जो यह गर्वनर एड्रेस पेश किया गया है इसमें कर्मचारियों की चर्चा बिल्कुल भी नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप और कितने समय तक बोलेंगे? आपको बोलने के लिए 5 मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है और आज तो सदन में बोलने वाले हमारे दूसरे अपोजिशन के मੈबर भी नहीं हैं। (हंसी) आप तो बड़े संगदिल हो। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, संगदिल शब्द तो आपके लिए ठीक है (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैंने आपके लिए संगदिल शब्द का प्रयोग किया है न कि संगदिल का प्रयोग किया है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अभी मैंने दूसरे मैबर्ज को भी बोलने का समय देना है। आपने 1 बजकर 20 मिनट पर बोलना शुरू किया था अतः अब आप 5 मिनट में अपनी सारी बातें पूरी कर लें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, गर्वनर एड्रेस में एक शब्द भी कर्मचारियों के बारे में नहीं बोला गया जबकि आज हरियाणा सरकार के कर्मचारी बहुत परेशान हैं। अभी उन्होंने 2 दिन की हड़ताल भी की थी। उस हड़ताल में एक आदमी मारा भी गया था। कर्मचारियों पर लाठी चार्ज भी किया गया था। मेरा उस विषय पर कॉलिंग अटेंशन मोशन भी था जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया है। आपने उस पर लिखा है कि आप इस विषय के ऊपर गर्वनर एड्रेस के दौरान बोल सकते हैं। Sometimes you are very kind enough. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज जी, प्लीज ऑप टाईम वेस्ट मत करो। आप 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर लें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जो टैम्पेरी इम्प्लोईज को पकका करने की मांग है वह एक जायज मांग है। जो अनुबंध कर्मचारी हैं जो गैस्ट टीचर हैं तथा पात्र अध्यापक हैं उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आज भी उनके लगभग 25000 पद रिक्त पड़े हैं। सन 2008 में इनको भर्ती किया गया था। आज उनकी इतनी उम्र हो गई है कि वे किसी भी काम के नहीं रहे हैं अर्थात् किसी अन्य फील्ड में जाने के काबिल भी नहीं रहे हैं। इसी प्रकार से पात्र अध्यापकों के भी 1 लाख से ज्यादा लोग एग्जाम पास कर चुके हैं। वे रोज प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी कोई सुध

[श्री अनिल विज]

लेने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जो थैरैरिकल स्टाफ है तथा मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वह भी मांग करता है कि हमें पंजाब के बराबर वेतन दिये जायें। हम हरियाणा को नम्बर-1 प्रदेश कहते हैं। कोई भी प्रदेश तथा इंडस्ट्री नम्बर-1 तभी कहलाई जा सकती है जब उसके कर्मचारियों को सबसे ज्यादा वेतन मिलता हो। हरियाणा के एक क्लर्क को प्रति माह 1,42,96 रुपये वेतनमान के रूप में मिलता है जबकि पंजाब के क्लर्क को 2,68,70 रुपये वेतनमान के रूप में मिलते हैं। इस तरह से 1,25,74 रुपये का अंतर हरियाणा और पंजाब के क्लर्क के वेतनमान में देखने को मिलता है। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन अंतर इतना ज्यादा है। यह जो ये विधान सभा में आपके कर्मचारी जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं इनके वेतनमान और पंजाब में कार्यरत रिपोर्टर्स के वेतनमान में भी बहुत अन्तर है। पुलिस कर्मचारियों के बारे में मैंने पिछले सेशन में एक क्वेश्चन भी लगाया था। उस क्वेश्चन का मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी दिया था कि हरियाणा प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों को अन्य प्रांतों के पुलिस कर्मचारियों से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। उस समय मेरे क्वेश्चन का नम्बर 155 था जो 28 अगस्त, 2012 को लगा था लेकिन टेकअप नहीं किया जा सका था। उसका रिटन रिप्लाय जरूर आया था। उसके बाद मैंने आर.टी.आई. के माध्यम से यह जानने के लिए कि क्या वाकई हमारे प्रदेश के कांस्टेबल को अन्य प्रांतों के कांस्टेबल से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, तीनों स्टेटों से आंकड़े एकत्रित किए जब मैंने तीनों स्टेटों के आंकड़ों को कंपेयर किया then I was astonished to see those figures. मैंने पाया कि मुख्यमंत्री महोदय ने उस समय हाउस को गुमराह किया था कि हरियाणा प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों को अन्य प्रदेशों के पुलिस कर्मचारियों से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। अतः सदन को गुमराह करने के कारण मुख्यमंत्री जी के ऊपर प्रिविलेज मोशन बनता है। (विध्व) ये सभी आर.टी.आई. के दस्तावेज मेरे पास आज भी मौजूद हैं। उस समय हाउस में बताया गया था कि हरियाणा के कांस्टेबल को अन्य प्रांतों के कांस्टेबल से ज्यादा तनख्वाह दी जाती है जबकि वास्तविकता जो है उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हरियाणा के कांस्टेबल को 1,23,84 रुपये मिलते हैं, पंजाब में 2,32,20 रुपये मिलते हैं, चंडीगढ़ में भी 2,32,20 रुपये मिलते हैं और हिमाचल में भी 2,32,20 रुपये ही मिलते हैं। हरियाणा और इन दूसरे प्रदेश के कांस्टेबल के वेतन में 1,08,36 रुपये का अन्तर है।

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह कटारिया) : विज साहब, आप गुजरात प्रदेश के वेतनमान के बारे में भी तो बतायें ?

श्री अनिल विज : कटारिया जी, वेतनमान तो मैं सारे देश के बता दूंगा लेकिन आप उनको इंग्लीमेंट तो करो। (शोर एवं व्यवधान) आपको इसमें भी तकलीफ हो रही है। एक बिल्डिंग में तो एक बराबर वेतन दो। चंडीगढ़ में तनख्वाह ज्यादा मिलती है, पंजाब में ज्यादा मिलती है, हिमाचल में ज्यादा मिलती है और आप कहते हो कि हरियाणा नंबर वन। किस बात का हरियाणा नंबर वन है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, गुजरात राज्य को ये नंबर वन बता रहे हैं वहां पुलिस कर्मचारी ऐजिटेशन कर रहे हैं उनको पांच पांच हजार रुपये वेतन दिया जाता है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हैड कांस्टेबल को, ए.एस.आई. को, एस.आई., इन्स्पेक्टर को भी कम वेतन दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन सभी के डाटा मेरे पास है और अगर आप कहेंगे तो मैं इस बारे में लिखकर भी दे सकता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम किशन फौजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनिल विज जी को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वे आर.टी.आई. से इन्फर्मेशन लेकर आए हैं उसी प्रकार से कृपा करके वे गुजरात से भी इस तरह की इन्फर्मेशन मंगा लें। हम सहमत हैं इस बात से कि कर्मचारियों का वेतन बढ़े लेकिन वे गुजरात से भी इन्फर्मेशन मंगा लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, गुजरात से तो इनको टयूशन रखनी चाहिए। नरेन्द्र मोदी से टयूशन रखनी चाहिए। गुजरात का मुकाबला तुम करोगे। सारा देश, सारा विश्व गुजरात की तरक्की के लिए बाहवाही करता है, तुम कहते हो गुजरात से मंगा लो। गुजरात की बराबरी करोगे। (शोर एवं व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री सतपाल) : अध्यक्ष महोदय, ये गुजरात की बात करते हैं, आप माननीय साथी का बिहैवियर देख लें इसी से वहां की तरक्की का पता चल जाएगा।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो अनिल विज जी की लैंग्वेज से यह लगता ही नहीं है कि वे हरियाणा में रहते हैं। यदि इनको गुजरात इतना ही अच्छा लगता है तो ये यहां से पलायन करके गुजरात में ही चले जाएं तो हमें बड़ी खुशी होगी। इनको हरियाणा प्रदेश की जनता ने तीन बार विधायक बनाया है फिर भी ये ऐसी बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरे को हरियाणा प्रदेश की जनता ने तीन बार नहीं बल्कि चार बार विधायक बनाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तीन बार विधायक बनाकर किलनी बड़ी गलती की है। (विष्णु)

श्री अनिल विज : मुझे हरियाणा प्रदेश का दर्द है तुम्हें हरियाणा प्रदेश का दर्द नहीं है।

श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश जो तरक्की कर रहा है ऐसा लगता है कि उससे अनिल विज जी को जलन हो रही है और ये हरियाणा को बार बार डिग्रेड कर रहे हैं। इनको अपनी इस बात के लिए सदन में अफसोस जाहिर करना चाहिए और सारे सदन के सामने माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने हरियाणा के प्रति द्वेष की भावना अपने मन में रखी। अध्यक्ष महोदय, ये वरिष्ठ सदस्य हैं और इनको सबसे पहले इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं। यदि बैठे होते तो यहां वे कर्मचारियों की जायज मांगों के बारे में जवाब देते। अध्यक्ष महोदय, दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता था जैसे जेल स्टाफ है, कोऑपरेटिव स्टाफ है। अनेकों के मेरे पास रिप्रजेंटेशन आए हुए हैं। मेरी भी 17 साल की बैंक की नौकरी है। मैं भी बैंक कर्मचारी रहा हूँ।

श्री अनिल धंतोड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं इस विधान सभा में पहली बार विधायक बनकर आया हूँ इसलिए मुझे भी यहां अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अनिल विज जी, आप दो मिनट में वाइंडअप करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये मुझे बोलने तो देते नहीं हैं। आप इनको तो रोकते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कर्मचारियों की बात कर रहा था। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की तनखाह पंजाब, हिमाचल व यू.टी. के कर्मचारियों से बहुत कम है। ये खुद को हरियाणा नंबर वन कहते हैं। नंबर थन स्टेट यह होती है जहां के कर्मचारियों को नंबर वन तनखाह मिलती हो। हमारे यहां आधी तनखाह मिलती है और हम बाकी स्टेटों से आधे पर हैं। मैं यह बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से भूना शुगर मिल की बात की गई और गन्ने के दामों की बात की गई। मुख्यमंत्री जी किसानों के समर्थक हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो लागत का आधा मूल्य (विघ्न)

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, इनके समय में तो किसानों को गन्ने का रेट 110 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया गया था। उस समय सरकार में ये हिस्सेदार थे और पेमेंट 87 रुपये के हिसाब से दी थी। 32 करोड़ रुपया तो यमुनानगर के किसानों का बकाया था। जब किसानों ने इनकी सरकार से अपनी बकाया पेमेंट की मांग की और उसके लिए धरने प्रदर्शन दिये तो उस समय ये सरकार में हिस्सेदार थे और इन्होंने किसानों को जेलों में डाला था। आज जो गन्ने का रेट और किसानों का बकाया दिया है वह मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है। (विघ्न)

Shri Satpal : Speaker Sir, He has to withdraw the words. इनको ये फ्रीडम नहीं है कि मन में आए जो बोल दे। आज मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों को जो गन्ने का रेट दिया है वह देश में सर्वाधिक दिया है।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अनिल विज जी, जिस तरह से आप इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं इसी तरह से अन्य सदस्य भी हैं। अगर कोई दूसरा माननीय सदस्य अपनी बात कहने के लिए खड़ा होता है तो आपको किसने यह पावर दी है कि आप उसे बैठने के लिए कहें।

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने किसानों को जेलों में डाला और उनके खिलाफ देशद्रोही के मुकदमें दर्ज किए। ये माननीय सदस्य किस बात पर बोल सकते हैं आज यह रिकार्ड की बात है और इतिहास की बात है कि गन्ने का मूल्य 45 ₹ प्रति क्विंटल कभी भी नहीं बढ़े। इतना बड़ा भाव कभी भी नहीं बढ़ाया गया। मिल-मालिकों से चन्दा लेते थे उस समय इनकी पार्टी भी उस सरकार की हिस्सेदार थी। ये ऐसी बातें क्यों नहीं करते।

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिलों के बारे में 1000 से 2000 के लगभग किसानों के सम्मेलन से मिला हूँ आप हर मिल में वैरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। हर मिल में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के पक्ष में किसानों द्वारा नारे लगाये गये कि इतना बड़ा मूल्य गन्ने का आज तक कभी भी नहीं मिला और एक किसान से जब मैंने यह पूछा कि आपको एक एकड़ में कितना फायदा होता है तो उस किसान ने मुझे बताया कि उसे एक एकड़ में 50 हजार ₹ से 70 हजार ₹ तक का फायदा हुआ है। इन माननीय सदस्य की पार्टी जब हमारी सरकार में शामिल थी उस समय इन्होंने तो हमारा बिल्कुल भुट्टा बिठा दिया ये किसके हितेषी हो सकते हैं। इनके समय में गन्ने को जलाया गया था ये बड़ी छटी हुई चीज है इनकी कोई बात नहीं है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जस्टिस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट सरकार ने एसेट की है। सर, मुझे पांच मिनट और बोलने के लिए दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप एक मिनट में वाईड अप कीजिए। आपने पहले पांच मिनट का समय मंगा था और अब सात मिनट हो गये हैं आपने 1.20 बजे बोलना शुरू किया था।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ग्रामिण विकास के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई कि मनरेगा के तहत बहुत से लोगों का रोजगार मिला है। अध्यक्ष महोदय, अस्थाला में मनरेगा में बहुत बड़ी धांधली हुई है। जहां पर पेड़ लगाने थे वहां पर जमीन ही नहीं थी। जहां पर सड़के बनायीं बसाई गई थीं वहां कोई सड़क नहीं बनाई गई। उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजिलेंस जांच कराने के आदेश दिए और विजिलेंस की जांच की रिपोर्ट भी आ गई है और उस जांच में कई अधिकारियों को दोषी जाना गया है लेकिन कई महीनों से वे फाईलें मुख्यमंत्री जी के सैक्रेट्रीएट में दबी हुई हैं। सर, हरियाणा कैडर के एक बहुत ही सीनियर अधिकारी श्री अशोक खेमका जी हैं।

Mr. Speaker : Please don't mention the name of any officer as rules does not permit it. Anil Vij Ji you have completed your speech, please resume your seat.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप किसी अफसर का नाम नहीं ले सकते।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : Whatever Mr. Vij is saying now, not to be recorded. विज साहब, आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल धंतोड़ी (साहबाद एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और हरियाणा की बागडोर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के हाथों में आई है तब से हरियाणा प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय संसाधन जुटाने में हरियाणा प्रदेश का प्रदर्शन देश के सभी राज्यों से बेहतर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है और हरियाणा नई ऊंचाईयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री महोदय ने 2005 के अंदर हरियाणा की बागडोर सम्भाली थी तब से लेकर आज तक पिछले 8 सालों में हरियाणा में बहुत विकास हुआ है। हाँसलों के घोंसलों में तरपकी के अंडे होते हैं यह बात मुख्यमंत्री जी ने साबित करके दिखाई है।

• नेगर के आर्सेनलनुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

वाक आउट

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : Anil ji, your time is over. Please resume your seat. Nothing is to be recorded.

श्री अनिल घन्तोड़ी : अध्यक्ष महोदय, कृषि की बात करें तो वर्ष 2011-12 के लिए देश भर में गेहूँ की अधिकतम उत्पादकता के लिए 15 जनवरी, 2013 को हरियाणा राज्य को एक बार फिर से देश के राष्ट्रपति महोदय द्वारा कृषि कर्मण अर्वाइ प्रदान किया गया है। हरियाणा कृषि के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है। प्रदेशों में प्रदेश हरियाणा इस बात को चरितार्थ करता है कि हरियाणा हरियाली का प्रतीक माना जाता है। चालू पिराई मौसम के दौरान गन्ने के अगेली, मध्यम और पछेती किराओं का राज्य सुझावित मूल्य क्रमशः 276 रुपये, 271 रुपये और 266 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 8 वर्षों में प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र को समान तरक्की और विकास करने वाली सरकार मानी जाती है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : विज साहब जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं तो इसके विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी सदस्य अनिल विज को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और अधिक बोलने के लिए समय न दिए जाने के कारण सदन से वाक आउट कर गए।)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री अनिल घन्तोड़ी : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपनी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति जोकि देश भर में एक आदर्श बन चुकी है, उसमें और सुधार किया गया है। अगरत, 2012 से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति में लैण्ड पुलिंग रक्रीम भी जोड़ी गई है। अब भूमि के मालिक किसान विकास प्रक्रिया में भागीदार बनने का ध्यान कर सकते हैं। यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, नीयत और नीति का परिणाम है कि आज हरियाणा नम्बर एक पर है। आज पूरा प्रदेश तरक्की कर रहा है। मैंने पहले एक बात कही थी शायद उस समय सुनी नहीं गई। मैं उस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय पर यह बात चरितार्थ होती है कि हॉसलों के घोंसलों में तरक्की के अंडे होते हैं और उन्होंने यह बात साबित करके दिखाई है। बिजली के क्षेत्र में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सही सोच, नीयत और नीति ने हरियाणा में बिजली उत्पादन बढ़ाकर और सम्प्रेषण एवं बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर राज्य के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 1068 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति कर रही है जबकि

2004-05 में प्रतिदिन औसतन 578 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई थी। बिजली के क्षेत्र में सुधार करने के लिए राज्य में पिछले 8 वर्षों में 340 नये सब स्टेशन बनाये गये हैं और वर्तमान 574 सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त बिजली के चार नये कारखाने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगाये गये हैं। भारतीय परमाणु उर्जा निगम लिमिटेड द्वारा फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में चार इकाईयां 700-700 मेगावाट की प्रस्तावित हैं जिनमें से पहली परियोजना के पहले चरण में 700-700 मेगावाट की दो इकाईयां स्थापित करना प्रस्तावित हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम ग्रामीण विकास की बात करें तो जब से मुख्यमंत्री जी चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली है तब से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। पंचायती राज्य संस्थाओं के सशक्तिकरण, गांवों में आर्थिक व सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन तथा ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा पहल की गई है। गांवों में बिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। चालू वित्त वर्ष दिसम्बर 2012 तक 72.29 लाख मानव दिवस सृजित करने के लिए मनरेगा के तहत 202.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जिससे 37.55 लाख मानव दिवस अनुसूचित जातियों से तथा 28.79 लाख मानव दिवस महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति के अधिक आबादी वाले गांवों में पक्की गलियों के साथ-साथ नालियां, जलापूर्ति, पार्सपलाईन, चौपालें, सामुदायिक केन्द्र और शमशान घाटों की चार दिवारी आदि काम करवाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी सही सोच और सही नीति के अनुसार हरियाणा में यदि शिक्षा की बात की जाये तो मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षित शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाओं तथा आसान पहुंच के साथ सभी के लिए शिक्षा को एक वास्तविकता बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाये हैं। इसके फलस्वरूप अब प्राथमिक स्कूलों की सुविधाएं एक कि.मी. और मिडल स्कूल 3 कि.मी. के दायरे में उपलब्ध हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप शत प्रतिशत वारिजला सुनिश्चित करने के लिए बीच में स्कूल छोड़ने वाले तथा स्कूल जाने से वंचित बच्चों की पहचान करने के लिए घर-घर जाकर बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार ने एस.सी.पी.सी.आर. स्थापित किया गया है। यह आयोग शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों के संबंध में बच्चों की शिकायतों का निपटारा भी करेगा। अध्यक्ष महोदय, युवा एवं खेल का जहां तक संबंध है इस क्षेत्र की तरफ भी मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। जिस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली उसी वक्त एक नीति बनाई थी कि पदक लावो और पद पावो। हमारे प्रदेश की खेल नीति ने बेहतरीन परिणाम दिये हैं। लंदन ओलम्पिक में भारत द्वारा जीते गये 8 पदक में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। राज्य सरकार ने अब पैरा ओलम्पिक खिलाड़ियों को भी नगद इनाम देने की घोषणा की है और जिस विधान सभा क्षेत्र का मैं नेतृत्व करता हूँ वहां के दो हॉकी खिलाड़ियों को डी.एस.पी. की नौकरी दी गई है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। (इस समय भेजे थप-धपाई गई।) अध्यक्ष महोदय, आज यहां मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि-

मिलेगी परिंदो को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं,

रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं।

[श्री अनिल धन्तोड़ी]

यह बात हमारे मुख्यमंत्री जी पर चरितार्थ होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय और दूंगा यदि आज मैं यहां युवाओं की बात नहीं करूंगा तो यह युवाओं के साथ अन्याय होगा। जब भी मैं हरियाणा के युवाओं से मिलता हूँ तो एक बात सामने आती है कि हरियाणा में पिछले 17 वर्षों से छात्र संघों के चुनाव बंद हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार से यह आग्रह है कि छात्र संघों के चुनाव हरियाणा प्रदेश में जल्द से जल्द करवाये जायें क्योंकि इससे हरियाणा प्रदेश को नई पीढ़ी के राजनेता मिलेंगे। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इन चुनावों को लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप ही करवाया जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the Sitting of the House be extended for 10 minutes.

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : O.K., the time of the Sitting of the House is extended for 10 minutes.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरावर्षण)

श्री अनिल धन्तोड़ी : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इससे हरियाणा प्रदेश को नई पीढ़ी की सैकण्ड और थर्ड टाईम की लीडरशिप मिलेगी। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों का एनवॉयरनमेंट हरियाणा के एनवॉयरनमेंट जैसा है। जब वहां पर चुनाव हो सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं। इसमें साथ मेरा एक सुझाव है कि शुरू में कालेजिज में इन चुनावों को न करवाकर इनको यूनिवर्सिटी में करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।

वर्ष 2012-13 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2012-2013.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2012-2013.

एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Rao Dharam Pal, Chairperson of Estimates Committee will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2012-2013.

Rao Dharam Pal (Chairperson, Estimates Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2012-2013.

वर्ष 2012-13 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the discussion and voting on Supplementary Estimates 2012-2013 (Second Instalment) will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper (No. 1 to 3, 5 & 6, 8 to 11, 13 to 15, 19 & 20, 22 to 25, 32 & 33, 35, 39 & 40 and 43) will be deemed to have been read and moved together and a general discussion on the supplementary demands is permitted. The Members are, however, requested to indicate the demand No. on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,21,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 1, Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 73,83,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 2-Governor and Council of Ministers.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 4,89,78,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 3-General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 5,74,19,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 5-Excise and Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 35,18,08,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 46,64,49,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 8-Buildings & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 13,60,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 9-Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 10-Technical Education.**

[Mr. Speaker]

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 78,19,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 11-Sports and Youth Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 3,87,80,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 13-Health.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 178,29,22,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 14-Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 35,46,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 15-Local Government.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 8,45,82,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 19-Welfare of SCs & BCs.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 20,42,08,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 20-Social Security and Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 5,70,21,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 22-Welfare of Ex-Servicemen.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 592,44,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 23-Food and Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 48,21,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 24-Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,000/- for revenue expenditure and ₹ 20,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 25-Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 63,86,12,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 32-Rural and Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 119,16,75,000/- for revenue expenditure ₹ 66,23,75,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 33-Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 5,18,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 35-Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 21,72,60,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 39-Information & Publicity.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1246,06,42,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 40-Energy and Power.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 59,60,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 43-Prisons.**

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,21,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 73,83,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 2-Governor and Council of Ministers.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 4,89,78,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 3-General Administration.**

The motion was carried.



हरियाणा विधान सभा

(27 फरवरी, 2013)

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 5,74,19,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 5-Excise and Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 35,18,08,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 46,64,49,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 8-Building & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 13,60,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 9-Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 10-Technical Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 78,19,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 11-Sports and Youth Welfare.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 3,87,80,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 13-Health.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 178,29,22,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 14-Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 35,46,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will

come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 15-Local Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 8,45,82,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 19-Welfare of SCs & BCs.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 20,42,08,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 20-Social Security and Welfare.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 5,70,21,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 22-Welfare of Ex-Servicemen.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 592,44,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 23-Food and Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 48,21,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 24-Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,000/- for revenue expenditure and ₹ 20,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 25-Industries.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 63,86,12,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 32-Rural and Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 119,16,75,000/- for revenue expenditure and ₹ 66,23,75,000/- for capital expenditure be granted

[Mr. Speaker]

to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 33-Co-operation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 5,18,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 35-Tourism.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 21,72,60,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 39-Information & Publicity.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1246,06,42,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 40-Energy and Power.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 59,60,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 43-Prisons.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 10.00 A.M. on Thursday, the 28th February, 2013.

*14.03 Hrs.

(The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. on Thursday, the 28th February, 2013).